(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 12] पंचम् विधान सभा के 12वें सत्र का 46वां दिवस [संख्या 5

सोमवार

15 नवम्बर, 1976

विधान सभा की बैठक म.पू. 11.02 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

शासकीय संकल्प

प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन नियमों के अशासकीय कार्य सम्बन्धी समस्त सुसंगत नियमों का निलम्बन।

श्री अध्यक्ष : शासकीय संकल्प।

श्री खेतसिंह (विधि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :-

"यह सदन संकल्प करता है कि विधान सभा के चालू सत्र की बैठक जो आज दिनांक 15 नवम्बर, 1976 को बुलाई गई है इसमें संविधान (बयालीसवां संशोधन) विधेयक, 1976 का अनुसमर्थन करते हेतु प्रस्ताव पारित करना अत्यावश्यक एवं ऐतिहासिक महत्वपूर्ण राजकीय कार्य है, अतः इस सत्र के दौरान केवल राजकीय कार्य ही संव्यवहारित किया जाये तथा कोई भी अन्य कार्य किसी भी प्रकार का, किसी प्राइवेट सदस्य द्वारा स्वप्रेरित प्रश्न, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव एवं अन्य कोई कार्य सम्मिलित करते हुए, इस सत्र के दौरान सदन के समक्ष नहीं लाया जाय अथवा न संव्यवहारित किया जाय तथा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों में उक्त विषय सम्बन्धी समस्त सुसंगत नियम, एतद्द्वारा उस विस्तार तक निलम्बित किये जाते हैं।"

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह सत्र, जैसा कि मैंने अपने प्रस्तुत संकल्प में बतलाया है, खास तौर से एक खास कार्य के लिये आहूत किया गया है और इसी प्रकार से अभी भारत की संसद के दोनों सदन लोक सभा और राज्य सभा भी इसी खास कार्य के लिए आहूत की गई थीं। वहां पर भी इसी तरह से प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आदि प्रस्तुत नहीं किये गये और प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियमों को उस हद तक निलम्बित किया गया था। इसी प्रकार से मैं समझता हूं कि जिन विधान सभाओं के सत्र इस प्रकार से खास तौर से इस विधेयक के लिये आमन्त्रित

(श्री खेतसिंह)

किये गये हैं उनमें भी यही प्रक्रिया लागू की जायेगी। चूंकि संविधान (संशोधन) विधेयक को अत्यन्त ही आवश्यक और महत्वपूर्ण समझा गया है, उसको दृष्टिगत रखते हुए इस महत्वपूर्ण विधेयक में देरी न हो जाय इसलिए मैं समझता हूं कि इस सदन के सभी माननीय सदस्य इस बात के लिए आतुर हैं कि वे इस डिबेट में भाग लें। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो संकल्प मैंने प्रस्तुत किया है उसे यह सदन मंजूर करे।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जोहरी बाजार): अध्यक्ष महोदय, यह जो रिजोल्यूशन लाया गया है चीफ व्हिप की तरफ से, मैं उसूलन उसको गलत मानता हूं। अध्यक्ष महोदय, इस सदन के जितने भी मेम्बर हैं वह सभी इस बात को भली भांति जानते हैं कि हमको दो महीने में, चार महीने में, छः महीने में इस बात का मौका मिलता है कि हम जनता के सवालात पर विचार कर सकें और जिन कठिनाइयों से इस जमाने के लोग गुजर रहे हैं उनकी तरफ गवर्नमेंट का ध्यान आकर्षित कर सकें। मसलन, मैं आपको अर्ज करूं कि आज बड़े पैमाने पर छटनियां की जा रही हैं और मजदूरों के ऊपर ज्यादतियां की जा रही हैं। मजदूरों के खिलाफ मुकदमे चलाये जा रहे हैं। आज इस किस्म की दलीलें पेश होती हैं तो उनका मकसद साफ यह हो जाता है कि मजदूरों की कठिनाइयों की तरफ कोई ध्यान आकर्षित नहीं किया जाय और उनकी तरफ इस सदन से भी गवर्नमेंट का ध्यान आकर्षित नहीं किया जाय। इसी प्रकार से ऐसे बहुत से महत्वपूर्ण क्वेश्चन्स हैं, सवालात हैं जो जनता के अन्दर एक आक्रोश का बायस बने हुए हैं। मसलन फेमिली प्लानिंग के बारे में, नसबन्दी के बारे में जो भी अधिकारियों की तरफ से, अफसरशाही की तरफ से ज्यादतियां की जा रही हैं, चाहे गवर्नमेंट का इसमें हाथ हो या न हो, लेकिन अफसरशाही ने जिस तरह से इस मामले में अपना कार्य चलाया वह सिर्फ एक ही वजह से चलाया कि वह चाहते थे कि हम गवर्नमेंट के दिल अजीज़ हो जायें। चाहे साठ वर्ष का बुड्ढा हो या 25 वर्ष का नौजवान या बिना शादीशुदा हो उनकी नसबन्दी करा दी जाय। इस किस्म के वाकयात हुए हैं, जिनकी तरफ चीफ मिनिस्टर साहब का भी ध्यान दिलाया गया है। लेकिन सदन में बहुत से लोग इस चीज से वाकिफ नहीं हैं इसलिए मैं समझता हूं कि उसूलन, यह जो रिजोल्यूशन लाया गया है यह कोई जायज नहीं है। आप यह नहीं कह सकते हैं कि यह सैशन इसी परपज के लिये बुलाया गया है। पहले ही सैशन आहूत किया गया है और अब आप यह कहें कि इस परपज के लिए बुलाया गया है यह सही नहीं है। यह तो पहले वाले सैशन के ही कन्टीन्यूएशन में है जो पहले आहूत किया गया है। दूसरी स्टेट्स में किस प्रकार के हालात हैं उनसे तो मेरी वाकफियत नहीं है लेकिन राजस्थान में जो हालात हैं उनको मद्दे नजर रखते हुए इन सवालों की तरफ भी ध्यान आकर्षित होना चाहिये जो जनता के दिमाग को परेशान कर रहे हैं। आपने आज फैसला किया है कि पंचायतों के चुनाव की जो तिथि निश्चित की थी उसे किन्हीं कारणों से मुलतवी कर दिया गया है। यह भी मुद्दा है जिसके बारे में हम यह चाहते हैं कि उन कारणों का पता लगाया जाय और यह जाना जाय कि गवर्नमेन्ट की

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

क्या नीति है जिसके कारण अनेकों बार इस चुनाव को मुल्तवी किया गया है। दिसम्बर की डेट पहले फिक्स कर दी गई थी उसके बाद किसी तरह से उनका अनिश्चित काल के लिये या थोड़े समय के लिये मुल्तवी करना कोई जायज नहीं है। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि यह जो रिजोल्यूशन है इसका मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से विरोध करता हूं और निवेदन करता हूं कि चाहे सेशन दो, तीन, चार रोज तक चले, उसमें यह होना चाहिये कि हम ठंडे दिल से इन सारी बातों पर विचार कर सकें। और भी सवालात ऐसे हैं जो लोगों के दिमाग को एजीटेट कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं; उनकी तरफ हम मुख्य मंत्री का, इस सदन का और राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री गुमान मल लोढा (जोधपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, संविधान संशोधन के महत्व को देखते हुए जहां तक संविधान संशोधन-संबंधी प्रस्ताव पर विचार-विमर्श का प्रश्न है, उसके बारे में जो प्रस्ताव रखा गया है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है परन्तु जैसे ही संविधान संशोधन संबंधी प्रस्ताव पारित हो जाए, उसके पश्चात् प्रश्न काल के बारे में, ध्यान आकर्षण प्रस्तावों पर रोक लगाने का औचित्य मैं नहीं समझ पाता। यह तो सर्वविदित है कि कई ऐसे प्रश्न हैं जिनके बारे में जनता में कई प्रकार की भ्रांतियां हैं, वह जानना चाहती है कि वास्तविक स्थिति क्या है ? उदाहरण के लिए नए वेतनमानों के बारे में घोषणा की गई, हमने मुख्य मंत्री और राज्य सरकार को बधाई दी और सारे राज्य मे इस पर अधिकतर जो प्रतिक्रिया हुई, वह प्रशंसा की हुई परन्तु आज जब जनता में हम जाते हैं तो खास तौर से सरकारी कर्मचारी, विश्वविद्यालय कर्मचारी हम से पूछते हैं कि उसका क्या हुआ ? किस प्रकार नए वेतनमानों को रोका गया ? स्टे आर्डर आ गया या फाइनेन्शियल इम्पेडीमेंट्स आ गये ? पालन क्यों नहीं हो रहा है ? इस बारे में स्पष्टीकरण होना चाहिए। जब विधान सभा का सत्र आहूत किया जाता है या स्थगित असेम्बली मिलती है तो यह एक ऐसा फोरम है जहां अधिकृत रूप से सारी जानकारी की जा सकती है, विचार-विमर्श हो सकता है, मुख्य मंत्री व वित्त मंत्री इस बारे में स्पष्टीकरण भी कर सकते हैं जिससे जनता में जो भ्रांतियां हैं वह दूर हो सकें और जो आकांक्षायें पैदा हुई हैं उनकी पूर्ति कब होगी, इसका पता लग सके।

इसी प्रकार न्यायपालिका के बारे में कई समाचार पत्रों में समाचार छपते हैं और वादविवाद होते हैं मैं उनमें नहीं जाना चाहता लेकिन यदि इस संविधान संशोधन प्रस्ताव के पश्चात् उसके बारे में अधिकृत रूप से कोई बात यहां बताई जाय या अन्य फोरम में बताई जाए तो कई भ्रांतियों का निवारण हो सकता है, इस प्रकार की कन्ट्रोवर्सी समाप्त हो सकती है।

तो यह दो उदाहरण मैंने आपके सामने रखे हैं। और भी कई प्रश्न हैं जैसे नगरपालिका और पंचायत चुनाव हैं, सारे राज्य की जो समस्यायें हैं उनके बारे में जन प्रतिनिधि अपना मत व्यक्त करें, संबंधित मंत्री का ध्यान आकर्षित करें, यह संसदीय प्रणाली

Page No 4

(4)

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

है। तो संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित होने के पश्चात् प्रश्नकाल या ध्यान-आकर्षण प्रस्तावों को प्रतिबंधित करने का औचित्य नहीं है।

जहां तक संविधान संशोधन संबंधी प्रस्ताव है, मैं महसूस करता हूं उसकी गरिमा व महत्ता को देखते हुए उस पर पहले विचार करना चाहिए। केवल उस समय तक ही नियम निलंबित किए जा सकते हैं।

श्री मीठालाल मीणा (लालसोट) : अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि संविधान (संशोधन) विधेयक लोक सभा में पास होने के पश्चात् यहां भी उसको जल्दी से जल्दी रेटीफाई करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ यह भी सही है कि जनतंत्र में जनता की किन्हीं भी समस्याओं का निराकरण करने के लिए विधान सभा में आकर हम कुछ कह सकें। गत विधान सभा सत्र में जो प्रश्न स्थगित हुए उनके लिए कहा गया कि आगामी सत्र में लिए जायेंगे। लोक सभा में यह प्रक्रिया इसलिए अपनाई गई कि वहां सत्र ज्यादा दिन तक चलता है और जो समस्यायें होती हैं उनको वहां रखा जा सकता है। लेकिन विधान सभा में यही समय आता है जब जनता की जो तकलीफें हैं उनके लिए हम दो शब्द कह सकते हैं। जैसे आजकल प्रत्यक्ष है कि बिजली के मामले में अधिकारी बिना पैसे के कनेक्शन नहीं देते हैं, जानबूझकर देरी करते हैं। मैंने मंत्री महोदय से निवेदन किया कि कनेक्शन अगर 10 दिन के बाद देंगे तो किसान को कोई फायदा नहीं है। मुख्य मंत्री ने कहा है उत्पादन बढ़ाने के लिए यह जरूरी है लेकिन दूसरी तरफ मीटर लगे हुए हैं, लाइन खिंची हुई है, केवल कनेक्शन्स देने हैं, लेकिन अधिकारीगण जानबूझ कर कनेक्शन नहीं दे रहे हैं। यदि 8 दिन में कनेक्शन नहीं दिया या 1 दिन तक नहीं दिया तो फिर बिजली दें या न दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर चाहें तो 150—200 किसान आपके सामने हाजिर होकर कहें कि यह तकलीफ है जो संविधान संशोधन प्रस्ताव पास करने के पश्चात् ली जा सकती है। अगर ज्यादा समय लग जाए तो दो दिन के बजाय चार दिन के लिए सत्र रख सकते हैं। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि 2 दिन के बजाय 4 दिन का सत्र रखा जाय ताकि माननीय सदस्य अपनी समस्यायें रख सकें।

श्री गुरदयालसिंह संध (करणपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव का इसलिए विरोध नहीं करता हूं कि हम विरोधी पक्ष में बैठे हुए हैं बल्कि हम अपनी बात कह सकते हैं तो यही एक स्थान है। हम देखते हैं कि हमारे साथ क्या बर्ताव किया जाता है। बाहर हम नहीं बोल सकते, अंदर बोलने का अधिकार नहीं है, यह अच्छी बात नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले यह चर्चा चली थी कि पंचायतों के चुनाव होंगे और खुल्लम खुल्ला प्रचार किया जाता था कि जो कांग्रेस का टिकट लेगा वही खड़ा होगा। यदि दूसरा खड़ा होगा तो जेलों में डाल दिया जायेगा।

मुख्य मंत्री गंगानगर पधारे थे, खुल्लम खुल्ला करणपुर में ये शब्द कहे कि इस क्षेत्र के लोगों ने विरोधी को वोट दिया है इसलिए यहां बिजली नहीं देंगे व सड़कें नहीं बनायेंगे। इसी तरह हमारी प्रधानमंत्री कहती कि हम एटेमिक शक्ति का प्रयोग शांति

Page No 5

(श्री गुरदयालसिंह संधु)

के लिए करना चाहते हैं और हमारे मुख्य मंत्री सीमा पर खड़े होकर कहते हैं, जहां पाकिस्तान का बोर्डर है, वहां हमने एटम बम्ब का परीक्षण कर लिया है। कोई दूसरा देश हो तो ऐसे मुख्य मंत्री को चार दिन भी रहने न दें। इस बात की तसल्ली की जाय कि एलान किया गया था या नहीं करणपुर में कि हमने एटम बम्ब तैयार कर लिया है।

गंगानगर जिले के रायसिहनगर क्षेत्र में 160 कांग्रेसियों के सीलिंग के केसेज रीओपन किए गए। वहां के कांग्रेसियों ने कहा कि आप गजेन्द्र हान्दिया का ट्रांसफर करेंगे तो हम आपका स्वागत करेंगे, आपको चांदी में तोलेंगे। गंगानगर के सरदार गुरुदेव सिंह और हनुमानगढ के एस. डी. एम. का भी ट्रांसफर कर दिया गया ....

श्री विजयसिंह राठोड़ (मांडल) : आन ए पांइट आफ आर्डर। वे तो गंगानगर की बातें करते हैं।

श्री गुरदयाल सिंह संधु : हमें अधिकार है पूछने का। वहां मुख्य मंत्री को चांदी से तोला गया 85 हजार की चांदी थी, 4 लाख के ऊपर की नकदी थी। आज तक किसी जगह इतनी राशि जमा नहीं हुई। पब्लिक फंड्स का इस तरह दुरुपयोग किया जाता है, उसके बारे में हम पूछना चाहते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि जो पाबंदियां लगाई गई हैं वह शीघ्र खत्म की जायं।

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मंत्री) : माननीय सदस्य ने जो शब्द मेरे मुंह से कहे हुए बताए हैं, वे गलत हैं और भ्रांति पैदा करने वाले है, मिसगाइड करने वाले हैं, वे ऐसे मिसगाइडेड हैं जैसे आप स्वयं मिसगाइडेड हैं।

श्री मोहरसिंह (सादुलपुर) : अध्यक्ष महोदय, अभी कार्य-संचालन संबंधी जो संकल्प राठोड़ साहब की तरफ से रखा गया है, मैं उसका विरोध करता हूं। किस लिए विरोध कर रहा हूं ? इसलिए नहीं कि इधर बैठकर हमारा काम विरोध करने का ही है लेकिन ....

श्री हरिदेव जोशी : आपका तो यही है।

श्री मोहरसिंह : मेरा नहीं, आपका है। आप बहुमत में हैं यह स्पष्ट है लेकिन हम सदा बोले हैं, जब तक जीयेंगे बोलेंगे, जुल्म का विरोध करते रहेंगे।

श्री विजयसिंह राठोड : अभी तो तहसीलदारों के ट्रांसफर की बात कर रहे थे ....

श्री मोहरसिंह : यह सदन जो जनता का प्रतिनिधित्व करता है उसमें हमें बताना है कि नौकरशाही किस ढंग से जनता को सताती है। जनता आराम में है या तकलीफ में, कोई परेशानी तो नहीं है—उस पर विचार करने के लिए हमारे अधिकारों की काट छांट होती है, तो मैं यह कह रहा था कि क्या यही आपका प्रजातन्त्र है ? क्या इसको ही आप प्रजातंत्र कहते हैं कि जो आपके मन भाये उसी तरह की कार्यवाही आप कर लें ? क्या आप इसी को प्रजातन्त्र कहते हैं कि जिस समय आप चाहें सदन की कार्यवाही में मनचाहे ढंग से काट छांट कर लें ? एक तरफ तो

(श्री मोहरसिंह)

आप यह बात कहते हैं कि हमने संसद को बहुत अधिकार दे दिये हैं, संसद की सत्ता सबसे बड़ी है और दूसरी तरफ आप विधान सभा की कार्यवाही में काट-छांट करके उसे छोटा कर रहे हैं, उसके अधिकारों को कम कर रहे हैं, सदन के रोजाना के काम में मनमाने ढंग से काट-छांट कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, यह तो ठीक है कि आज कांग्रेस की बहुत भारी मेजोरिटी है और उसके कारण आज कांग्रेस सत्ता में बैठी हुई है। लेकिन मेजोरिटी का मतलब यह तो नहीं कि आप विधान सभा की कार्यवाही दस मिनिट में करके ही सभी कानून पास करा लें या चाहे जो संकल्प अपने ढंग से विधान सभा कार्यवाही चलाने के लिए पास कर लें। यह तो अनुचित है।

अध्यक्ष महोदय, आज जब हम विधान सभा का सत्र बुलाते हैं तो कम से कम उसमें जनता के दुःख दर्द के लिए कुछ तो कार्यवाही होनी चाहिए। जब तक जनता के दुःख-दर्द की बातें यहां सदन में नहीं आयेंगी तो फिर क्या फायदा है बैठक बुलाने का ? पहले जब अधिवेशन हुआ था उसके बाद से आज तक हमारे प्रान्त में क्या क्या हुआ, राज्य सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी, वह सभी जनता के प्रतिनिधियों के सामने यहां पर आनी चाहिए। हमारे प्रान्त में आज क्या हो रहा है, उसका यहां पर विवेचन होना चाहिए, उसका यहां पर मूल्यांकन किया जाना चाहिए ताकि जनता को मालूम पड़े। यह बात ठीक है कि आज जो कुछ भी हो रहा है गलत-सलत उससे आप खुश हों क्योंकि आज आपने अपने हाथ में असीमित अधिकार ले रखे हैं और असीमित अधिकार आपने नौकरशाही को दे रखे हैं। आज जनता का कोई आदमी आपके सामने बोल नहीं सकता और अगर कोई बोलता है तो उसे जेल के अन्दर धर दिया जाता है। इसके अलावा अगर कोई जनता का प्रतिनिधि बोलता है तो आप उसके पीछे सी. आई. डी. लगा देते हैं। इस प्रकार आपने लोगों को बोलने से बन्द कर रखा है और फिर आप इस तरह से मनमानी काट-छांट करते हैं। अध्यक्ष महोदय, अभी अभी बताया गया है कि गांवों में जोर-जबर्दस्ती से परिवार नियोजन की कार्यवाही की गयी है और जबर्दस्ती लोगों की नसबन्दी की जा रही है। आज जबर्दस्ती से आप गरीब काश्तकारों के ऊपर ज्यादा कर उनसे बिजली का लगाकर वसूली कर रहे हैं। इसी प्रकार आप आज बार-बार पंचायती चुनावों को टाल रहे हैं। एक तरफ प्रजातन्त्र की दुहाई दे रहे हैं दूसरी तरफ तानाशाही कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, जबर्दस्ती परिवार नियोजन करना, नसबन्दी करना कहां तक वाजिब है ? अगर हम उसके लिये जनता को कहते हैं तो आप कहते हैं कि हम जनता को बरगलाते हैं। अध्यक्ष महोदय, हम परिवार नियोजन के खिलाफ नहीं हैं लेकिन लोगों को खेतों से, रास्तों से जबर्दस्ती उठा ले जाकर परिवार नियोजन के शिविर में जबर्दस्ती नसबन्दी कर देना कितनी गलत व अन्याय युक्त बात है। आप परिवार नियोजन के कार्यक्रम चलाइये पर इसमें आपको चाहिये कि आप पहले जनता को जाकर समझायें कि अगर आपके आठ-दस बच्चे हो जायेंगे तो आप किस प्रकार से उनका पालन पोषण करेंगे। बाद में आप इस कार्यक्रम को चलायेंगे तो एक अच्छी

(श्री मोहरसिंह)

बात है। यह ठीक है कि परिवार नियोजन एक अच्छी चीज है लेकिन इस प्रकार से आप जोर जबर्दस्ती से हल जोतते हुए किसान को पकड़ कर ले जावें और अगर वह दस पन्द्रह दिन की छूट मांगे तो भी नहीं दें और विरोध करने पर आप उसको गिरफ्तार कर लेवें, जमानत भी आप उनकी दस 20 हजार रुपये की लें और कई मामलों में आप जमानत भी इन केसेज में जब्त कर लें, अगर कोई आदमी उसका वकील बने तो आप कहें कि श्रीमान जी आप क्या कर रहे हैं आपको भी मीसा में गिरफ्तार कर लिया जायेगा, आपका भी यही हाल होगा। तो मेरा निवेदन यह है कि यह कौनसा प्रजातन्त्र आप देश में चला रहे हैं ? मैं तो यह कहूंगा कि जिन लोगों ने परिवार नियोजन के मामले में जोर-जबर्दस्ती की है उनके खिलाफ जांच की जानी चाहिये और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ में एक्शन लिया जाना चाहिये। मुख्य मन्त्रीजी अगर चाहें तो मैं इसके कई उदाहरण पेश कर सकता हूं। आज मुख्य मन्त्रीजी और दूसरे मन्त्रीजी समस्याओं की बात करते हैं तो समस्यायें तो बहुत हैं। आज मलेरिया गांवों में घर घर फैल रहा है, उस रोग का कोई निराकरण नहीं हो पा रहा है। यहां पर चिकित्सा मन्त्री जी ने इस सदन में पिछले सत्र में कहा था कि मलेरिया की दवाइयों की कोई कमी नहीं आने दी जावेगी। लेकिन मैं तो यह कहूंगा कि गांवों में दवा-दारू का कोई इन्तजाम नहीं है। डी.डी.टी. नहीं मिल रही है। मन्त्री महोदय ने तो यहां सदन में घोषणा की थी कि मलेरिया की दवा की कमी नहीं रहेगी न डी.डी.टी. की कमी रहेगी पर सभी जगह कमी है। एक तरफ तो गेहूँ की बिजाई का कार्य, सावणी फसल की लावणी का काम करना चाहते हैं। लेकिन किसान मलेरिया की बीमारी से पीड़ित होने की वजह से नहीं कर सकते। दवा का कोई इन्तजाम नहीं। डी. डी. टी. पहले तो छिड़का नहीं जाता और अगर छिड़का जाता है तो इसमें भी असली-नकली का पता नहीं लग सकता। डी. डी. टी. में चूना मिला कर छिड़क दिया जाता है जिससे कि मच्छर तक नहीं मरते हैं। अगर इन सभी चीजों के खिलाफ हम आवाज उठाते हैं तो हमारी आवाज बन्द कर दी जाती है। लेकिन हमारी आवाज इस तरह से बन्द नहीं होगी। हम जुल्म व झूठ के आगे कभी भी झुके नहीं हैं और झुकेंगे भी नहीं। आपकी इस प्रकार की कार्यवाही जो है वह प्रजातन्त्र को कायम रखने वाली नहीं है बल्कि यह प्रजातन्त्र को खत्म करने वाली है। आपके यहां जो जुल्म हो रहा है वह उसी प्रकार हो रहा है जिस प्रकार फासिज्म के जमाने में इटली में और नाजी हिटलर के जमाने में जर्मनी में होता था। लेकिन इसका अन्जाम बहुत ही खराब होगा। दिल्ली में बैठकर आप मूल अधिकारों को समाप्त करने के कानून बना रहे हो जब कि खुद कांग्रेस ने अपने सन् 1919 के, सन् 1931 के, सन् 1935 के कांग्रेस अधिवेशनों में यह निर्णय लिया था कि हम देश को आजाद करायेंगे, भारत की जनता के मूल अधिकारों को देंगे और हम जनता को बोलने का अधिकार, संगठन बनाने का अधिकार स्वतन्त्र भारत में देंगे। लेकिन आज हो यह रहा है कि आप जनता के भले की दुहाई का

(श्री मोहरसिंह)

नाम लेकर जनता की पीठ में छुरे और भाले भोंक रहे हैं। आप इस प्रकार देश में डेमोक्रेसी को क्रश कर रहे हैं। हम देश में डेमोक्रेसी को समाप्त नहीं होने देंगे। हमने अपने देश की जनता के हक्कों के लिये आजादी की लड़ाई लड़ी है और उसके लिये आज भी अपना खून पसीना एक करने को तैयार हैं। आप जनता की आवाज सदन में उठाने के लिये रोक लगा रहे हैं और उसी के लिये आप इस तरह का संकल्प ला रहे हैं जिससे कि जो सदन की नियमित कार्यवाही होती है वह रुक जाये। आप सदन की कार्यवाही में से प्रश्नकाल को समाप्त कर रहे हैं। आप ध्यान आकर्षण प्रस्ताव को लाने के लिये रोक लगा रहे हैं। आप सदन में स्थगन प्रस्ताव भी नहीं लाने देते हैं। तो आपकी इस प्रकार अप्रजातान्त्रिक कार्यवाहियों का मैं विरोध करता हूं और विरोध करता रहूंगा। आज इस सदन में और भी माननीय सदस्य मेरे साथी हैं जो चाहे आपकी पार्टी में होने के नाते विरोध न करें और खुश हों, लेकिन मैं आपके इस संकल्प का सिर्फ विरोध ही नहीं करता हूं बल्कि इस संकल्प के विरोध स्वरूप इस सदन से वाक आउट भी करता हूं।

(श्री मोहरसिंह का सदन से बहिर्गमन)

श्री खेतसिंह (विधि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा ही अफसोस होता है कि माननीय सदस्य श्री मोहरसिंह जी ने इस संकल्प का विरोध किया और यहां से बहिर्गमन कर गये। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि शायद माननीय सदस्य ने इस संकल्प की गम्भीरता को नहीं समझा और इसकी गम्भीरता को बिना महसूस किये ही राजगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य...

कई माननीय सदस्य : राजगढ़ से नहीं सादुलपुर से।

श्री खेतसिंह : हां सादलपुर से आने वाले माननीय सदस्य जो कि प्रजातन्त्र की आज दुहाई देते हैं वह खुद सी.पी.एम. के सदस्य हैं। वह प्रजातन्त्र को क्या समझें ? खुद उनकी पार्टी प्रजातंत्र में विश्वास नहीं करती है तो वह यहां कैसे बैठ सकते हैं ?

कई माननीय सदस्य : आ गये ! आ गये !

श्री मोहरसिंह : हम तो प्रजातन्त्र में विश्वास करते हैं। आप नहीं करते होंगे।

श्री खेतसिंह : हम तो प्रजातन्त्र में विश्वास करते हैं तब ही तो सदन में आज दो तिहाई से ज्यादा सदस्य कांग्रेस के यहां पर बैठे हुए हैं जिनको कि जनता ने चुनकर भेजा है। हम आपकी मेहरबानियों से चुनाव जीत कर नहीं आये हैं। जनता ने हम पर विश्वास किया है तब हम यहां जीत कर आये हैं। अब आगे भी आपको पता लग जायेगा जब हम चुनाव जीत कर आयेंगे। तब आप देखेंगे। देखते हैं आप पुनः जीत कर आते हैं या नहीं।

इसके अलावा यहां पर माननीय सदस्य ने यह कहा कि कई समस्यायें हैं और उन समस्याओं पर विचार किया जाना चाहिये था। माननीय सदस्य की जानकारी के लिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले सत्र में भी हमने आपके हर सवाल का विस्तार से जवाब दिया था। लेकिन जहां

(श्री खेतसिंह)

तक सवाल समस्याओं का है, उनका तो अन्त ही नहीं है। एक समस्या समाप्त होती है तो उसके बाद में और समस्या पैदा हो जाती है।

अभी जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी इस सदन में इस संकल्प को निश्चित तौर से अच्छा बताया है और उन्होंने इस संकल्प का अनुसमर्थन किया है क्योंकि यह संकल्प राजस्थान विधान सभा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक संकल्प होगा। इसलिये मैं, अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो संकल्प मैंने सदन के सामने रखा है उसको स्वीकार किया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संकल्प श्री खेतसिंह जी ने रखा है उसको पारित किया जाय।

संकल्प यह है कि "यह सदन संकल्प करता है कि विधान सभा के चालू सत्र की बैठक·····

श्री रामानन्द अग्रवाल : विरोध करने के लिये नहीं पूछा।

श्री अध्यक्ष : अभी तो प्रस्ताव ही पढ़ रहा हूं। पढ़ने के बाद में आपकी राय ले लूंगा।

"यह सदन संकल्प करता है कि विधान सभा के चालू सत्र की बैठक जो आज दिनांक 15 नवम्बर, 1976 को बुलाई गई है इसमें संविधान (चवालीसवां संशोधन) विधेयक, 1976 का अनुसमर्थन करने हेतु प्रस्ताव पारित करना अत्यावश्यक एवं ऐतिहासिक महत्वपूर्ण राजकीय कार्य है, अतः इस सत्र के दौरान केवल राजकीय कार्य ही संव्यवहारित किया जाये तथा कोई भी अन्य कार्य, किसी भी प्रकार का, किसी प्राइवेट सदस्य द्वारा स्वप्रेरित प्रश्न, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव एवं अन्य कोई कार्य सम्मिलित करते हुए, इस सत्र के दौरान सदन के समक्ष नहीं लाया जाय अथवा न संव्यवहारित किया जाय तथा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों में उक्त विषय सम्बन्धी समस्त सुसंगत नियम, एतद् द्वारा उस विस्तार तक निलम्बित किये जाते है।"

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव माननीय विधि मंत्री महोदय ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

अनुमति प्राप्त विधेयक

राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त विधेयक

श्री सचिव (विधान सभा) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा द्वारा वतमान सत्र में पारित उन विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं जिन पर राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी हैं:—

(1) राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, 1974

(2) राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधयक, 1976

(श्री सचिव)

(3) राजस्थान काश्तकारी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1976

(4) राजस्थान विनियोग (संख्या 5) विधेयक, 1976

(5) राजस्थान विनियोग (संख्या 6) विधेयक, 1976

(6) राजस्थान आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1976

(7) राजस्थान बिक्री कर (संशोधन) विधेयक, 1976

(8) राजस्थान विद्युत (शुल्क) (संशोधन) विधेयक, 1976

(9) राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1973

(10) राजस्थान अभ्रक (संशोधन) विधेयक, 1976

प्रतिवेदन एवं लेखे

श्री अध्यक्ष : वित्त मंत्री जी।

श्री चन्दनमल बैंद (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं कम्पनीज अधिनियम 1956 की धारा 619 (ए) की उप धारा (3) का भाग (बी) के अन्तर्गत हाई टेक प्रिसीजन ग्लास लि., जयपुर का 30 सितम्बर, 1975 को समाप्त हुए वर्ष के सम्बन्ध में निदेशकों की रिपोर्ट एवं लेखा विवरण सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री हीरालाल देवपुरा (सहकारिता मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं भण्डार व्यवस्था निगम अधिनियम, 1962 की धारा 31 की उप धारा (11) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम का 17 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे 1974–75 सदन की मेज पर रखता हूं।

समिति का प्रतिवेदन
जनलेखा समिति का सोलहवां प्रतिवेदन

श्रीमती प्रभा मिश्रा (सभापति, जनलेखा समिति) : अध्यक्ष महोदय, मैं जन लेखा समिति, 1976–77 के सोलहवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करती हूं जो (1) विनियोग लेखे 1971–72 (2) वित्त लेखे 1971–72 एवं (3) वर्ष 1971–72 के लेखों पर अंकेक्षा प्रतिवेदन से सम्बन्धित अकाल सहायता, आबकारी, जल प्रदाय, पशुपालन एवं पशु चिकित्सा, यातायात, राजस्थान नहर परियोजना, वित्त (आय) सहकारिता एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग पर है।

विधायी कार्य : विधेयक का पुरःस्थापन
राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों के परिलाभ) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1976

श्री अध्यक्ष : विधायी कार्य।

श्री खेत सिंह (विधि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों के परिलाभ) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1976 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो विधेयक, माननीय विधि मंत्री जी ने पुरःस्थापित

(श्री अध्यक्ष)

करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव किया है उसे पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई !

श्री खेत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : पुरःस्थापित हुआ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, एक दूसरा विधेयक पंचायत समिति एवं जिला परिषद् से भी सम्बन्धित था, यह सूचना दी गई है। यह विधेयक पहले पुरःस्थापित हो चुका है, 1974 में पुरःस्थापित हुआ है। माननीय सदस्यों के पास, मैं समझता हूं प्रतिलिपियां नहीं हैं। इसलिये संशोधन भेजने में भी दिक्कत है। इसलिये मेरा निवेदन है माननीय सदस्यों को प्रतिलिपियां दिलवा दी जायें और उस पर संशोधन कल सवेरे तक देने के लिये समय बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : (मंत्री जी की ओर मुखापेक्ष) कापी भेज सकेंगे ?

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, कापी के लिये तो मैं निवेदन नहीं कर सकता किन्तु सर्विसेज को रेगुलराइज करने की कोई बात है, अगर उसके संशोधन के लिये अगर अन्तिम समय बढ़ाया जाय तो कोई आपत्ति नहीं होगी।

एक माननीय सदस्य : किस चीज के संशोधन की बात है.. (अवरोध)...

श्री हरिदेव जोशी : सर्विसेज को रेगुलराइज करने की बात है और कोई चीज तो इसमें है नहीं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : एक एक कापी एक एक दल को दे दी जाय।

श्री हरिदेव जोशी : मैं दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष : शासकीय संकल्प।

शासकीय संकल्प

संविधान (बयालीसवां संशोधन) विधेयक, 1976 का अनुसमर्थन

श्री खेतसिंह (विधि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित संकल्प प्रस्तुत करता हूं :—

"यह सदन, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित संविधान (बयालीसवां संशोधन) विधेयक, 1976, जिसके संक्षिप्त नाम को 'संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976' में परिवर्तन कर दिया गया है, के द्वारा किये जाने वाले प्रस्थापित भारत के संविधान के संशोधनों का, जो उसके अनुच्छेद 368 के खण्ड (2) के परन्तुक के सीमान्तर्गत आते हैं, अनुसमर्थन करता है।"

अध्यक्ष महोदय, जो संकल्प मैंने सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है वह संविधान (संशोधन) विधेयक, जो संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया जा चुका है, से

(श्री खेतसिंह)

सम्बन्धित है। अब इस विधेयक का राज्य की विधान सभाओं द्वारा अनुसमर्थन किया जाना है। राजस्थान की विधान सभा का यह सत्र इस विधेयक के अनुसमर्थन के लिये ही खास तौर से आमंत्रित किया गया है। यह विधेयक जब लोक सभा के विचारार्थ रखा गया था तब इसे 44वां संशोधन विधेयक माना गया था परन्तु राज्य सभा में विचार होने के बाद इसे 42वां संविधान (संशोधन) अधिनियम सन् 1976 के रूप में स्वीकार किया गया है। यह संशोधन विधेयक देश के सामाजिक एवं आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक कदम है। 59 धाराओं वाले इस संशोधन विधेयक का उद्देश्य देश की प्रगति में आने वाली रुकावटों एवं अड़चनों को दूर करना है। संविधान में जो परिवर्तन किये जा रहे हैं उनका मूल उद्देश्य देश की जनता की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये चलाये जा रहे राष्ट्रीय कार्यक्रमों के मार्ग में आने वाली आपत्तियां व दिक्कतें दूर करना है। जो जो कार्य हम पिछले 25 वर्षों में नहीं कर पाये थे वह कार्य हमने गत एक वर्ष में काफी हद तक पूरे किये हैं। इन कार्यों को स्थाई बनाया जाना आवश्यक है। उनमें निरन्तर प्रगति होती रहे और इस महान् देश की जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति हो सके इस हेतु यह संशोधन आवश्यक थे और इसीलिये इस विधेयक को संसद के दोनों सदनों ने पारित किया है। इन संशोधनों पर गहरी निगाह डाल कर यदि हम देखें तो हमें स्पष्ट प्रतीत होगा कि जहां न्याय व्यवस्था में परिवर्तन की बात कही गई है वहां राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिये राष्ट्र विरोधी कार्यों पर अंकुश लगाने का भी ध्येय रखा गया है। साथ ही संसद की प्रमुखता को सर्वोपरि बनाया गया है और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्तों को बुनियादी अधिकारों से ऊपर रखा गया है।

अध्यक्ष महोदय, हमारा संविधान विश्व में जितने लिखित संविधान हैं उनमें सबसे विस्तृत एक उच्च कोटि का दस्तावेज है। यह केवल कानूनी दस्तावेज ही नहीं बल्कि एक सामाजिक एवं राजनैतिक दस्तावेज भी है, और इसीलिये संविधान अपरिवर्तनीय नहीं रह सकता। जनता की भलाई एवं वर्तमान आवश्यकताओं तथा आकांक्षाओं की पूर्ति के लिये संविधान में किसी भी वक्त संशोधन किया जा सकता है और यही कारण रहा है, अध्यक्ष महोदय, कि समय समय पर हमारे संविधान में संशोधन किये गये हैं। इस 42वें संशोधन के पूर्व जितने भी संशोधन हुए हैं वह किसी विशेष स्थिति से निपटने के लिये किये गये थे और उनका उद्देश्य अदालती फैसलों से......

श्री पूनम चन्द विश्नोई (भीनमाल): आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, अध्यक्ष महोदय, ये जो विधेयक की व्याख्या कर रहे हैं वह पढ़कर नहीं कर सकते हैं। यह तो व्यक्ति को खुद को करनी पड़ती है। यह हो सकता है....

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): अध्यक्ष महोदय, यह लिखित है तो सर्कूलेट भी किया जाना चाहिये।

श्री खेत सिंह : यह मेरा स्वयं का लिखा हुआ है।

..."पैदा हुई समस्याओं को दूर करना था। मगर यह पहला मौका है जब कि विस्तृत रूप से संविधान में कतिपय संशोधन किये जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, यह पहली बार है जब कि संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि भारत के नागरिकों के क्या कर्तव्य हैं ? अब इस देश की 60 करोड़ जनता यह समझ पायेगी कि उनके अधिकारों के साथ उनका राष्ट्र एवम् समाज के प्रति क्या दायित्व है। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में हम अपने कर्तव्यों एवं अधिकारों की जानकारी रखते हुए एक सच्चे नागरिक के रूप में इस महान् देश का विकास करने में भागीदार हो सकेंगे। अध्यक्ष महोदय, हर संविधान की प्रस्तावना उसकी कुंजी होती है और इसीलिए हमारे संविधान की प्रस्तावना में 'समाजवाद' एवं 'धर्म निरपेक्ष' शब्द जोड़े गये हैं। इससे हमारी समाजवादी नीति एवं धर्म निरपेक्षता की भावना उजागर होती है। हमारा लक्ष्य है कि हम शांतिपूर्ण तरीकों से राष्ट्र की जनता के जीवन स्तर को ऊंचा उठा कर सही रूप में समाजवाद स्थापित कर सकें। अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन में कानूनी सहायता का प्रावधान भी रखा गया है। यद्यपि संविधान में यह प्रावधान पहिले से है कि भारत के सभी नागरिक समान हैं, और उनके अधिकार भी समान हैं किन्तु जब न्यायालयों में न्याय पाने का प्रश्न आता था तब कमजोर व गरीब लोग धनाढ्य समाज के सामने सही न्याय पाने से महरूम रहते थे, इस कमी को दूर करने के लिए समाज के कमजोर एवं गरीब नागरिकों को कानूनी सहायता दिलाने का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, अनुच्छेद 83 में संशोधन कर लोक सभा तथा विधान सभाओं के चुनावों की अवधि 5 से बढ़ा कर 6 वर्ष कर दी गई है। इसी प्रकार अनुच्छेद 103 की जगह नया अनुच्छेद जोड़ कर संसद तथा विधान मण्डलों की सदस्यता को अयोग्य ठहराने के सम्बन्ध में तरमीम की गई है। अध्यक्ष महोदय, काफी समय से महसूस किया जा रहा था कि समाज के कुछ मुट्ठी भर लोग कानून एवं व्यवस्था अपने हाथ में लेकर समाज के जीवन को अस्त व्यस्त कर डालते थे। उनकी गतिविधियों पर रोक लगाना आवश्यक था। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये अब जो संशोधन किया जा रहा है वह अत्यन्त महत्वपूर्ण है। अब कोई भी व्यक्ति या संगठन यह नहीं कह सकेगा कि भारत के किसी हिस्से को अलग कर दिया जाय। इस संशोधन के बाद भारत की एकता एवं अखण्डता को चुनौती देने वाले व्यक्ति अथवा संगठन के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जा सकेगी। इन संशोधनों से न तो न्यायालयों की स्वतंत्रता में कमी आती है और न ही इसका संघीय ढांचे पर ही विपरीत प्रभाव पड़ता है। मैं, जैसा कि भीनमाल से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा आपका अधिक समय नहीं लेना चाहता। इन संशोधनों पर इस विशाल देश में गत सितम्बर माह से स्थान स्थान पर गोष्ठियां हुई हैं। बुद्धिजीवियों एवं विधि वेत्ताओं ने खुले दिल एवं दिमाग से अपने अपने विचार प्रस्तुत किये हैं और पूरे विचार मंथन के बाद यह विधेयक संसद में प्रस्तुत किया गया था। संसद के दोनों सदनों ने भी हर धारा पर पूर्ण विचार विमर्श व बहस कर उसे पारित किया है। राजस्थान

(14)

(श्री खेतसिंह)

विधान सभा कांग्रेस दल एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माननीय सदस्यों ने भी इस विधेयक पर 26 अक्टूबर को दिन भर विचार विमर्श किया है। अन्य राजनैतिक दलों ने भी विचार किए हैं। यह पहला ही अवसर है कि इस प्रकार से राजनैतिक दलों ने एवं समाज के अन्य वर्गों ने संविधान के संशोधन विधेयक पर पूर्ण विचार मन्थन किया हो।

मैं समझता हूं कि आप सभी माननीय सदस्यों को इस विधेयक की हिन्दी व अंग्रेजी की प्रतिलिपि मिल चुकी है और मैं हर अनुच्छेद की व्याख्या करूं तो सदन का बहुत समय इस बात में चला जायेगा। इसलिए मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए यही निवेदन करूंगा कि आप अपने विचार प्रकट कर इस संविधान के 42वें संशोधन विधेयक, 1976, जो लोक सभा से पारित किया गया है और संविधान के 42 वें संशोधन विधेयक 1976 के रूप में राज्य सभा से पारित हुआ है, का अनुसमर्थन कर इस राजकीय संकल्प को सर्व सम्मति से मंजूर करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं इसे सर्व एवम् ऐतिहासिक महत्व का बिल मानता हूं क्योंकि इस प्रगतिशील संकल्प का अनुसमर्थन करने में भारत की तमाम विधान सभाओं में यह सदन सर्व प्रथम होगा कि जो इस संकल्प को सबसे पहिले अनुमोदित करेगा।

श्री अध्यक्ष: आपका यह बयान लिखित बयान की तारीफ में आता है इसलिए इसकी कापी दे दीजियेगा यहां पर।

श्री रामानन्द अग्रवाल: अध्यक्ष महोदय, वास्तव में इस सदन के लिए यह ऐतिहासिक एवं गौरवपूर्ण अवसर है जब कि यह सदन एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर आज विचार कर रहा है जिसका उल्लेख माननीय विधि मंत्री जी ने अपना प्रस्ताव रखते हुए किया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से इस संकल्प का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

अध्यक्ष महोदय, सदन में इस 44वें संशोधन विधेयक, जो 42 वें संशोधन विधेयक के रूप में पारित हुआ है लोक सभा और राज्य सभा में, का समर्थन करने के लिए मैं इसलिए खड़ा हुआ हूं कि बुनियादी तौर से जो मुख्य मुद्दे इस विधेयक में हैं वास्तव में इस देश की करोड़ों जनता जिस दिशा की ओर, जिस सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की ओर बढ़ना चाहती है इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य, इसकी मुख्य दिशा उन सामाजिक, आर्थिक, परिवर्तनों को करने में सहायता प्रदान करने में है। उसके बीच में जो बाधायें हैं, उन बाधाओं को हटाना है। एक बहस कुछ अर्से से इस देश में हमारी न्यायपालिकाओं या कुछ और विधि विशेषज्ञों ने इस बात को खड़ी कर रखी है कि इस देश के निर्माण करने, इस देश की दिशा निर्धारित करने का सर्वोच्च अधिकार संसद में निहित है अथवा यह न्यायपालिकाओं में निहित है।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात के लिए भी इसका समर्थन करता हूं कि यह विधेयक अन्तिम रूप से, निर्णायक रूप से इस बात को तय करता है कि हमारे देश की जनता का सर्वोच्च सत्ता संसद में निहित है और न्याय

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

पालिकायें थर्ड पावर के रूप में उनके ऊपर बैठ कर एक सर्वोच्च सत्ता का काम नहीं कर सकती हैं। इस विधेयक में साफ तौर से यह कहा गया है कि संविधान के संशोधन के संबंध में न्यायपालिकाओं को, चाहे वे सुप्रिम कोर्ट हो या हाईकोर्ट हो, विचार करने का अधिकार नहीं होगा। यह विधान का अंग है। विधान के अन्तर्गत जो कानून बनते हैं उन पर विचार कर सकती हैं लेकिन स्वयम् संविधान के ऊपर विचार करने का अधिकार उनको नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, इस संविधान संशोधन विधेयक में यह नहीं है कि हम इसको सम्पूर्ण रूप से, पूरी तरह से पूर्ण मानते हैं या कि जो भी कुछ पारित किया गया है उसमें कमियां नहीं हैं। कुछ को गलत नहीं मानते हों ऐसी बात नहीं है। इस संशोधन विधेयक में कुछ छोटे छोटे मुद्दे इस प्रकार के हैं जिनके ऊपर लोक सभा में असहमति जाहिर की है, विरोध भी किया है उसके अन्दर संशोधन भी रखे हैं लेकिन वे बहुमत से स्वीकार नहीं हुए लेकिन हम यह समझते हैं कि बुनियादी मुद्दे, जिनके लिए यह संशोधन विधेयक लाया गया है, की दिशा सही है, उसकी दिशा विकास की ओर और प्रगति की ओर है। इसलिए इन कमियों के होते हुए भी यह संशोधन विधेयक तृतीय वाचन के बाद राज्य सभा और लोक सभा में स्वीकार किया गया है, इसका पूर्ण उत्साह के साथ समर्थन किया है और इस लिए यहां पर भी उसका समर्थन करते हैं।

अध्यक्ष महोदय, पहली, मुख्य बात जिसका विवाद अनावश्यक तौर से हमारे देश में किया गया था, आया सुप्रिम कोर्ट को संविधान में संशोधन करने के अधिकार पर कुछ प्रतिबन्ध लगाने का उसको सीमित करने का अधिकार है ? अध्यक्ष महोदय, सुप्रिम कोर्ट के इस प्रकार के फैसले हुए हैं कि जिसमें इस प्रकार की व्यवस्था कर दी, पालियामेंट को यह कहा गया कि मौलिक अधिकारों के अन्दर परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है। अध्यक्ष महोदय, यह स्थिति पहली बार 1967 में गोलखनाथ केस में हुई थी।

इससे पहले स्वयं सुप्रिम कोर्ट में जितने भी फैसले हुए चाहे वह 1951 में शंकरी प्रसाद का केस था या 1965 में सज्जनसिंह का केस था उन दोनों केसेज में सुप्रिम कोर्ट ने पालियामेंट की सर्वोच्च सत्ता को स्वीकार किया। पालियामेंट द्वारा जितने भी संशोधन किये गये उनको स्वीकार किया है और पालियामेंट के संशोधन करने की शक्ति में किसी प्रकार की कोई बाधा डालने की कोशिश नहीं की है। परन्तु पहली बार सन् 1967 में गोलखनाथ केस में यह तय किया गया और उसमें भी, अध्यक्ष महोदय, 11 जजेज में से 5 जजेज इस फैसले के विरोध में थे और 6 जजेज फैसले के पक्ष में थे। एक जज के बहुमत से यह तय किया गया कि पालियामेंट को मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है। बहुत गम्भीर मामला उपस्थित हो गया। अध्यक्ष महोदय, मोनोपोलिस्ट्स इतनी शक्ति अर्जित किये हुए हैं और हम देश की गरीबी दूर करना चाहते हैं, गरीबी और अमीरी का फर्क दूर करना चाहते हैं। यदि आप मोनोपोलिस्ट्स के ऊपर कब्जा नहीं करेंगे और उनकी सम्पत्ति को गरीबों में बांटने की व्यवस्था नहीं कर सकेंगे तो देश को कैसे आगे बढ़ायेंगे ?

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

(व्यवस्था सूचक घण्टी)

अध्यक्ष महोदय, ...

श्री अध्यक्ष : आपसे नहीं । माननीय सदस्य आपस में बात न करें ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह बहुत अवांछनीय स्थिति पैदा हो गयी थी, . .

श्री अध्यक्ष : No talking.

श्री रामानन्द अग्रवाल : गोलखनाथ केस की वजह से । अध्यक्ष महोदय, उसके बाद केशवानन्द भारती का केस आया, जिसने खुद सुप्रिम कोर्ट ने यह निर्णय दिया उसमें गोलखनाथ केस में जो फैसला था उसको ओवर रूल कर दिया और यह तय किया कि पार्लियामेन्ट को मौलिक अधिकारों में भी संशोधन करने का अधिकार है । याने पहले वाले निर्णय का बेसिक स्ट्रक्चर ही बदल दिया । इस तरह की अपनी रूलिंग उन्होंने दे दी । अब वह बहस-तलब मुद्दा था वह बात अलग है लेकिन यह एक सन्देह की और संशय की स्थिति हमारे देश में फिर पैदा कर दी । कोर्ट यह तय करने लगी कि संसद को संविधान की धारा 368 के तहत पावर्स हैं इस प्रकार के संशोधन करने के, कोर्ट यह तय करने लगी कि मौलिक अधिकार, अधिकार नहीं है । अध्यक्ष महोदय, कुछ उधर से यह सवाल पैदा किया जाता है कि सुप्रिम कोर्ट में विधि विशेषज्ञ हैं और उनकी राय की कद्र करनी चाहिए । मैं यह निवेदन करूंगा कि गोलखनाथ का केस एक की मेजोरिटी से तय हुआ, 6 अगेन्स्ट 5 के और केशवानन्द भारती का केस भी एक की मेजोरिटी से तय हुआ 8 अगेन्स्ट 7 के । अब गणित का हिसाब भी लगायें तो पहला केस जो कि शुरू का केस था शंकरीप्रसाद वाला उसमें 5 जजेज थे जिन्होंने यूनेनीमसली यह फैसला दिया कि जो संशोधन किया है वह दुरुस्त है और संसद को अधिकार था । दूसरा केस जो सज्जनसिंह का था उसमें 3 अगेन्स्ट 2 ने फैसला दिया । 3, 5, 5 और 7 याने सुप्रिम कोर्ट के 20 जजेज की यह राय रही कि संसद को संशोधन करने के अधिकार हैं और केवल 2 जजेज सज्जनसिंह के केस में और 6 जज गोलखनाथ के केस में और 8 जजेज केशवानन्द के केस में याने 15 जजेज दूसरे रहे । 20 जजेज इस ओपीनियन के हैं कि पार्लियामेंट को सब प्रकार के संशोधन करने का अधिकार है और 15 जजेज-इस पक्ष के हैं कि संसद को इस मामले में अधिकार नहीं है । तो सुप्रिम कोर्ट के जजेज की राय भी बहुमत की राय है । विशेषज्ञों की राय का भी ध्यान रखा जाये तो मैं यह निवेदन करूंगा कि यह धारणा गलत है कि विधि विशेषज्ञ भी या सुप्रिम कोर्ट की मेजोरिटी भी इसको स्वीकार नहीं करती कि संसद को सर्वोच्च अधिकार नहीं है । यह जरूर है कि पर्टीकुलर बैंच में कुछ जज हुए, कुछ नहीं हुए–यह दूसरी बात है । इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि पालियामेंट की जो सुप्रिमेसी है, सोवरनिटी है वह इस बिल के द्वारा स्थापित हुई है जिसको मैं कोई नयी बात नहीं मानता । इस संशोधन के जरिये हम पार्लियामेंट को कोई नया अधिकार नहीं दे रहे हैं । दरअसल यह अधिकार पहले से ही निहित थे आर्टिकल 368 में । इसके बारे में कुछ जजमेंट हैं उनसे कुछ संदेह पैदा हो गए थे । अच्छी बात है कि संसद ने अधिकारों को असर्ट किया

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

है और इस संशोधन विधेयक में, बहस की गुंजाइश नहीं छोड़कर यह डिक्लेयर कर दिया है कि आर्टिकल 368 के तहत इस प्रकार संशोधन किये जा सकते हैं और सुप्रिम कोर्ट को उस पर विचार करने का अधिकार नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष : एक बात। नाम तो काफी आये हैं। आधा घन्टा आपके लिए काफी होगा। आप 15 मिनट बोल चुके हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन है कि केवल इस विषय के लिए सदन की कार्यवाही चल रही है।

श्री अध्यक्ष : कहीं ऐसा नहीं हो कि 2 घन्टा बोल जायें। इसलिए देख लें कि कम से कम कितना बोल सकते हैं। मैं रोकना नहीं चाहता। जितना कम से कम समय बोलें उतना अच्छा है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, यह डिबेट कल भी कन्टीन्यू करेगी तो दूसरे बिल को बहुत थोड़ा समय देकर पास कर देंगे। माननीय सदस्य जो भी बोलना चाहें उनको मौका मिले क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेन्ट विषय है। पार्लियामेंट में भी काफी नर्मी बरती गयी है।

श्री अध्यक्ष : बहुत से नाम आये हैं। इसलिए कह रहा हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा इसमें है, जिसकी वजह से हम इसका समर्थन करते हैं, वह यह है कि जो निर्देशक सिद्धांत हमारे संविधान के चेप्टर 3 में दिये गये हैं अभी इस संशोधन से पहले उन निर्देशक सिद्धान्तों के पीछे कोई कानूनी सैंक्शन नहीं थी। वह एक सजावटी घोड़ी की तरह थे जिसे शादी में आगे चला देते हैं केवल मात्र सुशोभित करने के लिए, कोई भी नागरिक या कोई भी संस्था यह नहीं कह सकती थी कि इस प्रकार से धन इकट्ठा हो रहा है कुछ हाथों में जैसा महालनवीस कमीशन ने कहा। तो हमारे कान्सटीटयूशन के तहत इसको हटा देना चाहिए। इस प्रकार की कोई सैंक्शन नहीं थी। इसके अन्दर मौलिक अधिकार, जो चेप्टर 4 में हैं उनके पीछे कानूनी सैंक्शन थी, आर्टिकल 32 में कि मौलिक अधिकारों का हनन होता हो तो आप कोर्ट में जा कर फरियाद कर सकते हैं रिलीफ प्राप्त कर सकते हैं। इसका नतीजा यह होता था कि एक इन्डीविजुअल द्वारा, एक इन्डीविजुअल के अधिकार की वजह से सामाजिक परिवर्तन के अन्दर रुकावट पैदा हो जाती थी। आज हम जिस तरह से कई मामलों को देख रहे हैं। राजाओं की जमीन लेने का कानून 1963 में पास हुआ था। इसके बाद वे हाई कोर्ट में चले गये और स्टे ले आये और 1970 तक भी उसका फैसला नहीं हो पाया। अब भी इस 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत उनकी जो जमीनें ली गई हैं कानून में परिवर्तन कर के तो भी वे हाई कोर्ट में पहुंच कर स्टे ले आये और मामला वहीं का वहीं रह गया। इस 20 सूत्री कार्यक्रम के बावजूद जमीनें राजाओं के हाथ में ही हैं। इसलिए इस कानूनी परिवर्तन आर्थिक परिवर्तन में बहुत बड़ा रोड़ा था। आज इस संविधान संशोधन के अन्दर यह बात सही तौर से दर्ज कर दी गई है कि अगर निदेशक सिद्धान्तों की पूर्ति के लिए कोई कानून बनाया जाता है तो

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

उस कानून को कोई भी कोर्ट अवैध घोषित नहीं कर सकेगी, यदि वह कानून उनके अधिकारों का भी हनन करता हो तो भी कोई परवाह नहीं है। निर्देशक सिद्धान्तों की पूर्ति में है तो उसको अवैध घोषित नहीं कर सकते। यह बहुत महत्वपूर्ण बात इस संविधान संशोधन विधेयक की है। हमारे सामने जो हर्डल हैं, जो हमारे सामने रुकावटें हैं इकोनोमिक, आर्थिक, सामाजिक परिवर्तन लाने में वह इसके जरिये दूर हो गई हैं। इस नतीजे से हम इससे आगे बढ़ सकेंगे।

तीसरी जो महत्वपूर्ण बात इस संशोधन विधेयक में है,वह प्रीएम्बल में 'समाजवाद' और 'धर्म निरपेक्षता' शब्दों का समावेश करने की है। हमारे देश में समाजवादी, धर्म निरपेक्ष, सार्वभौम प्रजातंत्र होगा, इस तरह का हमारा प्रजातन्त्र होगा–यह घोषणा हमने की है। देश के अन्दर बहुत बड़ी बहस इस बारे में हो रही है कि हमारे देश की दिशा क्या हो? आया कि हम अपने देश को पूंजीवाद की तरफ ले जायें या अपने देश में समाजवाद कायम करें। स्वर्गीय पं. जवाहरलाल जी नेहरू, हमारे देश में समाजवाद के बड़े योद्धा थे, उनकी यह बड़ी इच्छा रही, आजादी के पहले भी जब जब उन्होंने कांग्रेस की कमान संभाली थी तब यह कोशिश की कि इस समाजवाद के लक्ष्य को कांग्रेस वैधानिक तौर से स्वीकार कर ले। इस बात के लिये उन्हें संघर्ष करना पड़ा। आजादी के बाद जब वे देश के प्रधान मंत्री बने तब भी उनकी तरफ से इस बात के लगातार प्रयत्न किये गये लेकिन संविधान में वह बात नहीं जा सकी क्योंकि हमारे देश के नेतृत्व में क्लेरिटी नहीं रही, साफ तौर से वास्तव में यह बात नहीं रही कि हम देश के अन्दर समाजवाद लाएंगे और संविधान में इस तरह का कानूनी और वैधानिक प्रावधान कर लें। यही वजह थी कि देश के अन्दर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने खुद प्रधान मंत्री होते हुए भी देश की इच्छा और कांग्रेस का मकसद समाजवाद की तरफ जाने का होते हुए भी समाजवाद की घोषणा न कर सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी की आफिशियल तरीके से घोषणा की थी। लेकिन उसके बावजूद नतीजा क्या हुआ सन् 1965 में? 13 वर्षों में कुछ चन्द लोगों के हाथों में इस देश की 48 प्रतिशत सम्पत्ति इकट्ठी हो गई और गरीब लोग उलटे गरीब हो गये। 40 पर्सेन्ट लोग अब भी पावर्टी लाइन के नीचे थे। तो इस तरीके से इस देश के अन्दर पूंजीवाद पनप रहा था। समाजवाद की इच्छा का अब कानूनी तौर से, वैधानिक तौर से इसके अन्दर समावेश हो जाने पर, समाजवाद, धर्म निरपेक्षता, इनका समावेश हो जाने से यह कानूनी स्थिति बन गई है। अब यह केवल किसी पार्टी की घोषणा ही नहीं रह गई है कि कम्युनिस्ट पार्टी समाजवाद लाना चाहती है, या कांग्रेस समाजवाद चाहती है, या कम्युनिस्ट पार्टी धर्मनिरपेक्षता का उपदेश देती है या कांग्रेस देती है। अब इस संशोधन के बाद इस संविधान के प्रति सभी माननीय सदस्य, सारी जनता कृतज्ञ है, इसके प्रति शपथ लेती है इसके प्रति वफादार होना आवश्यक है। इसलिए अब यह सारे देश का निर्णय है, किसी एक व्यक्ति या किसी एक पार्टी का निर्णय नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, हम यह नहीं मानते हैं कि इन शब्दों का समावेश होने मात्र से देश में समाजवाद कायम हो जायेगा, या धर्म निरपेक्षता कायम हो जायेगी। इसके लिये लगा-

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

तार प्रयत्न करना पड़ेगा। सरकार के ऊपर भी जिम्मेदारी आ गई है। परन्तु एक संवैधानिक स्थिति पैदा हो गई है जिसके अनुसार अब इस देश में चलना होगा। उसके खिलाफ चलना, प्रचार करना, साम्प्रदायिकता का प्रचार करना, समाजवाद के खिलाफ प्रचार करना, यह सब संविधान के खिलाफ है और सरकार को उसके खिलाफ कानून बनाने और एक्शन लेने का अधिकार होगा। अब तक क्या हो रहा है, विश्वविद्यालयों में जो टीचर्स हैं, गवर्नमेंट एम्पलाइज हैं, वे अगर समाजवाद की बात करें या किसी आफिसर को धमकाता है जो यह कह दें वह पोलिटिक्स में हिस्सा लेता है—कम्युनिस्ट पार्टी या वाम पक्षी पार्टी का प्रचार करता है तो उसे आर. एस. आर. के तहत चार्ज शीट मिलने की गुंजाइश रहती है। अब इन शब्दों के समावेश होने के बाद तमाम टीचर्स की यह जिम्मेदारी हो गई है कि वे स्टूडेन्ट्स को धर्म निरपेक्षता, डेमोक्रेसी और इस संविधान के बारे में शिक्षा दें जो एग्जामिनेशन के सिलेबस हैं, वे अगर इसके खिलाफ हों तो गैर कानूनी, अवैधानिक हैं और उनको बदलने की आवश्यकता है। आज भी कितनी ही ऐसी टैक्स्ट बुक्स मिलेंगी, जिनमें समाजवाद की आलोचना की गयी है, समाजवाद रेजीमेंटेशन है, उसमें आजादी नहीं रहती है। इसलिए हमारे सामने जो माडल डेमोक्रेसी का है, वह अमेरिका का है या ब्रिटेन का है वैसे ब्रिटेन जो है वह डेमोक्रेसी की मदर है, यह हमारे कालेजों में पढ़ाया जाता है। मैं समझता हूं कि यह समझ पुरानी हो गई है। हमारे देश में से इस समझ को निकालना है कि इस किस्म की डेमोक्रेसी हो इस प्रकार की समझ नहीं होनी चाहिये बल्कि हमें अब समाजवाद की दिशा में देश को आगे बढ़ाना है। धर्म निरपेक्षता और डेमोक्रेसी का हमारा दृष्टिकोण हो। अध्यक्ष महोदय, समाजवाद और डेमोक्रेसी कोई अलग अलग चीज नहीं हैं। बिना डेमोक्रेसी के समाजवाद नहीं आ सकता और बिना समाजवाद के सही डेमोक्रेसी नहीं आ सकती, सेक्युलेरिज्म में डेमोक्रेसी का हिस्सा है। ये तीनों ही एक दूसरे के अंग हैं, हम इनको अलग नहीं मानते हैं। हम इनको समाजवाद के अंग मानते हैं। इनको समाजवाद का पूरक मानते हैं, हिस्सा मानते हैं। अब संविधान में इन चीजों के समावेश हो जाने से देश की एक दिशा निश्चित कर दी है। जो देश में समाजवाद लाने के लिये संघर्ष कर रहे हैं उनके लिये अब रास्ता आसान कर दिया है। इसलिये हम इसका समर्थन करते हैं।

अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन विधेयक में हाई कोर्ट या सुप्रिम कोर्ट को आर्टिकल 226 के तहत जो रिट जारी करने का अधिकार है, उसमें फण्डामेन्टल राइट का जहां हनन होता है, उसमें यह तीन शब्द जुड़े हुए थे 'or any other purposes'' इन तीन शब्दों की बुनियाद पर हाई कोर्ट, सुप्रिम कोर्ट किसी भी मामले पर रिट जारी करती थी और उससे सामाजिक परिवर्तन, जो लाना चाहते थे, उस में भारी रुकावट पैदा होती थी। वहां भी इस संशोधन विधेयक में इन शब्दों को हटा दिया गया है और दूसरे जो शब्द लगाये हैं, ऐसा कोई मामला हो जिसमें ग्रास इन्जस्टिस हो और जिसमें कहीं और रास्ता न मिले, दूसरा रिलीफ नहीं मिल सके तो ऐसे मामलों में कोर्ट्स उन पर विचार कर सकेंगी। मैं यह समझता हूं, यह अनुभव बताता है कि इस बात की पूर्ति होती नहीं है। हम भी यह मानते हैं कि इस प्रकार की कोई शक्ति तो

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

होनी चाहिए जिससे बिल्कुल निरंकुशता पर कुछ कन्ट्रोल किया जा सकें। लेकिन for any other purpose की जिस तरह से व्याख्या की गई है और जिस तरह से इसका इस्तेमाल किया गया है यह बड़ा काम्प्रिहेन्सिव है। इस पर रोक लगाना हम दुरुस्त समझते हैं, और इसलिए इस संशोधन विधेयक के हम पक्ष में हैं।

अध्यक्ष महोदय, इसमें कुछ नागरिकों के राइट्स के साथ-साथ ड्यूटीज भी जोड़ी गई हैं, दस ड्यूटीज इसमें जोड़ी गई हैं। हम यह समझते हैं कि वह सही दिशा में हैं।

अध्यक्ष महोदय, अब उन कुछ मुद्दों के बारे में भी हमें कहना है इस संविधान संशोधन का समर्थन करते हुए जो या तो इसमें रखे नहीं गये या गलत रखे गये हैं। उनके बारे में भी मैं अपने विचार व्यक्त करना आवश्यक समझता हूं।

सबसे पहली बात तो यह है, अध्यक्ष महोदय, समाजवाद की बात को स्वीकार कर लेने के बाद फण्डामेन्टल राइट्स में प्रापर्टी राइट्स को कायम रखा है, यह बिल्कुल असंगत बात है। इसलिए हमारा यह ख्याल है कि मूल अधिकारों के चेप्टर में से सम्पत्ति का अधिकार निकाल दिया जाय। इसका मतलब यह नहीं है कि हमारा दल यह मानता है कि सम्पत्ति किसी की हो ही नहीं, प्राइवेट सम्पत्ति बिल्कुल हो ही नहीं, इसके हम खिलाफ हों। हम उस चेप्टर के, जो चेप्टर (4) है जिसमें वह मूल अधिकार के रूप में आता है, खिलाफ हैं। प्राइवेट सम्पत्ति तो सोशियलिस्ट देश में भी है। इस प्रकार की सम्पत्ति, जो अपने घर पर इस्तेमाल कर सके, वहां पर भी मौजूद है और हम मानते हैं कि हिन्दुस्तान में भी, समाजवाद में, उसी तरह की प्राइवेट प्रापर्टी हो, सम्पत्ति उस हद तक हो, जिसको एक्सप्लाइट नहीं किया जा सके, जो प्रोडक्शन का आधारभूत न हो। इस प्रकार की प्राइवेट प्रापर्टी हो, लेकिन उसको बुनियादी अधिकार का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए ताकि कोई दिक्कत न आये सामाजिक परिवर्तन में। एक तो हम यह चाहते थे जो इसमें नहीं किया है।

दूसरा हम यह चाहते थे कि मूलभूत अधिकारों में राइट टू वर्क हो, हर आदमी को कार्य मिले। यह राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए। यह इसके अन्दर आना चाहिए, क्योंकि समाजवाद के बुनियादी सिद्धान्त में हर व्यक्ति को काम देने का और हर व्यक्ति को काम करने का, यह दोनों बातें लाजिमी हैं। इसलिए मेरा यह निवेदन करना है कि इसका अभाव भी अखरने वाला है।

तीसरी बात जो हम इसके अन्दर जरूरी समझते हैं वह नहीं आई है। राष्ट्र विरोधी कार्यवाहियों की परिभाषाएं की गई हैं–राज्य-विरोधी कार्यवाही रोकनी चाहिए, उनकी परिभाषा होनी चाहिए इससे हम सहमत हैं। आर. एस. एस., जमायते इस्लामी, आनन्दमार्गी इनको गैर कानूनी किया गया है। आप जानते हैं, अध्यक्ष महोदय, इस सदन में बार बार इस बात के लिए आवाज उठाई है, और आगे भी इस प्रकार की व्यवस्था रहना आवश्यक है कि गैर-कानूनी होने के बाद भी बहुत से ऐसे लोग उच्च पदों पर बैठे हुए हैं, जिनका

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

विद्यालयों में बैठे हैं। इस बात पर विचार इस सदन में भी हुआ है। हमारा एतराज इस बात पर है कि इस तरह से इसमें 'राष्ट्र विरोधी कार्यवाहियों' शब्दों की जो व्याख्या की गई है वह इतनी काम्प्रिहेन्सिव है कि मजदूर वर्ग, जो समाजवाद का वाहक है, लाने वाला है, की गतिविधियां जो भी हों, जब मालिकों से झगड़ा हो जाय, उसके बारे में वह एक्शन लें, डिमान्सट्रेशन करें, हड़ताल करें, तो राष्ट्र विरोधी कार्यवाही कह कर उसके ऊपर रुकावटें या पाबन्दी लगा दी जाए, इस प्रकार की सम्भावनाएं इसमें हो सकती हैं। वैसे पालियामेंट में लॉ मिनिस्टर ने और माननीय प्रधान मंत्रीजी ने इस बात का आश्वासन दिया कि इस प्रकार की सम्भावनाएं पैदा नहीं होंगी, लेकिन यह संविधान है। पालियामेंट में लॉ मिनिस्टर या प्रधान मंत्री, जो आज हैं, उस बात की गारन्टी नहीं दे सकते। यह हमेशा के लिए है और कम से कम जब तक बदलाव न हो तब तक के लिए यह कानून है। इसलिए इस कानून में ही इस प्रकार का संशोधन आ जाता और संविधान में ही इस प्रकार की व्यवस्था हो जाती तो इस तरह की गुन्जायश नहीं रहती। प्रोविजो लगाकर उसको भी रख देते तो उसके अन्दर दिक्कत नहीं होती। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, हमारा यह कहना है कि इस संशोधन विधेयक में यह खामियां हैं जिनके कारण समाजवाद के साथियों पर भी संविधान के जरिये कोई सरकार हमला कर सकती है।

इसके अतिरिक्त, अध्यक्ष महोदय, इसमें कुछ ऐसी भी प्रोविजन्स हैं जैसे आर्मी को भेजने का प्रान्तों में किन्हीं हालातों के अन्दर, ऐसी व्यवस्था की गई है। हमारा यह कहना था कि वह अधिकार केन्द्र को ही होना चाहिए, लेकिन उसमें जो प्राविन्शियल आटोनामी है स्टेट गवर्नमेन्ट्स की, उनकी भी राय, सलाह-मशविरा उसके अन्दर होनी चाहिए। प्राविन्शियल आटोनामी खत्म न हो, यूनिटेरी फार्म आफ गवर्नमेंट न हो, फेडरल स्टेटस हमारा कायम रहे, इसमें फर्क न हो। यह हम चाहते थे कि इस प्रकार का कुछ होना चाहिए। तो यह कुछ मोटे मुद्दे हैं जिनके बारे में हमें कहना है।

इसके अलावा लोक सभा और विधान सभाओं की उम्र 5 साल के बजाय 6 साल की कर दी गई है। इसका कोई औचित्य हमें नजर नहीं आता है, सिवाय इसके कि किसी ज्योतिषी ने कह दिया हो कि 5 का अंक ठीक नहीं है और 6 का अंक शुभ होता है। वरना जो 5 साल चल रहा था उसमें परिवर्तन करने की बात समझ में नहीं आई। इससे कम से कम लोगों में इस प्रकार की भ्रान्तियां नहीं होतीं कि 5 के बजाय 6 साल किया तो आगे जाकर, 7 साल कर देंगे। इससे एक अनिश्चितता, अनावश्यक रूप से उनमें फैल सकती है। इससे, कोई बुनियादी परिवर्तन नहीं होने वाला है। इससे कोई सामाजिक और आर्थिक क्रान्ति लाने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको मैं बेकार अननेसेसरी तरीके से डाउट्स क्रियेट करने वाली बात समझता हूं।

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ हमें इस बात की खुशी है कि इस संविधान संशोधन विधेयक की बहस के समय और उससे पूर्व भी रूलिंग पार्टी ने मजबूती से और प्रधान मंत्री जी ने मजबूती से कुछ ऐसे विचारों के

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

खिलाफ कहा है, जिनके द्वारा प्रजातन्त्र के नाम पर क्रांति लाने की कोशिश की जाती है, जिस तरह से जे. पी., जयप्रकाश जी ने सम्पूर्ण क्रान्ति के नाम से, बेसिक डेमोक्रेसी के नाम से, प्रतिक्रान्ति करने की कोशिश की। इस प्रकार से हमारे देश में यह बहस उठी कि यह पार्लियामेन्ट्री सिस्टम आफ गवर्नमेंट, संसदीय प्रणाली है प्रजातन्त्र की यह हमारे देश को सूट नहीं करती है। जयप्रकाश जी ने इसको महत्त्व क्यों दिया ?

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

अध्यक्ष महोदय, मैं इस पाइंट पर कहकर बैठ जाऊंगा।

अध्यक्ष महोदय, इसका कम से कम इस ओर बैठने वाले और सी. पी. आई. वालों ने, जो इस बात को समझते थे, मिल कर मुकाबला किया। वह कहते थे कि संसदीय प्रणाली बेकार है, विधान सभाएं बेकार हैं, लोक सभा बेकार है इनको तोड़ दें। उसके लिए गुजरात और बिहार में उन्होंने कोशिश की। हमने और आपने मिलकर उसका मुकाबला किया, उसको रोका। लेकिन इसी बात के लिए कि संसदीय प्रणाली हमारे देश को सूट नहीं करती है दूसरी ओर से आवाज उठाई गई। अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा खेद है कि अब की बार भी वही लोग जो इस आवाज को बाहर उठाते थे अब रूलिंग पार्टी के अन्दर घुसकर कुछ उसी तरीके से कहते हैं, उस आवाज को उठाते हैं जब कि इस संविधान संशोधन विधेयक के बारे में जो सिफारिशें थीं, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने जो स्वर्णसिंह कमेटी बनाई उस कमेटी ने मन्जूर कर लिया, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने मन्जूर कर लिया और सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने मन्जूर कर लिया और उस बिना पर यह विधेयक बना। अध्यक्ष महोदय, लोकसभा के अन्दर यह विधेयक इन्ट्रोड्यूज हो गया और जब 25 अक्टूबर को इस विधेयक पर विचार करने वाले थे तो वह सवाल फिर उठा और उस आवाज को दूसरे तरीके से उठाने की कोशिश की गई कि हमारे देश में प्रेसीडेन्शल फार्म आफ गवर्नमेंट होनी चाहिए। खास तौर से रूलिंग पार्टी के माननीय सदस्य इस बात को जानते हैं कि एक विधान तैयार किया गया जिसके अन्दर प्रेसीडेन्शल फार्म आफ गवर्नमेंट सजेस्ट की गई, और आपके चण्डीगढ़ अधिवेशन में उसको रिजेक्ट कर दिया गया। इसको हमने अखबारों में पढ़ा। प्रधान मंत्रीजी ने बड़ी मजबूती से यह कहा कि हमारे देश के अन्दर प्रेसीडेन्शल फार्म आफ गवर्नमेंट नहीं चल सकती है, क्योंकि इस देश में विभिन्न धर्म हैं, इस देश में विभिन्न बोलियां हैं। एक आदमी के राज्य को इस तरीके से लोग स्वीकार नहीं कर सकते हैं। इससे पेसीफेरेश, फूट पड़ने की टेन्डेन्सी फैलेगी।

अध्यक्ष महोदय, आश्चर्य की बात यह है कि ए. आई. सी. सी. की वर्किंग कमेटी ने, हाई कमाण्ड ने, सेण्ट्रल गवर्नमेंट ने जब स्वर्णसिंह कमेटी की सिफारिशों पर अपनी मुहर लगा दी, उनकी सेंक्शन हो गई, कांग्रेस हाई कमाण्ड का सक्यूलर जारी हो गया कि पी. सी. सी. और जिला परिषदों के सदस्य मिलकर उनका समर्थन करें तो अचानक ही दिल्ली में 14 अक्टूबर को एक मीटिंग हुई। वह मीटिंग कांग्रेस हाई कमाण्ड

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

की तरफ से नहीं, कांग्रेस की तरफ से नहीं थी, आश्चर्य है कि उसमें केन्द्रीय केबिनेट के मंत्री भी शामिल होते हैं और यह कहते हैं कि इस संविधान संशोधन पर विचार नहीं करने दिया जाए। इसको डेफर कर दिया जाए। इसके लिए कान्स्टीटुएण्ट असेम्बली की मांग की जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं तो बधाई देना चाहूंगा राजस्थान कांग्रेस की लीडरशिप को और कांग्रेस दल को, जो इन यू.पी. बाजी में नहीं पड़े। यू. पी., पंजाब और हरियाणा, इन तीन स्टेट्स ने सैन्ट्रल गवर्नमेन्ट, कांग्रेस हाई कमाण्ड और कांग्रेस के उस सक्यूंलर की परवाह नहीं करते हुए रिजोल्यूशन पेश कर दिया। जहां तक मेरी जानकारी में आया है, स्वर्ण सिंह पंजाब में गये। उनकी परवाह नहीं की। प्रस्ताव पेश किया। स्वर्णसिंह ने पूछा, यह कहां से आ गया तो कहा, यह ऊपर से आया है। स्वर्णसिंह ने कहा कि ऊपर से तो मैं आया हूं। उसके बावजूद स्वर्णसिंह को बोलने नहीं दिया गया। बाद में, जैसा कि उनका मन रह गया, वह बोले। यह कोशिश की गई कि संविधान संशोधन विधेयक पास न हो। पेश होने के बाद उसको डेफर कर दिया जाय। कान्स्टीटुएण्ट असेम्बली के 5 वर्ष तक चुनाव नहीं कराये। उस रिजोल्यूशन को माननीय सदस्यों ने पढ़ा होगा। वह जय प्रकाश नारायण की भाषा नहीं है। वह वाम पन्थियों की भाषा से ओतप्रोत है। वह सी. पी. एम. की भाषा हो सकती है। मुझे जानकारी मिली है कि सी. पी. एम. के साथियों ने समर्थन किया था। प्रस्ताव की भाषा है कि यह संशोधन विधेयक नाकाफी है। हमारे देश का गरीब बहुत दुखी है। उसका माउथपीस बना 'ब्लिट्ज'। उसने 16 अक्टूबर को कह दिया कि संशोधन विधेयक होलपोल है। 14 अक्टूबर को मीटिंग हुई। 16 अक्टूबर को ब्लिट्ज कहता है। दोनों का मेल खाता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, उधर बैठने वाले माननीय सदस्यों पर और हमारे ऊपर एक विशेष जिम्मेदारी है। हमने और आपने मिलकर, जागरूक होकर इसका मुकाबला किया है। लेकिन प्रतिक्रियावादी शक्तियां खत्म नहीं हो गई हैं। जिन माननीय सदस्यों ने सोचा हो, चाहे वह चन्द्रशेखर हों और चाहे वह कोई और हों, मैं दूसरे का नाम नहीं जानता हूं, प्रधानमंत्री ने ऐन वक्त पर उसको ग्रास्प कर लिया। मेरी जानकारी है, अध्यक्ष महोदय, इसके पीछे न केवल यही लोग थे बल्कि इस देश का मोनोपोलिस्ट, के. के. बिरला, भी इसके पीछे था। के. के. बिरला और सी. आई. ए. का इम्पेरियलिज्म आने वाला है, इसकी आप लोग कल्पना कर सकते हैं। जे. पी. के खतरे को हमारे राष्ट्र में काफी देर से महसूस किया गया। काफी देर से इस बात को गम्भीरता से महसूस किया गया है। आज जो लोग संसदीय प्रणाली के खिलाफ हैं, जो समाजवाद के खिलाफ हैं वह यह सोचते हैं कि संशोधन विधेयक पास न हो। उन्होंने कहा है कि कान्स्टीटुएण्ट असेम्बली के चुनाव जब तक नहीं हों, यह संशोधन विधेयक मन्जूर होना सम्भव नहीं है। उन महात्माओं ने, जो अपने को क्रान्तिकारी कहते थे, कान्स्टीटुएन्ट असेम्बली की बात उठाई। दोनों की बात मिल गई। उधर से जनसंघ, कांग्रेस के लोग और इधर से सी. पी. एम. इसी

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
बात को कह कर कान्स्टीटुएन्ट असेम्बली बुलाने की बात करने लगे। सब की बात मिल गई कि संशोधन को मंजूर नहीं किया जाये, जितना टाला जा सके, उतना टाला जाये। मैं खास तौर से, अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के माननीय सदस्यों को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने राजस्थान के नाम को ऊंचा किया है। मुझे पिछले दिनों दिल्ली जाने का मौका मिला। मुझे इस बात की बधाई मिली कि राजस्थान के लोगों ने बहुत बधाई का काम किया है। उन्होंने यह बहुत अच्छा किया कि इस ट्रेप में नहीं पड़े। यहां पर भी वह लोग आये थे लेकिन इस तरह के विचार को यहां पर ठुकरा दिया गया। इसके लिए मैं समझता हूं कि राजस्थान कांग्रेस के विधान सभा सदस्य, पी. सी. सी. के सदस्य, जिला परिषद् के सदस्य, पंचायत समितियों के सदस्य, जो भी यहां पर मौजूद थे, सभी बधाई के पात्र हैं। इस बधाई के साथ-साथ आप पर एक जिम्मेदारी भी है। वह यह है कि यह लड़ाई समाप्त नहीं हो गई है। अभी भी हम चर्चा सुनते हैं कि गोहाटी सेशन में फिर इस सवाल को उठाया जाएगा। जे. पी. की लड़ाई तो खत्म हो गई है लेकिन इन लोगों से हमें सावधान रहना है। अब कहते हैं कि हम जल्द बाजी कर गये। 14 तारीख को प्रधान मन्त्री अफ्रीका के दौरे पर थीं। उनके पीछे यह खिचड़ी पकाई गई है। प्रधान मंत्री का नाम लेकर कहा गया है, जब कि उनका कोई वास्ता नहीं था। प्रधान मंत्री के नाम से इस प्रकार का षड्यन्त्र हो सकता है। मैं निवेदन करता हूं कि बंगला देश से हमको सबक सीखना चाहिए। वह लोग मुजीब के खिलाफ चुनाव में बहुमत में नहीं आ सकते थे। इस तरह से उन्होंने प्रधान मंत्री का नाम लेकर बेवकूफ बनाया। इस तरह से लोग करें तो यह एक गम्भीर मामला है। हम इस प्रकार की चर्चा सुनते हैं . . .

श्री फूलचन्द जैन : आप यह किस जानकारी के आधार पर बोल रहे हैं। हमको तो कुछ मालूम भी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, हमारे देश की संसदीय प्रणाली के लिए यह संशोधन विधेयक है। इसके लिए डाइवर्सिव टैक्टिक्स हो रही हैं। तो हम और आप मजबूत रहेंगे तो आगे भी मुकाबला कर सकेंगे। इन बातों का हम प्रयत्न करें ताकि हम देश में संसदीय प्रणाली को मजबूत बना सकें। देश में समाजवाद की धारा लाई जा सके और जो देश में राष्ट्रपति शासन के नाम को, एक व्यक्ति के शासन और डिक्टेटरशिप की बात कर रहे हैं उनको उसी दृष्टि से देख सकें। इन शब्दों के साथ मैं इसका पूर्ण समर्थन करता हूं।

श्री नारायण सिंह (मसूदा) : अध्यक्ष महोदय, . . .

श्री गुरदयाल सिंह सन्धु : अध्यक्ष महोदय, मैं बोलना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : आप जितना चाहें बोल लें। पहिले यह बोल लें। एक इधर से और एक उधर से।

Page No 25

(25)

श्री गुरदयाल सिंह सन्धु : इसका हमें विरोध करना है और विरोध में मैं वाक आउट करता हूं और मेरे साथी भी। (श्री गुरदयाल सिंह सन्धु का संसोपा सदस्यों सहित बहिर्गमन)

श्री नारायण सिंह मसूदा (मसूदा): अध्यक्ष महोदय, यह संविधान का 44 वां संशोधन है। इससे पहिले 43 संशोधन हो चुके हैं और 43 संशोधन हुए, जो इस 44 वें संशोधन में कानाफूसी चली है वह कानाफूसी उन संशोधनों के वक्त नहीं हुई। केवल जिस वक्त यह 44 वां संशोधन हमारे सामने आया तब किसी ने कहा, जैसा अभी श्री रामानन्द जी ने कहा है, कान्स्टीट्युएण्ट एसेम्बली बने, किसी ने कहा कि प्रजातन्त्र का हनन होने वाला है, किसी ने कहा कि ज्युडिशियरी पर घात हो रहा है इत्यादि। मैं निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, हमारे संविधान के अन्दर 368 आर्टिकल के अन्तर्गत जिस प्रकार से संशोधन करने की प्रक्रिया है उसी के अन्तर्गत यह 44 वां संशोधन भी हो रहा है। सारे संविधान में कहीं भी कोई भी आर्टिकल मुझे नजर नहीं आता कि जो इस संविधान के किसी भी अंग में हमारे संशोधन अधिकार के खिलाफ इशारा करता हो या जो किसी भी प्रकार से इस 368 आर्टिकल के अन्तर्गत न आता हो। इस 368 आर्टिकल के अन्दर क्लाज 5 मे, शायद गलत न हूं तो साफ बताया गया है कि किन-किन विषयों को विशेष महत्व दिया जाकर और संसद के दोनों हाउसेज के पास करने के बाद अधिकांश विधान सभाओं द्वारा उसका अनुमोदन कराया जाये। कभी-कभी जब मैं लोगों से बातें सुनता हूं और उन लोगों से जो कानूनदां हैं, कानून के पण्डित हैं, जजेज का नाम नहीं लेना चाहता, कन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का हमेशा खतरा रहा है ...

श्री रामानन्द अग्रवाल : यहां नहीं है।

श्री नारायण सिंह मसूदा : मैं तो कहता हूं न्याय पण्डित। बड़े बड़े न्याय पण्डितों से मैंने बातें सुनीं, संविधान के मौलिक प्रस्तावों को बदला जा रहा है। और डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल्स ? उनके साथ में हर एक चीज रिलेट करने की बात कही, तो कहा कि डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल एक पायस रिजोल्यूशन है। मेरी समझ में नहीं आता इस प्रकार कैसे कहा जाता है। किसी भी कानून के बनाने में कोई भी धारा या आर्टिकल हो, सेक्शन हो, एक दूसरे से सम्बद्ध हैं। केवल सत्यनारायण की कथा की तरह सुनते जायें और केवल 'हरे !हरे !' के सिवाय कुछ नहीं कह सकें ऐसा कुछ नहीं। मैं तो समझता हूं जो भी कानून बनता है, उस कानून की एक एक धारा, एक एक चैप्टर, एक एक खण्ड एक दूसरे से सम्बद्ध होते हैं। तो इस प्रकार की बातें जब हमारे सामने आती हैं और जब हम हमारे संविधान को देखते हैं तो किसी भी संवैधानिक संशोधन के लिये कान्स्टीट्युएन्ट असेम्बली बनाने की या आम जनता की राय जानने की प्रक्रिया करने का कोई भी प्रावधान नहीं है। तो मुझे समझ में नहीं आता कि इस संशोधन के साथ किस बात का एतराज किया जा सकता है ? जिस समय मध्यावधि चुनाव हुए हमारी प्रधान मंत्री ने कहा था कि संविधान के मौलिक स्ट्रक्चर में परिवर्तन करना है। चुनाव में बहुमत प्राप्त हुआ उसके साथ यह मेन्डेट, यह जनता की

Page No 26

(26)

(श्री नारायण सिंह मसूदा)

राय इस विषय में स्वतः सिद्ध हुई कि कुछ मौलिक संशोधन किये जायें। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे संविधान की भूमिका को सही समझा जाये। वह साम्राज्यवादी वसीयत की और पूंजीवादी वातावरण की प्रेरणा की प्रबलता थी जब यह संविधान बना। बुनियादी अधिकारों का जहां तक सवाल आता है उसके लिये मैं निवेदन करना चाहता हूं। रूसो (Rousseau) का सिद्धान्त नेचुरल राइट्स (Natural rights) निकला था केवल फ्रांस की साम्राज्यशाही के, तानाशाही के खिलाफ और उससे प्रेरित होकर वह आगे चला। उसने अमेरिकन कान्स्टीट्यूशन में प्रवेश पाया और जगह भी प्रवेश पाया। वहां से हमारे यहां आया तो उसके अन्दर जो तत्व आ गये हैं वे केवल उस वातावरण के कारण आये जिस वातावरण के लिए मैं कह रहा हूं वह साम्राज्यवादशाही और पूंजीवादशाही के वातावरण की देन कहा जा सकता है। इसीलिये उन बुनियादी अधिकारों में एक ऐसा अधिकार भी आ गया जिस अधिकार को देने में उस समय फिक्र नहीं थी जब हमारा संविधान बना। अंग्रेज जिस वक्त राज करते थे कोई पूंजी की हकदारी का कानून नहीं था। बिना उसके जो पूंजी जहां थी वहां थी और जहां नहीं थी वहां नहीं थी हमारी प्रक्रिया तब तक इसी प्रकार चलती रहेगी जब तक मूलाधार समाज का पूंजीवादी रहेगा; जहां मेरी रोजी और रोटी का सवाल मेरी योग्यता के अनुसार नहीं है, जहां मेरे बच्चों को एजूकेशन फ्री नहीं मिल सकती, फ्री मेडिकल एड नहीं मिल सकती, ओल्ड एज पेन्शन नहीं मिल सकती और खुद का स्टेन्डर्ड सोसाइटी में पूंजी के साथ पहचाना जाने वाला है। फिर भी यदि पूंजी की धारा यहां से हटा दी जाये तो मैं कुछ एतराज की बात नहीं समझता और न ही खतरे की बात समझता हूं। चालू दूसरे कानून ही इसके लिए काफी है। समय के साथ परिवर्तन हुए हैं और हो रहे हैं लेकिन आज जब यह 44वां संशोधन संविधान में हो रहा है तो इसके विषय में कई प्रकार की बातें और शोर-गुल हुआ है। मैं यह भी निवेदन कर देना चाहता हूं कि संविधान में 44 वां संशोधन हुआ तो वह इसलिए हुआ कि हमारे न्याय पण्डितों ने, जिन्होंने ब्रिटेन और अमेरिका के कान्स्टीट्यूशन से प्रेरणा ली और उन्हीं प्रेरणाओं के ऊपर चला, हमारे संविधान को पूरी तरह से न समझ कर आगे चलने की कोशिश की। हमारा संविधान एक्सप्रेशन ऑफ पिपुल्स विल है। उस एक्सप्रेशन ऑफ पिपुल्स विल को इन्टरप्रेट करने में जो लोग आज ऐसा सोचते हैं कि जो जनता के चुने हुए व्यक्ति हैं उनको इनडाइरेक्टली या एक ही कलम की टक्कर से हटाया जा सकता है। तो ऐसी कानूनी व्यवस्था को प्रजातंत्रीय नहीं समझ सकता। ऐसी न्यायपालिका को मैं अधिक महत्व देने को तैयार नहीं हूं। मैं इसी सन्दर्भ में यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमने अमेरिका के फेडरल सिस्टम से भी प्रेरणा ली है, लेकिन वह उससे भी पूर्ण प्रेरित नहीं। वहां का संवैधानिक इन्टरप्रिटेशन हम जस्टिस वारेन का ही देखें तो उन्होंने वहां के निग्रोज को भी बिना संविधान के बदलाव के अधिकार अपने इन्टरप्रिटेशन से ही दे दिये। आज अगर हमारे न्याय पण्डित ऊंची कुर्सी पर बैठे हुए हैं, जो गजेन्द्रगड़कर की सलाह को ही मानते हों कि संविधान एक्सप्रेशन आफ पिपुल्स विल है तो उनको

Page No 27

(27)

(श्री नारायण सिंह मसूदा)

सामयिक बदलाव को मद्दे नजर रखते हुए ही और संविधान के परपज को पहचान कर इन्टरप्रेट करना चाहिए। किसी प्रावधान को पायस रिजोल्यूशन न मानकर हर एक चीज को रिलेट करके, उसका उसमें कन्सट्रक्शन बिठाकर इन्टरप्रेट किया जाना चाहिए। डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल्स में संकेत है कि समाजवादी कल्याणकारी व्यवस्था की ओर अग्रसर होंगे। लेकिन हमारे न्याय पंडितों की प्रेरणा थी साम्राज्य-शाही और पूंजीशाही और उनका इन्टर-प्रिटेशन लचीला जनमानस के साथ, संविधान की मूल मंशा के साथ नहीं था इसलिए हमको सेक्यूलर और सोशल शब्द जोड़ने पड़े और भी बदलाव लाने पड़े। यह सामयिक भी था। इसी प्रकार से डाइरेक्टिव प्रिन्सि-पल्स में भी कारखानों के मैनेजमेन्ट आदि में मजदूरों को भाग मिलना चाहिए चाहे वह प्राइवेट सेक्टर का हो या पब्लिक सेक्टर का हो, न्याय सस्ता हो और लीगल एड गरीब को सुलभ हो, इस तरह की कुछ चीजें भी जोड़ी गई। वह इसलिए जोड़ी गयीं कि उन न्याय पंडितों को, जो कि इस पूंजीशाही न्याय पद्धति से अभिभूत हैं और रंगे हुए हैं, यह बार-बार इंगित किया जाये कि इसका यह मतलब है, इसका यह मतलब है। इसलिए कई चीजें नहीं जोड़ने की आवश्यकता होते हुए भी जोड़नी पड़ीं। आज हमारे संवि-धान में जहां मैं बुनियादी राइट्स की बात कह चुका हूं वह हैं, वहां बुनियादी दायित्व भी इसके अन्दर जोड़ दिये गये हैं। वह इस-लिए कि आज भी भारत का नागरिक अपने आपको भारत का नागरिक समझता है इसमें मुझे शंका है। बीच के समय में प्रजातन्त्र का जो मखौल हुआ था, मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। चुने हुए लोगों का घेराव करने की बात हुई, सम्पूर्ण क्रान्ति की बात में जो कुछ हुआ मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता। मैं केवल यही निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे चीन आक्रमण करे या कोई करे हम छोटी-छोटी बातों में उलझे रहते थे इसलिए राष्ट्रीय नागरिकता की तरफ ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता पड़ी और इसलिए बुनियादी अधिकारों के साथ-साथ बुनियादी दायित्व भी आये। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज भी हम सोचते हैं कि नर्बदा विवाद है, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में कावेरी का विवाद है और किसी नदी का या राजकीय सीमा का विवाद है तो यह समझ में नहीं आता कि देश एक हो गया है या अनेक हो गया है। इस देश में नदी या सीमा का विवाद कोई लोहे की लकीर हो गया है। व्यष्टि में समष्टि का रूप हमारा बेडौल ढांचा नहीं दे पाता इसलिए नागरिकों का नागरिकता की तरफ ध्यान दिलाया गया।

(12.44)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन सब बातों के विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। मैं खास तौर से जो खास मुद्दा है उसके ऊपर प्रकाश डालना चाहूंगा। इसीलिए बुनियादी अधिकारों के साथ साथ बुनियादी दायित्वों का जिक्र किया गया है। जो लोग यह कहते हैं कि इससे प्रजातन्त्रीय व्यवस्था का हनन हुआ है मैं उनसे अर्ज करना चाहता हूँ

(श्री नारायण सिंह मसूदा)

कि स्वर्णसिंह समिति की रिपोर्ट के पहले, प्रारम्भिक कथन में ही यह लिखा हुआ है कि हम पार्लियामेन्ट्री पद्धति को कायम रखते हुए समाजवाद लाना चाहते हैं। प्रिएम्बल में भी 'सोशलिज्म', 'सेक्यूलर' आदि शब्द जोड़े हैं, यह उसी कान्स्टीट्यूशन के साथ जोड़ दिए हैं जिस कान्स्टीट्यूशन के अन्दर हमारे लेजिस्लेचर और पार्लियामेन्ट्री पद्धति की हर व्याख्या मौजूद है। उनका हनन नहीं किया गया है। इसलिए यह कहना गलत है कि प्रजातन्त्रीय व्यवस्था का हनन किया गया है। गरीबों को पूरा पूरा न्याय मिल सके, वास्तविक न्याय मिल सके, इस पूंजीवाद के खिलाफ जो वातावरण बीच में यह बना था कि गरीब अधिक गरीब होता जा रहा है और अमीर अधिक अमीर होता जा रहा है हमारी पालिसी से, इसलिए उसको अधिक प्रजातन्त्रीय बनाने के लिये संविधान में यह संशोधन लाया गया। इसके साथ साथ यह भी हुआ कि ट्रिब्यूनल बनाये गये। किस विषय पर बनाये गये जमीन के विषय में, मजदूरों के विषय में, आवश्यक चीजों के वितरण के विषय में, सरकारी नौकरों के विषय में–इस प्रकार के विषय के अन्दर जो कि जरूरी हैं, जन सामान्य के लिए जरूरी हैं। फ्रेन्च ट्रिब्यूनल पद्धति से हमने इस बात की प्रेरणा ली है। जो बड़े बड़े पालिटिकल पंडित हैं उन्होंने कहा है कि फ्रेंच ट्रिब्यूनल ने बहुत क्षमता से काम किया है, उन्होंने एक्सपर्टाइज से बहुत अच्छा काम दिखाया है। आज ट्रिब्यूनल इसलिये बन रहे हैं। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, विजयनगर काटन मिल्स के विषय में जानता हूं जिसको विजय काटन मिल्स कहते हैं। उसके लाक-आउट होते रहे और सेठ से मजदूर लड़ते रहे, हाई कोर्ट और सुप्रिम कोर्ट तक पहुंचते रहे लेकिन इतना कुछ करने पर भी वह मिल नहीं खुला, मजदूरों को मिनिमम मजदूरी भी अटक-भटक कर मिली और उनको कितनी तकलीफ उठानी पड़ी। जब तक केन्द्र ने उसको अपने हाथ में नहीं लिया, बेरोजगारी बढ़ती गई और बहुत से मजदूर निराश और हताश हो गये। वे मजदूर नेताओं को गालियां निकालते रहे। यह सब इस प्रकार की न्याय पद्धति के कारण हुआ। इस प्रकार से सुलभ और सस्ता न्याय नहीं मिल सकता। ट्रिब्यूनल से मिल सकता है। परन्तु मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक चौकसी इस बात के लिए आवश्यक है, जहां नागरिकता की ओर इशारा किया गया है वहां हमारी राष्ट्रीयता और नागरिकता में फर्क पाते हैं तो वहां इस बात की भी चौकसी करने की आवश्यकता है कि ट्रिब्यूनल का पर्सनल कौन बनावें? मैं कहूंगा कि केन्द्रीय सलेक्शन कमेटी की व्यवस्था होनी चाहिये जिसमें जूरिस्ट्स हों, लेजिस्लेचर्स हों चाहे संसद के चाहे विधान सभाओं के, इस सलेक्शन कमेटी के द्वारा ही ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश हों और इसकी समानान्तर कमेटीज स्थान स्थान पर हों। आल इंडिया जुडीशियल सर्विस की बात भी आती है, परन्तु इस बात की आवश्यकता के साथ दूसरी आवश्यकता मैं यह भी समझता हूं कि आर्टिकल 227 के अन्तर्गत सुपरवाइजरी पावर्स ट्रिब्यूनल पर रहें, उसको हटाने की आवश्यकता मेरी समझ में नहीं आती। यह हट भी गई तो हर्ज नहीं। अगर नागरिकता की कमी, अगर राष्ट्रीयता की कमी का असर हाई कोर्ट जज और सुप्रिम कोर्ट जज में आ सकता है तो यह ट्रिब्यूनल भी असर में आ सकता है।

(श्री नारायण सिंह मसूदा)

आज राज्य ने एक कानून बनाया जन-साधारण के लिये और उसको हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया हाई कोर्ट के एक जज की मेजोरिटी से या सुप्रिम कोर्ट में ऐसा कुछ हुआ। तो ठीक नहीं था केन्द्रीय कानूनों को सुप्रिम कोर्ट के पास रखना। इसके लिये कहा गया कि पांच की बेंच होगी, वही इस बात का निर्णय देगी, अधिकांश जज जो बात कहेंगे वही होगी। मैं कहूंगा कि जो सुप्रिम कोर्ट और हाई कोर्ट हैं उनकी चौकसी की आवश्यकता जरूर है क्योंकि हम सभी लेजिस्लेचर्स तो पूरे कानून पढ़े हुए नहीं होते हैं। कभी लॉ डिपार्टमेंट में अगर मेरे जैसा मंत्री बन जाय, खेतसिंह जी तो एल एल.बी. हैं तो जो लॉ सेक्रेटरी कहेगा, मैं उसी पर दस्तखत कर सकता हूं। कारण क्लाजेज, आर्टिकल्स और सेक्शन्स में गलती हो सकती है। इसको सुधारने के लिए हाई कोर्ट की आवश्यकता हो सकती है। उस आवश्यकता को मानते हुए जो चीज की गई है, वह आवश्यक है। लेकिन एक कानून जन साधारण के लिए बनाया गया किसी हक को देने के लिए, किसी मजदूर या काश्तकार के हक को देने के लिये उसको टेक्निकल ग्राउन्ड पर रिजेक्ट करके का उनका हक रहे, यह जचता नहीं है। कानूनी लोच सुधारी जाय उसमें कोई हर्ज नहीं। इस प्रकार न्यायपालिका पर कोई जुल्म नहीं हुआ है। न्याय पद्धति को नए ढांचे में इस प्रकार ढाला गया है जिससे न्याय सुलभ व सस्ता हो।

इसके आगे मैं कह चुका हूं कि हमारे बुनियादी अधिकार किस भूमिका में आए हैं। उनमें आगे भी परिवर्तन हो सकते हैं। किसी दिन परिवर्तन आ सकता है। इसके साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज की परिस्थिति को देखते हुए जहां हमारी प्रधान मंत्री का 20 सूत्री कार्यक्रम है उसमें समाजवाद स्थापित करने की बात है, हमारा सारा ढांचा समाजवादी ढांचे में ढालने की बात है, वहां इस बात की आवश्यकता भी है कि स्थानीय वातावरण में देश की प्रगति किस तरह से होनी चाहिये, समान रूप से जितना परिवर्तन होना चाहिये नेशनेलाइजेशन में, वह कहीं स्थानीयता के वातावरण में, जातीयता के वातावरण में और क्षेत्रीयता के वातावरण में गुमराह न हो जाय, इस चीज की चौकसी के लिए केन्द्र जो नीतियां निर्धारित करे उनको सही रास्ते पर चलाने के क्वासी-फेडरल स्ट्रक्चर है। गवर्नर केवल जैसे पहले देशी राज्यों में पोलिटिकल एजेंट की तरह आते थे, वैसे ही हैं चौकसी के लिए। तो इस बात की भी आवश्यकता है कि या तो गवर्नर को सेंटर का इफेक्टिव एजेंट बनाया जाय, जो राज्यों की कार्यवाही पर चौकसी रख सके और अगर उन्हें पावर देना जनतंत्रीय सिद्धांत से मेल नहीं खाता है तो मैंने इस बात को पत्रिका आदि में भी घोषित किया है और कहा है कि उन्हें ओम्बड्समैन बना सकते हैं। लोकायुक्त का कानून हमने बनाया है लेकिन कम्प्लेनेन्ट को कई प्रकार घेर रखा है, सजा का प्रावधान किया है यदि ऐसी वैसी इन्फार्मेशन देगा। आज लोकायुक्त के पास कितने मुकदमे हैं, कितनी शिकायतें मौजूद हैं, किस स्तर की हैं, यह छानबीन से ही मालूम पड़ सकता है। ओम्बडस्मैन की पद्धति को हम इस तरह धोखा देना चाहते हैं। गवर्नर के हाथ में ओम्बड्समैन की पावर होती हैं, तो इतनी आसानी से धोखाधड़ी नहीं हो पायेगी। एक ही सेंट्रल

(श्री नारायण सिंह मसूदा)

एक्ट ओम्बड्समैन का बनाया जाय जिसके अन्तर्गत राज्यपाल सुपरफ्लूअस फंक्शंस की तरह न रहे बल्कि एक सारप्रद केन्द्र का प्रतिनिधि बन कर राज्य करे, इस प्रकार की स्थिति बने। हमारा संविधान यूनीलेट्री-कम-फेडरल रहे, यह एक नई नजर हमारे फेडरल स्ट्रक्चर की तरफ और स्टेट आटोनोमी की तरफ होगी और यह आवश्यक है।

जो समाजवादी राष्ट्र हैं जिनसे हम प्रेरणा लेते हैं जैसे सुप्रिम सोवियत रूस है, उसकी भी पद्धति देखी जाय तो वह विघटनात्मक फेडरलिज्म नहीं है। यू. एस. की हिस्ट्री अलग थी और यहां की हिस्ट्री अलग है। यहां हमने अपने मन से संस्कृति और भाषा के आधार पर राज्य बनाए हैं। यह हमारी सहूलियत के लिए बने हुए हैं। इनमें अगर एकरूपता लानी है तो जितनी देश की मल्टी लिंग्वअल, मल्टी कल्चर्ड तस्वीर है उसके लिये जितनी फेडरलिज्म होना चाहिये, उतनी ही रखना काफी है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 44वें संशोधन में यह बात रह जानी है।

अब रहा सवाल, समय बढ़ाया विधान सभाओं का और संसद का। जो ट्रेडीशन्स वगैरह इलेक्शन्स के थे, हाई कोर्ट और सुप्रिम कोर्ट तक जाकर कितनी विलंबित पद्धति से तय होते थे और किस प्रकार तय होते थे।

किस प्रकार एक चुनाव में जीतकर आया हुआ व्यक्ति, एक विधिवत् चुना हुआ आदमी विलंबित अनिश्चितता के बाद ख्वामहख्वाह इन कोर्ट्स द्वारा टेक्निकल ग्राउण्ड्स पर उखाड़ दिया जाता है। ऐसी अवस्था में चुना हुआ आदमी जमकर जनता के नुमाइंदे की तरह अपना फर्ज भी अदा नहीं कर सकता। तो इन सभी खामियों को दूर करने के लिए संविधान में संशोधन किये गये हैं।

अब यहां कहा जायेगा कि प्रेसीडेन्ट को इन मामलों में अधिक महत्व क्यों दिया गया है, तो कहना होगा कि देश का जन-मानस देश की चुनी हुई पालियामेंट या असेम्बली से, मंत्रिमंडलीय पालिसी या बनाये गये कानून से मुखरित होता है। प्रेसीडेन्ट तो डि-ज्यूरे हैड है तो उनके द्वारा जनमानस विधिवत् व्यक्त होता है वहां पालियामेंट का काम पालियामेंट के हाथ में रहता है जो पब्लिक विल का प्रतिबिम्ब है जिस पब्लिक विल को कानूनी पेचीदगी या संविधान की किसी समय की सीमाएं प्रतिबाधित न कर सकें।

अब जो 44 वें संशोधन के बारे में कहा जा रहा है तो उसके लिए तो यह है प्रजातन्त्र में जहां तक सवाल पार्टी का है कोई पार्टी उभर कर ऊपर आ सकती है तो इसमें तो ऊंच-नीच होती रहती है इसलिए जो 44 वां संशोधन किया गया है वह कोई पार्टी विशेष के लिए नहीं है। और जहां तक सवाल संशोधन का है संशोधन तो होते रहे हैं। परिवर्तन तो सदैव होता रहा है और परिवर्तन सदैव आगे भी होता ही रहेगा। आप ब्रिटेन की पालियामेंट को देखिये। वहां पर पालियामेंट ही सुप्रिम है। ब्रिटेन का कान्स्टीट्यूशन अनरिटन है। वहां पर क्राउण्ड डेमोक्रेसी कही जाती है, और पालियामेंट जब चाहे तब तरीके बदल सकती है। वहां पर जो प्रिवीकौंसिल है उससे हमारे यहां सुप्रिम कोर्ट बहुत ज्यादा शक्तिमान है, वह प्रिवी कौंसिल के मुकाबले में बहुत ज्यादा

(श्री नारायण सिंह मसूदा)

सुप्रिम है। ठीक उसी प्रकार युनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जो सुप्रिम कोर्ट है वह भी प्रिवीकौंसिल से बहुत ही सुप्रिम है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पार्लियामेंट से वह सुप्रिम हो। आज जो हमारे यहां पर वर्षों से पार्लियामेंट और जुडिशियरी में झगड़ा चल रहा था वैसा झगड़ा सिर्फ यहीं पर ही चला हो वह बात नहीं है। इस प्रकार का झगड़ा इंग्लैन्ड में भी चला था पार्लियामेंट और क्राउन के बीच में क्योंकि प्रिवीकौंसिल का हैड भी क्राउन ही था इसलिए वह झगड़ा चला और अन्त में फैसला जनता के फेवर में ही हुआ क्योंकि पार्लियामेंट जनता को रिप्रे-जेन्ट करती थी। यह जो जुडिशियरी होती है वह न्याय पंडितों के द्वारा कानूनी फैसला करती है, वह अपने हिसाब से करते हैं। जनता के लिये जो कानून बनाये गये थे वे जिस भावना से बनाये गये थे उसी भावना को मुखरित इन न्यायालयों के इन्टरप्रिटेशन से हो पाता या वे उस कानून का या संशोधन का इन्टरप्रिटेशन कर पाते तो इतने अमेण्डमेंट की नौबत ही न आती।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त कीजिये।

श्री नारायण सिंह मसूदा : अभी समाप्त कर रहा हूं।

तो मैं निवेदन कर रहा था कि पार्लिया-मेंट ही सुप्रिम है और डेमोक्रेसी में उससे बढ़कर कोई नहीं है। वह अगर कान्स्टीट्यूशन में किसी प्रकार का परिवर्तन करती है तो वह न्यायसंगत है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना भाषण पहले ही बहुत ही संतुलित बना कर लाया था और सोचकर आया था कि इसको 15-20 मिनिट में ही समाप्त कर दूंगा, अन्यथा मैं जानता हूं कि हमारे प्रधान चाबुक साहब, नहीं, नहीं, I am sorry, चीफ व्हिप साहब को एतराज होगा। इसलिए मैं तो पहले ही मेरे भाषण को बिल्कुल ही सन्तुलित बना कर लाया था और नपे तुले शब्द ही बोल रहा हूं।

तो मेरा निवेदन है कि जो 44वां संशोधन पार्लियामेंट द्वारा कान्स्टीट्यूशन में किया गया है उसको हम सभी को एक मत होकर ध्वनि से पास करना चाहिए। यह एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम हमारे देश में समाजवाद लाने के लिये है। उपाध्यक्ष महो-दय, यह संशोधन पास हो जाने से कोई देश में एकदम संशोधित व्यवस्था हो जावेगी यह बात नहीं है, लेकिन संशोधन के पास हो जाने से हम निश्चित तौर पर समाजवाद की ओर अग्रसर हो सकेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि हम सभी को एकमत होकर दृढ़ता से इस संशोधन का अनुसमर्थन करना चाहिए ताकि हमारा देश समाजवाद की ओर जल्दी से आगे बढ़ सके। बस इतना ही मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुमानमल लोढ़ा !

श्री गुमान मल लोढ़ा (जोधपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में संविधान के 44 वें अमेन्डमेंट विधेयक पर एक प्रस्ताव अनुसमर्थन के लिए रखा गया है। यह प्रस्ताव एक बहुत ही ऐतिहासिक प्रस्ताव है। आज के भारत में मैं समझता हूं कि पिछले 27 वर्षों में जितने भी विधेयक हमारी लोक सभा या राज्य सभा या हमारे देश की अन्य विधान सभा द्वारा पास किये गये थे उन सभी विधेयकों से सबसे अधिक महत्वपूर्ण विधेयक यह है।

Page No 32

(32)

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

उपाध्यक्ष महोदय, संविधान सभा ने हमारे देश के संविधान का निर्माण किया था और उसमें यह धारा खास तौर से रखी गयी थी कि हमारे देश की गरीब जनता को व ऐसे तबके को, जो कि सदियों से नीचे दबा हुआ था, ऊपर उठाया जायेगा। यहां की जनता के जीवन स्तर को ऊंचा उठाया जायेगा और हमारे देश की जनता का सर्वांगीण विकास किया जायेगा। हमने इस संविधान से यह आशा लगायी थी कि इस संविधान से हमारे देश में सामाजिक और औद्योगिक क्रान्ति लायी जायेगी। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे कान्स्टीट्यूशन पर लेखनी की स्याही सूखने भी नहीं पायी थी कि सुप्रिम कोर्ट द्वारा कुछ ऐसे निर्णय ले लिए गये, हमारे कान्स्टीट्यूशन की धारा 31 और 19 का सहारा लेकर जमींदारी के मामले में, भूमि सुधार के मामले और जागीरदारी उन्मूलन के सम्बन्ध में और बसों के राष्ट्रीयकरण होने मे रोक लगायी गयी। अगर यह रोक संविधान में नहीं होती तो कभी का बसों का राष्ट्रीयकरण हो जाता उपाध्यक्ष महोदय, सन् 1951 में मोतीलाल के मामले में ऐसा फैसला किया गया जिससे उत्तर प्रदेश में बसों का राष्ट्रीयकरण नहीं हो सका था। इसी प्रकार मद्रास में थापर के केस में भी फैसला हुआ था उसमें भी यह कहा गया कि कोई व्यक्ति अगर किसी को कत्ल के लिए उकसाता है तो उसको भी संविधान की धारा 19 में बोलने की आजादी है। इस वजह से काफी दिक्कतें आयीं। सन् 1951 में सबसे पहले भारतीय संविधान में संशोधन किया गया। उस समय जो पार्लियामेन्ट ने संविधान में संशोधन किया था उसको सभी पार्टियों ने, चाहे कोई पक्ष की हों, यह स्वीकार किया कि पार्लियामेंट संविधान में परिवर्तन संशोधन, और परिवर्धन करने में सक्षम है। इतना ही नहीं हमारे देश की सुप्रिम कोर्ट के पांच पुराने न्यायाधीशों ने एक केस में, संकरीप्रसाद देवीसिंह के केस में, फैसला किया था उसमें हमारे देश के प्रमुख न्यायाधीश श्री कानिया, श्री पतान्जली शास्त्री, श्री मुकर्जी, जैसे विधिवेत्ता थे, उन्होंने भी यही कहा कि हमारे देश में पार्लियामेंट सुप्रिम है। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट का अधिकार अनलिमिटेड है और वह संविधान में जब चाहे जो चाहे परिवर्तन करने में सक्षम है। इसलिए इस निर्णय के बाद यानि सन् 1951 में प्रथम संविधान संशोधन के बाद 1951 से लेकर सन् 1967 तक कई संशोधन संविधान में हुए थे। इसके लिए हमारी लोक सभा, राज्य सभा और प्रमुख विधिवेत्ता सभी इसी राय के हैं कि पार्लियामेंट संविधान में संशोधन करने में, परिवर्तन करने में, परिवर्धन करने में सक्षम है। अब प्रश्न यह है कि हमारे स्वतंत्र भारत में न्यायपालिका का क्या रोल रहेगा? आज जो संविधान में संशोधन हुए हैं, वह लोक सभा ने किये हैं और बाद में राज्य सभा ने पास किये हैं। उनके बारे में जो विधिवेत्ताओं ने कहा है, इस प्रसंग के आधार पर निर्णय किया जाय और इसी प्रसंग के आधार पर इस पर विचार किया जाना चाहिये। सन् 1951 से लेकर सन् 1965 तक लगातार न्यायपालिकाओं ने संशोधन का अधिकार माना। राजस्थान राज्य में जमींदारी उन्मूलन के लिए सज्जनसिंह ने सुप्रिम कोर्ट में याचिका की थी। सज्जन सिंह केस के निर्णय मे वांचू जैसे मुख्य न्यायाधीश, गजेन्द्र गडकर जैसे महान् न्यायाधीश ने इस बात का निर्णय दिया था कि वास्तव में पार्लियामेंट के अधिकार, संशोधन के अधिकार पर कोई रोक नहीं

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

है। उसके बाद बार-बार यह कहा गया। लेकिन सन् 1967 में जब गोलखनाथ का निर्णय सुप्रिम कोर्ट में हुआ तो ऐसा लगा जैसे एटम बम का विस्फोट हुआ हो। जनता को आगे लाने के लिए कार्यक्रम बनाया गया था, भूमि सुधार के कानून बनाये गये थे लेकिन उन सबके ऊपर गोलखनाथ केस के निर्णय में यह कहा गया कि जहां तक मौलिक अधिकारों का प्रश्न है, उन मौलिक अधिकारों को पार्लियामेंट नहीं बदल सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके पश्चात् 24 वां संशोधन किया गया। चौबीसवां संशोधन इसलिए किया गया कि सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय संविधान के संशोधन के अधिकार पर कुठाराघात करने के लिए दिये थे उसको पुनः स्थापित किया जाय। उस संशोधन को लेकर आपको भी मालूम होगा, उपाध्यक्ष महोदय, केशवानन्द के केस में 66 दिन तक लगातार 13 जजों ने बहस सुनी और 1100 पृष्ठों का निर्णय दिया। उसके अन्दर फिर से इस बात को मान लिया गया मौलिक अधिकारों को बदलने का अधिकार पार्लियामेंट को है, संसद को है। यह भी मान लिया गया था कि संविधान की धारा 368 में परिवर्तन का अधिकार है, उसमें रोक नहीं है। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, इसके बाद एक नई थ्योरी ईजाद की गई और यह कहा गया कि जो संविधान का मौजूदा ढांचा है, जो आधार भूत ढांचा है, उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। आज धारा 368 में जो संशोधन किया गया है संसद के द्वारा उसमें यह स्पष्ट किया गया है कि पार्लियामेंट को सब प्रकार के संशोधन करने के अधिकार होंगे और उसको न्यायालय द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह नहीं होता तो मैं समझता हूं हमारे देश में वे परिस्थितियां पैदा हो जातीं जो अमेरिका में हुई थीं। जो लोग अमेरिका का उदाहरण देते हैं कि वहां न्यायपालिका का सबसे बढ़िया ऊंचा स्तर है तो मेरा निवेदन है वे अमेरिका का इतिहास देखें। मैं याद दिलाना चाहता हूं, नवीं सदी में गुलामी प्रथा को समाप्त करके वहां एक कानून बनाया–दास प्रथा को समाप्त करने के लिये। वहां मनुष्य जानवरों की तरह गुलाम रखे जाते थे। उस समय सुप्रिम कोर्ट में जो मालिक बनकर आया था उसको बताया गया कि गुलाम प्रथा बन्द करने का इस प्रकार का कानून अवैध है। लिंकन का उदय उसी समय हुआ व अमेरिका में गृह युद्ध हुआ। उस समय यह स्थापित किया गया कि मानव को गुलाम बनाकर नहीं रखा जा सकता है और वह फैसला ताक में रख दिया गया।

ग्रान्ट प्रेसीडेन्ट जिस समय हुआ तब दूसरा कानून, लीगल टेन्डर एक्ट बनाया गया, इसे भी सुप्रिम कोर्ट ने अवैध कर दिया। चारों तरफ कामर्स एन्ड इन्डस्ट्रीज ठप्प हो गई। ग्रान्ट ने उस समय जो कुछ किया, आज यह कहा जाता है "पैकिंग आफ कोर्ट्स" है, बड़े-बड़े जूरिस्टों का कहना है कि वही आज प्राइम मिनिस्टर यहां करना चाहती हैं। जिस अमेरिका को आदर्श बताया जाता है और यह कहा जाता है कि न्यायपालिका सुप्रिम है वहां ग्रान्ट ने सुप्रिम कोर्ट में दो जजों की नियुक्ति की और यह कहा कि सारा प्रशासन ठप्प हो जाय, सारे देश में अव्यवस्था हो जाय वह मैं सहन नहीं कर

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

सकता हूं। इसीलिये दो जजों की नियुक्ति की गई और उन न्यायाधीशों ने जो फैसला कोर्ट में दिया था, अपने फैसले को बदला और अमेरिका का कार्य चला।

रूजवेल्ट ने मिनिमम वेजेज व सोशल सिक्योरिटी एक्ट बनाया और वहां की सुप्रिम कोर्ट ने उसे निरस्त कर दिया। यह कहा कि यहां के संविधान के खिलाफ है। रूजवेल्ट से पूछा गया कि आप क्या पेकिंग आफ कोर्ट्स करेंगे तो उन्होंने उत्तर दिया, यदि यह समझा जाय कि मेरी इच्छा के अनुसार काले या गोरे या किसी अन्य कठपुतली को जज बनाऊंगा तो मैं पैकिंग आफ कोर्ट नहीं चाहता। लेकिन अमेरिका के करोड़ों व्यक्तियों की जो भावना है, जो विचार है, जो राजनैतिक फिलोसफी है और यहां की जो आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को समझने से कोई जजेज कोताई करते हैं तो मैं निश्चित रूप से "पेकिंग आफ कोर्ट" के पक्ष में हूं। रूजवेल्ट का यह कहना हुआ और सन् 1935 में सुप्रिम कोर्ट ने निर्णय बदला। जो न्यूयार्क मिनिमम वेजेज एक्ट अवैध डिक्लेयर किया गया था, उसको पास किया गया और उसके बाद व्यवस्था चली।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह उदाहरण इसलिये देना चाहता हूं कि चाहे न्यायपालिका के अधिकार कम हो जायं या कुछ कोर्ट्स बन्द हो जायं, हाई कोर्ट के कुछ स्टे बन्द हो जायं मगर पार्लियामेंट के सदस्य जो चाहेंगे, कानून बनायेंगे। मैं समझता हूं यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है। एक व्यक्ति और समाज के बीच में संघर्ष होता है या उसको एक वर्ग कह दीजिये, उसके हित या स्वार्थ पर चोट लगती है तो निश्चित रूप से उनको चोट और स्वार्थ के कारण हानि होती है।

संविधान के तहत राजस्थान राज्य विधान सभा ने बसों के रूट्स के राष्ट्रीयकरण का विधेयक पास किया ताकि प्रमुख मार्गों का राष्ट्रीयकरण हो जाय। उस पर भी बस ओनर्स को हाई कोर्ट से स्टे मिल गया और, उपाध्यक्ष महोदय, एक साल नहीं, पिछले साल तक बराबर चलता रहा। जितने मार्गों का राष्ट्रीयकरण किया गया, बस ओनर्स बहुत अधिक पूंजी पर अपना प्रभाव रखते थे और किसी तकनीकी कारण पर स्टे ले आते थे। तो यह देश हित में नहीं है। इसी प्रकार फर्टीलाइजर्स की रेट्स निर्धारित की गई लेकिन फर्टीलाइजर्स के सारे मालिक अधिक मुनाफा लेना चाहते थे इसलिए उसमें सैकड़ों रिटें हो गई और रिटें होने के बाद स्टे हो गया। काश्तकार को फर्टीलाइजर निर्धारित रेट पर नहीं मिल सका और दुकान के मालिक फर्टीलाइजर लिए बैठे रहे तो यह देश हित में उचित कदम न्यायपालिका की ओर से नहीं था। इसी तरह एग्रीकल्चर लैंड का, सीलिंग का कानून बना है, मैं समझता हूं 54–55 में बना था और अब तक लगातार इन पूरे बीस वर्षों में वह क्रियान्वित नहीं हो सका, और अब दो साल में वह क्रियान्वित हुआ है। एक रिट खारिज हुई तो दूसरी सीरिज चली। इस प्रकार से लैंड लेस टीनेन्ट चारों तरफ डोल रहा था और हाई कोर्ट तक पहुंच नहीं सकता था और बड़े बड़े भू-पति अपनी पूंजी के बल पर इसको क्रियान्वित नहीं करने देते थे। अब यह दो साल पहले ही इम्प्लीमेंट हुआ है, पहले नहीं हो सका। लेकिन न्यायपालिका का अधिकार मोटे तौर पर, मैं निवेदन

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

करना चाहता हूं, चाहे धारा 141 में संशोधन का सवाल हो और चाहे धारा 144 में संशोधन का सवाल हो, आज भी उसी प्रकार से है। 144 में यह कहा है कि सुप्रिम कोर्ट को अन्तिम अधिकार है कि कानून की व्याख्या करें और धारा 141 में भी यह कहा गया कि सुप्रिम कोर्ट व्याख्या करे। लेकिन यह व्याख्या अलग-अलग हाई-कोर्ट्स में अलग अलग रूप में की जाती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट अपना एक तरह का जजमेंट देता है और लखनऊ के हाई कोर्ट का दूसरा जजमेंट होता है, हरियाणा का कोई तीसरा ही जजमेंट होता है, इसी प्रकार वेस्ट बंगाल का हाई कोर्ट अपना एक अलग ही जजमेंट देता है। उसके बाद स्पेशल अपील हो तो फिर निर्णय दूसरा ही होता है। राजस्थान हाई कोर्ट उसको उल्टा वायर्स कर देता है। तो फिर कौनसा सही है? इस प्रकार जजमेंटों के पीछे डोलते रहें, यह क्या उचित है?

इस कारण मैं समझता हूं सैन्ट्रल एक्ट को केवल चुनौती केन्द्र में दी जा सकती है, इसमें किसी को आपत्ति नहीं हो सकती है। इसी प्रकार, उपाध्यक्ष महोदय, यह कहा गया है दो-तिहाई बहुमत से निर्णय हो सकेगा और पांच जजेज हाई कोर्ट में और सात जजेज सुप्रिम कोर्ट में बैठेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, आपने देखा केशवानन्द और गोलखनाथ के केस में किस प्रकार पांच जज एक तरफ थे और छः जज एक तरफ। एक केस में छः जज एक तरफ थे और सात एक तरफ। केवल एक के मत से, जनता के भाग्य का निर्णय कर दिया। गोलखनाथ के केस में क्या गजब किया, 1950–51 से लेकर 1967 तक समस्त संशोधन जितने भूमि सुधार कानून बनाये गये हैं देश में वे अवैध हैं। सारे देश में अराजकता फैल जाती। उस निर्णय को देखा जाय तो एक का नहीं, बहुमत का था। हिदायतुल्ला ने निर्णय में यह कहा कि 368 में संविधान में परिवर्तन करने का अधिकार तो है लेकिन 241 और 245 में परिवर्तन हुआ यह गलत है। मूल अधिकारों में परिवर्तन नहीं होगा, संविधान संशोधन की अब वेलेडिटी और कान्स्टीट्यूशनलिटी को चेलेन्ज नहीं कर सकते। कानून को स्थायित्व देने के लिए और संवैधानिक परम्पराओं को निभाने के लिए संसद की सर्वोच्चता के लिए और राष्ट्र के कानूनों को हल्के तरीके से नहीं बदला जाय इसलिए कोर्ट में दो तिहाई का यदि बहुमत रखा गया तो उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। दुनियां के मुल्कों में भी यह प्रावधान है।

सबसे पहले आपके सामने और हमारे सामने जो प्रश्न है, हमारी संसदीय प्रणाली में जो विधायिका है, उसको इसका अधिकार देना चाहिये ताकि वह युग के अनुसार परिवर्तन कर सके। हम यह कहना चाहते हैं कि 1949 में जो संविधान बना दिया गया न वह गीता है, न बाइबल है, न कुरान है और न परसियन मिडास कानून के अनुसार है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। यह मूल तत्व हमारे सामने है।

उपाध्यक्ष महोदय, दुनिया के दार्शनिक व्यक्तियों ने इस संबंध में अपने मत दिये हैं। मैं आपके सामने दो चार उद्धरण प्रस्तुत करना चाहूंगा। सबसे पहले पं. जवाहरलाल नेहरू की स्पीच का उद्धरण पढ़ना चाहूंगा जो उन्होंने संविधान बनाते समय कहा था।

Page No 36

(36)

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

"Service of India means the service of millions who suffer··"

कान्स्टीट्यूशन में ओब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रस्तुत करते हुए उनका यह भाषण था।

"it means the ending of poverty and ignorance, and disease and inequality of opportunity. The ambition of the greatest man of our generation has been to wipe every tear from every eye. That may be beyond us, but as long as there are tears and suffering, so long our work will not be over,"

इसका उद्धरण देते हुए आस्टिन ने हिन्दुस्तान के संविधान पर जो टीका लिखी है उसमें पं. नेहरू की दूसरी स्पीच का कोटेशन दिया है। उसमें कहा है :

"Two revolutions, the national and the social, had been running parallel in India since the end of the First World War, With independence, the national revolution would be completed, but the social revolution must go on. Freedom was not an end in itself, only a means to an end."

Nehru has said, "That end being the raising of the people to higher levels and hence, general advancement of humanity the first task of this Assembly (Nehru told the members) is to free India through a new Constitution, to feed the starving people, to cloth the naked people."

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि के.के. सन्थानम ने इसी समय इस बात को कहा था कि जहां तक स्वतन्त्रता प्राप्त करने का लक्ष्य था उसका आन्दोलन तो अब समाप्त हुआ और अब आर्थिक और सामाजिक क्रान्ति का प्रादुर्भाव हुआ है। उन्होंने उस समय जो वार्निंग दी थी वह उन्हीं के शब्दों में यहां कहना चाहता हूं :

"The choice for India is between rapaid evolution and violent revolution. because the Indian masses can not and will not wait for a long time to obtain the satisfaction of their minimum.

रिवोल्यूशन चाहिये या इवोल्यूशन चाहिये। जो विरोध कर रहे हैं संविधान परिवर्तन का, कोई व्यक्ति नहीं चाहता है कि खून खराबी हो, कोई व्यक्ति नहीं चाहता है कि देश में अराजकता फैले, देश में शासन व्यवस्था समाप्त हो जाय, देश में संसदीय व्यवस्था समाप्त हो जाय, दोनों में से निर्णय करना है कि संवैधानिक परम्पराओं के अनुसार संसद को संविधान में परिवर्तन का अधिकार होना चाहिये कि वह आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन कर सके या नहीं। 1951 का अमेन्डमेंट हुआ जागीरदारी प्रथा की समाप्ति के बाद और सुप्रिम कोर्ट ने उसको अवैध करार दे दिया। उस वक्त पं. नेहरू ने कहा था :

"And as I said on the last occasion, the real difficulty we have to face is of conflict between the dynamic ideas contained in the Directive Principles of State

(श्री गुमानमल लोढ़ा)
Policy and the static position of certain things that are called "fundamental."

जो दायित्व और फण्डामेन्टल पर मतभेद और विचार चल रहा है उस सम्बन्ध में उस वक्त भी पं. जवाहरलाल नेहरू ने स्पष्ट कर दिया था कि कितना डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल्स को महत्व देते हैं। यह मैं पं. जवाहरलाल नेहरू के शब्दों को उद्धृत कर रहा हूं:

"Whether they relate to property or whether they relate to something else, both are important undoubtedly. How are you to get over them? A Constitution which is unchanging, static it does not matter how good it is, how perfect it is–a Constitution that is past its use."

चतुर्थ संशोधन पर फिर उन्होंने कहा कि–

"But I say, that if that is correct, there is an inherent contradiction in the Constitution between fundamental rights and the Directive Principles of State Policy. Therefore, again it is on the part of this Parliament to remove that contradiction and make the fundamental rights subserve the Directive Principles of State Policy."

यह पं. जवाहरलाल नेहरू की दूरदर्शिता का नमूना है और मैंने उनके भाषण के उद्धरण आपके सामने प्रस्तुत किये हैं।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

जब यह कहा गया कि संवैधानिक निर्माण में इस गति से मत बढ़िये तो पं. जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि:

"We have waited for six long weeks. This is no matter of weeks. Ages have slipped by while we have been waiting. How long are we to wait now? Many of us who waited have since passed away, many are nearing the end of their lives. We have waited enough and now we cannot wait any longer. We are to further the work of the Assembly, speed up the pace and finish our work soon. You should bear in mind that this Assembly is not only to pass resolutions; I may point out that the Constitution, which we framed, is not end by itself, but it would only be the basis for further work."

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करिये। Please sum up now.

श्री गुमानमल लोढा : मैं जल्दी ही आपकी आज्ञा के अनुसार समाप्त करूंगा लेकिन कुछ मूलभूत बातें निवेदन करना चाहूंगा।

श्री भुवनेश चतुर्वेदी : आप हमारा सबका टाइम ले लो। आप बोले जाओ। बढ़िया बोल रहे हैं।

कई माननीय सदस्य : सबका टाइम इन्हें दे दो।

श्री गुमानमल लोढा : यह कन्टोवर्सी आपके सामने है एक तरफ यह कान्स्टीट्यूशन है उसमें अमेन्डमेन्ट आज के युग के अनुसार किये जायं या नहीं, यह निर्णय करना है या जो लोग चले गये हैं और समाप्त हो गये हैं जिन्होंने इसका अनुभव नहीं किया है वे इस पर निर्णय करें ? उपाध्यक्ष महोदय, मैं जेफरशन को कोट करना चाहूंगा जिसने यह कहा था :

"The earth belongs in usufruct to the living. The dead have neither power nor rights over it. If one generation can bind another, the dead, and the living would rule."

आप विचार करिये। जो दफना दिये गये हैं, जो अदृश्य हैं और कब्रों में चले गये हैं जिन्होंने अनुभव नहीं किया है, क्या वे निर्णय करें ? गोलखनाथ के केस में 1 जज ने ही 60 करोड़ जनता का भाग्य पलट दिया। यह उन्होंने अनुभव नहीं किया है, और यह भी अनुभव नहीं किया गया कि कितने क्रान्तिकारी कदम पीछे ले जाये जावेंगे। क्या वे इस पर निर्णय करें ?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

क्या उन्हें निर्णय करना है ? उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि इससे और गम्भीर स्थिति नहीं हो सकती।

उपाध्यक्ष महोदय, जब लोक सभा में गोलखनाथ का निर्णय आया, जिस वक्त मालूम हुआ तो सोशलिस्ट मेम्बर ने कहा कि पार्लियामेन्ट की सोवरनिटी है, यह किसी को नहीं दी जा सकती। संसद सदस्य समाजवादी नाथपाई द्वारा संविधान संशोधन का एक बिल भी लाया गया। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी ने भी यह कहा था कि पार्लियामेन्ट सोवरिन है और उसकी सोवरनिटी को कायम करना चाहिये। इसको दलगत भावना से नहीं देखना चाहिये राष्ट्र के जीवन में कई ऐसी घटनायें होती हैं जब दलों के मोह को छोड कर समाज और राष्ट्र के व्यापक हित में निर्णय लेने पड़ते हैं। चूंकि यह प्रधानमंत्री ने रखा है इसलिये इसका विरोध करते हैं यह राष्ट्र के व्यापक हित में नहीं है। जिस प्रकार देश के विकास को, राष्ट्र के विकास को और उसकी प्रगति को प्रधान मंत्री ने आगे बढ़ाया है उससे आंखें मूंदना है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहूंगा क्या यह सही नहीं है कि हमारे राष्ट्र के अन्दर आज भी देख लीजिये किस प्रकार से कोर्ट्स में देरी व महंगा काम होता है, सुप्रिम कोर्ट या हाई कोर्ट में किस प्रकार से खर्चीला काम होता है ? मैं यह तो नहीं कहता कि सुप्रिम कोर्ट या हाई कोर्ट के बारे में कुछ अविश्वास पैदा किया जाये या अव्यवस्था पैदा की जाये लेकिन एक बात माननी पड़ेगी कि यदि भूमिहीन मजदूर हाई कोर्ट में नहीं पहुंच पाता और ट्रिब्यूनल की व्यवस्था की जाये तो कौन सी बुरी बात है। लैण्ड रेवेन्यू के मामले और गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट्स के मामले ट्रिब्यूनल में जायेंगे और न्यायालय में नहीं जायेंगे तो इसमें कहां आपत्ति है ? महात्मा गांधी ने कहा था कि हमें अधिकारों की ओर नहीं बल्कि कर्तव्यों की ओर देखना चाहिए। आज कोई भी दल हो, क्या कोई यह चाहता है कि कर्तव्यों की ओर नहीं देखा जाये और अधिकारों की तरफ भागा जाये ? मैं यह जानना चाहता हूं कि दुनिया में कितने

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

नेशन्स हैं जहां राष्ट्रीय कर्तव्य सर्वोपरि नहीं हैं ? जर्मनी को ले लें, चाईना को ले लें, स्विटजरलैंड या रूस को ले लें और फ्रान्स के अन्दर भी लिमिटेड रूप में है। तो राष्ट्रीय कर्तव्यों के बारे में किसी प्रकार का विवाद होता है तो वह स्वस्थ परम्परा नहीं है।

यह कहा गया कि राष्ट्रपति को मानना होगा केबिनेट की एडवाइस को और कहा गया कि अब राष्ट्रपति इससे पपट हो जायेंगे। यह आलोचना 27 वर्षों से हो रही है लेकिन क्या यह सम्भव है कि जो पार्लियामेन्ट के इलेक्टेड मेम्बर्स हैं उनके निर्णय के व मंत्रि-मंडल के खिलाफ राष्ट्रपति अपना निर्णय देगा, पार्लियामेन्ट एक कानून पास करेगी तो क्या राष्ट्रपति दूसरा फैसला करेगा ? यह नहीं होता है।

इसी प्रकार से, उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल्स में यह रखा गया कि मजदूर उद्योगपतियों के साथ प्रबन्ध में भागीदार हैं। क्या इसमें किसी को आपत्ति हो सकती है ? गरीबों की कानूनी सहायता की जाये ? क्यों इसमें किसी को आपत्ति हो सकती है ? मैं तो समझता हूं कि यह विरोध बिलकुल उस तरह है कि एक हाथी था और कुछ अंधे उसे देखने के लिए गए। आपस में वह वर्णन करने लगे कि हाथी कैसा है। तो एक अंधे ने हाथी के पैर पकड़े तो पैर पकड़ने वाले अंधे ने कहा कि हाथी तो खम्बे जैसा है। एक अंधे ने उसके कान पकड़े और उसने कहा कि हाथी छतरी जैसा है। एक अंधे ने उसकी पूंछ पकड़ी तो उसने कहा कि यह तो सांप जैसा है। यहां से जल्दी भागो नहीं तो खा जायेगा। तो आजकल किया केवल विरोध की राजनीति किसी भी की यह आलोचना तो हाथी को स्यादवाद के कारण सांप समझने के बराबर है।

क्या कोई हमारे राष्ट्रीय केन्द्र को कमजोर करना चाहते हैं? क्या सेन्टर कमजोर हो जाय ? क्या कोई यह चाहता है कि प्रधान मंत्री स्टेट्स के मुख्य मंत्रियों की कटपुतली बन उन पर वैस्ड रहें ? क्या उनको स्थायित्व नहीं देना चाहते हैं ? लेकिन आज यह कहा जाता है कि जिस प्रकार से पुलिस का प्रदेशों में भेजने का कानून बना दिया गया वह सेन्टर के हाथ में आ जायगी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या ऐसा कोई देश है, जो केन्द्र को मजबूत नहीं करना चाहता हो ? यदि केन्द्र कमजोर होगा तो हम सब भी कमजोर हो जायेंगे। केन्द्र एक तरह से राज्यों के ऊपर साया की तरह से है। यदि साया ही उठ जायेगा तो साया उठने के बाद राष्ट्र अनाथ की तरह हो जायेगा। मैं कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार के तर्क युक्तिसंगत नहीं हैं। यदि हमारी ड्यूटीज के बारे में या राइट्स के बारे में कहा होता कि व्यक्ति को काम का अधिकार होगा तो वह सही होगा। यदि यह कहा जाये कि हर बालक का फ्री एजूकेशन का प्रावधान किया जायगा तो सही होगा। यह रचनात्मक सुझाव है।

अभी हमारे यहां दिल्ली में कान्फ्रेन्स हुई थी उसमें दफ्तरी आये और भी दूसरे विधिवेत्ता आये। उन्होंने कहा कि आज आपको संविधान नहीं बदलना चाहिए। पहले संविधान बना उस समय की प्रोसीडिंग्स मेरे पास हैं और उसमें यह है कि संशोधन लाने का अधिकार तो है। उन्होंने उसका विरोध

(श्री गुमानमल लोढ़ा)
डेमोक्रेसी में उचित नहीं है बल्कि हम कन्सट्रक्टिव सजेशन्स लेकर यह बतायें कि हम किस प्रकार से देश को आगे बढ़ा सकते हैं। ....

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें। काफी समय ले चुके हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : एक दो मिनिट में समाप्त कर दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, यह जिस प्रकार का महत्वपूर्ण विषय है और मैंने इसका अध्ययन भी किया है। हमारे यहां पर पालकीवाला द्वारा यह कहा जा रहा है कि किसी भी राष्ट्र के अन्दर संविधान के मूलभूत ढांचे में परिवर्तन करने का अधिकार किसी भी आगामी पीढ़ी को नहीं होता। इसके लिए मैं उत्तर में अर्ज करना करना चाहूंगा कि विश्व के प्रसिद्ध दार्शनिक 'कान्त' का मत है कि "एक युग के लोग ऐसा कोई समझौता या निर्णय भविष्य के लिए नहीं कर सकते जिससे भावी पीढ़ी अपने आपको ऐसी दुर्गति में पाये कि न तो वह अपना ज्ञानवर्धन कर सके न कोई प्रगति कर सके। यह मानवता के प्रति अपराध होगा। क्योंकि मानव समाज की नैसर्गिक नियति, प्रगति व परिवर्तन में आधारित हैं।" आज के युग की अभाव पूर्ति के मार्ग व प्रगति के बढ़ते चरणों को नई पीढ़ी कैसे सीमित व अवरुद्ध कर सकती है, मैं यह समझने में असमर्थ हूं।

इतना ही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, जैम्स गार्नर व विलियम बी. मुनेरो ने भी यही मत व्यक्त किया था कि "जो संविधान संशोधित न हो सके वह एक भयंकर घातक व्यवस्था होगी व वह संविधान सरकार को दफना देगा।"

प्रसिद्ध दार्शनिक बर्क के अनुसार "कोई राज्य के पास यदि संशोधन परिवर्तन का अधिकार न होगा तो वह अपने को स्थापित न रख सकेगा। इसके बिना वह संविधान के उस महत्वपूर्ण भाग को भी जीवित नहीं रख सकेगा, जिसे वह हमेशा कार्य में रखना अपना धर्म समझता है।" अतः संशोधन, परिवर्तन व परिवर्धन से ही पीड़ित, उत्पीड़ित व सदियों से शोषित गरीब तबके को विकास व प्रगति का मार्ग मिल सकता है। मनु, कौटिल्य से लेकर विश्व के दार्शनिक ग्रोटिस, हाब्स, लार्क, वाल्य, रासेऊ, ब्लेकस्टीन, कान्त, हेगल, स्मिथ, गांधी, नेहरू सभी का एकमत है कि संशोधन का अधिकार है।

ब्लेक स्टोन इंग्लैण्ड के बहुत बड़े विधिवेत्ता थे। उन्होंने इंग्लैण्ड की संसद के अधिकारों को सर्वोच्च बताते हुए कहा था कि "संसद सब कुछ कर सकती है जो प्रकृति द्वारा सम्भव है–केवल पुरुष को स्त्री व स्त्री को पुरुष नहीं बना सकती" आज की प्लास्टिक सर्जरी से तो वह भी सम्भव हो गया है। उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए अब तो सारी सत्ता पार्लियामेन्ट में निहित है इंग्लैंड को कोट करके वह कहते हैं कि आपको अधिकार नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि इंग्लैण्ड के बारे में हम कहते हैं कि हमारा कान्स्टीट्यूशन उसके ऊपर बेस्ड है। यदि इंग्लैंड में कहा गया कि पार्लियामेंट सर्वोच्च है तो क्या यहां यह कहा जायेगा कि हमें परिवर्तन का अधिकार नहीं है? उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि धारा 368 का संशोधन सबसे महत्वपूर्ण

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

है, जिसके लिए श्री गोखले बधाई के पात्र हैं। मैं समझता हूं कि आगे के लिए सारी कन्ट्रोवर्सी समाप्त कर दी गयी है और न्यायपालिका के अधिकारों के अन्दर जो संशोधन किया गया है उससे केवल जो बाधाएँ आती थीं, प्रगति के बढ़ते कदमों में, विकास के चरणों में, मानवता को ऊपर लाने में, जो आर्थिक क्रांति है उसको आगे बढ़ाने में जो बाधायें है वह समाप्त हो जायेंगी। अब यह अवश्य है कि सुप्रिम कोर्ट से अन्धाधुंध स्टे, आज्ञा नहीं आयेगी और सारे के सारे कानून आपकी पार्लियामेंट से पास होंगे। इसके अलावा यह प्रावधान नहीं किया गया कि न्यायपालिकाओं को समाप्त कर दिया जायेगा। यह कहना ठीक है कि जो न्यायाधीश और एडवोकेट्स हैं, जिनमें से मैं भी एक हूँ, वह हमेशा भूत की तरफ देखते हैं और राजनेता भविष्य की ओर देखते हैं व कार्यपालिका वर्तमान की ओर देखती हैं। अध्यक्ष महोदय के लेख में भी यही है।

श्री उपाध्यक्ष : आपके तो दोनों ही स्वरूप हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि मैं इसका एहसास कर चुका हूं जिस समय मैंने पहले पहल राजस्थान के अन्दर रिलीफ आफ इनडेटनेस एक्ट को अवैध कराया तो मैंने बड़ा गर्व किया लेकिन अब मैं सोचता हूं कि मैंने एक उपलब्धि भले ही प्राप्त कर ली होगी एडवोकेट होने के नाते लेकिन मैंने गरीब, कर्जों से दबी जनता के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। इसी प्रकार से, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि न्यायपालिका व वकीलों का तो बहुत छोटा सा वर्ग है। यदि वह गरीब जनता की मुक्ति व उन्नति पर कानून के नाम पर बाधा डालता है तो यह कांस्टीट्यूशन अमेंडमेंट "न्यूकिलियर अम्ब्रेला" है जो कि उनकी बाधा को समाप्त कर देगा व प्रगति व आर्थिक सामाजिक सुधारों का बचाव करेगा। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गिरधारीमल्ल व्यास।

(अनुपस्थित)

श्री फूलचन्द जैन।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, आज जिस संविधान के 44वें संविधान संशोधन, जिसका संक्षिप्त नाम है 42वां संशोधन, पर हम चर्चा कर रहे हैं। इससे पूर्व 41 संशोधन अब तक हमारी पार्लियामेन्ट के द्वारा पास किये जा चुके हैं। मैं समझता हूं कि पहली बार जितने विशद् रूप से हमारे देश के अधिक से अधिक ऐसे लोगों को, जो इसके अन्दर जागरूक नागरिक की हैसियत से अपनी राय दे सकते हैं, राय पता लगा कर, मशविरा करके, विचारों की जानकारी कर के, और उन सब के ऊपर सोच करके एक कन्सोलिडेटेड वे में यह संशोधन हमारे सामने आया है। इसके पहले जितने संशोधन लाये गये थे, उन संशोधनों की जब भी सरकार के सामने कोई समस्या आयी, व्यवधान पैदा हुआ, उनको दूर करने के लिए आवश्यकता महसूस की गई और वे लाये गये। परन्तु पहली बार यह एक विशद् संशोधन हमारे सामने आया है जिसमें इस बात का गंभीरता से ध्यान रखा गया है कि आने वाले समय के लिए अब तक के जो कुछ भी

(श्री फूलचन्द जैन)
अनुमान रहे हैं, उनके आधार पर हम एक विशद् संशोधन इस बार पार्लियामेंट में लाकर पेश करें। मैं समझता हूं कि यह जो प्रयास हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, हमारे देश की महान नेता प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी और हमारी पार्लियामेंट के मेम्बर्स ने किये हैं वे निश्चित रूप से प्रशंसनीय है, स्तुत्य हैं और वे निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। इस संशोधन विधेयक जिस पर चर्चा हम कर रहे हैं, के सम्बन्ध में कई प्रकार की विचारधाराएं हमारे सामने आई हैं, और निष्पक्ष दृष्टि से जो कुछ भी आरगुमेन्ट अब तक आये हैं चाहे वे हमारे विपक्ष दल के नेता ने दिये हों, चाहे स्वतंत्र विचारधारा के लोगों ने दिये हों, और चाहे हमारे देश के अच्छे विचारकों ने दिये हों उन सब का अगर गहराई से चिन्तन और अध्ययन किया जाये तो मैं समझता हूं कि अब तक कोई ऐसा प्रश्न प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे कि यह कहा जा सकता हो कि इससे भारत राष्ट्र को नुकसान हो सकता है, इससे भारत की जनता को नुकसान हो सकता है, इससे हमारे संविधान का जो मूलभूत आब्जेक्ट, उद्देश्य है, उसमें किसी प्रकार का नुकसान हो सकता है, तो ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है। यह मैं महसूस करता हूं कि किसी ने यह बात रखने की हिम्मत नहीं की है। दूसरी बात मैं और मानता हूं, एक बात और गहराई से देखने की आवश्यकता है। जब 1951 में पहला संशोधन हमारी पार्लियामेन्ट में रखा गया था, आज विपक्षी दलों के अन्दर जो महान, बड़े बड़े नेता एकत्रित हुए हैं, उस समय में वे इस संशोधन के पक्ष में थे। आज कई ऐसे नेता हैं जो उस समय जो भी संशोधन संविधान के अन्दर हुए उन संशोधनों के समर्थन में बराबर रहे और इस दौरान, 51 से लेकर अब तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी न किसी नेतृत्व के स्थान पर रहे। उन्होंने पार्लियामेन्ट में संविधान संशोधन के समय जो अपने भाषण दिए, और आज जो भाषण वे दे रहे हैं, दोनों को एक साथ सामने रखा जाये तो निश्चित रूप से अन्तर स्पष्ट दिखाई देगा। सारी बात के अन्दर एक ही बात है कि हमें इसका विरोध करना है इसलिए कि विरोध करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। यह बात राजनीतिक दृष्टि से मेरी समझ में आयी, वह कही है। रहा प्रश्न कानूनी विशेषज्ञों का, लायर्स, एडवोकेट्स का, मैं यह समझता हूं कि इस विवाद में पड़ना कम से कम मैं इसलिए पसन्द नहीं करता कि कानून के जो विशेषज्ञ हैं, वे कानून का जिस प्रकार से इन्टरप्रिटेशन समय समय पर करते हैं, वे स्वयं इस बात को जानते हैं कि हमारी सुटेबिलिटी के हिसाब से हम इसका इन्टरप्रिटेशन करते हैं। मेरा तो कान्फीडेन्स इस मामले में उनके ऊपर नहीं है। उनका इन्टरप्रिटेशन अधिकतर व्यक्तिगत और उनके स्वार्थ के आधार पर होता है। कोई नेशनलिस्ट हो जो इनसे अलग रह कर राय देता है तो उसकी बात अलग है और उसमें आस्था हो सकती है परन्तु जो कानून के विशेषज्ञ राय देते हैं, उन कानून के विशेषज्ञों का जो आधार है उसके कारण वे इधर उधर की राय देते हैं। उनकी राय के कारण गफलत में पड़े रहते हैं और आगे भी पड़े रह सकते हैं। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, जो कानूनी पेचीदगियों का प्रश्न है, उस विवाद में मैं नहीं पड़ना चाहता हूं। मैं इस सम्बन्ध में

(श्री फूलचन्द जैन)
एक ही बात उन लोगों मे पूछना चाहता हूं कि क्या वे इस बात से सहमत नहीं हैं ? यह निर्विवाद सत्य है कि पं जवाहरलाल नेहरू को कोई यह नहीं कह सकता कि वह वर्ल्ड में माने हुए डेमोक्रेट नहीं थे, पं. जवाहरलाल नेहरू को कोई यह नहीं कह सकता कि वे हिन्दुस्तान के सब से बड़े नेशनलिस्ट नहीं थे। इस देश की करोड़ों करोड़ों जनता के लिए पं. जवाहरलाल नेहरू के दिल और दिमाग के अन्दर जगह नहीं थी या प्रजातंत्रीय पद्धति की गहरी और मजबूत जड़ करने में आस्था नहीं थी ? यह सब मान कर चलते हैं कि कोई उसको चुनौती नहीं दे सकता हमें पं. जवाहरलाल नेहरू के इन शब्दों को याद रखना पड़ेगा "सच्चा संविधान वह है जो संविधान गरीबी को दूर कर सके, जिसको रोटी चाहिये उसको रोटी दे सके, जिसको वस्त्र चाहिये, उसको वस्त्र दे सके, जिनको जीवन की न्यूनतम आवश्यकता है, उन न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। दूसरा कोई ऐसा संविधान इसके विपरीत है तो वह है कानूनी दस्तावेज।" मैं यह कहना चाहता हूँ कि कानून का आधार यह होता है कि किसी बात को कानूनी ढंग स कैसे सूट कराया जाये। इस विवाद में अगर कोई कानून का विशेषज्ञ पड़ना चाहता है तो हमें कोई ऐतराज नहीं है। आज जिन हालात के अन्दर, इस देश के अन्दर, आजादी के बाद में, 27–28 सालों के बाद में जो कुछ भी अनुभव हमारे सामने आये, उनके आधार पर हम संविधान में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं ? अगर कोई यह बात कहता है तो वह हमारी समझ में नहीं आ सकती। मैं एक बात निवेदन करना चाहूँगा, उपाध्यक्ष, महोदय जिस संविधान सभा ने इस संविधान को, बनाया, उसमें हमारे देश के बहुत बड़े नेता भी थे. विचारक भी थे, बुद्धिजीवी भी थे, कानूनी विशेषज्ञ भी थे। सीमित मताधिकार के द्वारा इस संविधान सभा का गठन हुआ था और उस संविधान सभा में इस संविधान का निर्माण हुआ था। जिस समय संविधान का निर्माण किया गया था उस समय में व्यवहारिक, प्रशासनिक कठिनाइयों के बारे में हमारा कितना अनुभव था और ज्ञान था, यह हम सभी जानते हैं। आज उसके विपरीत एक वयस्क मताधिकार से चुनी हुई पार्लियामेंट है और दूसरी तरफ हमारा आज तक का प्रशासनिक अनुभव है। इन दोनों का ईमानदारी से समावेश करते हैं और उसके बाद में कोई अगर यह कहता है कि पार्लियामेंट के बजाय यह संविधान संशोधन संविधान सभा ही कर सकती है तो उनकी बात हिन्दुस्तान की जनता आज मानने वाली नहीं है। वे स्वयं अपनी ही बात को कहना चाहते हैं तो कहें, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, आज जो महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने रह गये हैं उन प्रश्नों के आधार पर अगर ईमानदारी से हम सोचें तो निश्चित तौर पर इसमें आज किसी को विरोध होना ही नहीं चाहिए। मैं समझता हूं कि वैसे भी कोई शक्तिशाली विरोध के तौर पर किसी का विरोध हमारे सामने भी नहीं आया।

मैं तो एक दूसरी बात और कहना चाहता हूं। अभी आज की इस डिबेट में ही दो माननीय सदस्य–एक तो हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के साथी भाई रामानन्दजी और दूसरे श्री गुमानमलजी लोढ़ा के विचार हमने सुने…

श्री रामानन्द अग्रवाल : निर्दलीय सदस्य।

श्री फूलचन्द जैन : मैंने कोई दल का नहीं कहा। निर्दलीय हों।

इस तौर से जब मैं माननीय गुमानमलजी लोढ़ा के विचार सुन रहा था, वह एडवोकेट भी है और सार्वजनिक जीवन में भी काम करते है, तो मुझे एक तरफ तो ऐसा लगा कि यदि किसी को गांधीवादी विचारधारा में हृदय-परिवर्तन के अन्दर विश्वास नहीं हो तो उसको अपनी आस्था पर पुनर्विचार करना पड़ेगा···

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : इमर्जेंसी की उपलब्धि भी हो सकती है।

श्री फूलचन्द जैन : अपना अपना नजरिया हैं देखने का। मैं अपने विचार कह रहा हूँ। आप अपनी बात कह सकते हैं।

तो हृदय–परिवर्तन का नजरिया हमारे सामने आया है उसको मैंने आपके सामने रखा है। दूसरी बात उनके भाषण में मैंने यह देखी है कि आत्मा की सच्ची आवाज में कितनी ताकत है। आज तक वह अपनी आत्मा की आवाज से नहीं बोलते थे, जो कि सच्ची आवाज थी। वह आज पहली बार मुक्त होकर आत्मा की आवाज से बोले हैं तो उनके भाषण में तेज और ओज नजर आया···

एक माननीय सदस्य : यह इमर्जेंसी की उपलब्धि है।

श्री फूलचन्द जैन : उपलब्धि किसी कारण से हो वह चीज इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। उपलब्धि है उसको मानना चाहिए। किस कारण से है इसके विवाद में मैं नहीं पड़ना चाहता हूं।

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

मैं अभी खत्म कर रहा हूं।

उस सम्बन्ध में मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि कई ऐसी बातें हैं जो सही रूप में आ गई हैं। गलत रूप में जब आदमी कहते हैं तो क्यों कहते हैं इसकी गहराई में हम जायं तो वस्तु स्थिति हमारे सामने आ जायेगी।

दो-तीन बातें मैं, उपाध्यक्ष महोदय, और कहूंगा। आज कम्युनिस्ट पार्टी के माननीय सदस्य ने कहा है इस बिल के बारे में, वैसे तो उन्होंने आम तौर पर इसकी प्रशंसा की है, और समर्थन किया है, और मैं समझता हूं कि संविधान में परिवर्तन के पक्ष में उन्होंने जोरदार दलीलें भी दी हैं। यह भी कहा है कि कुछ बातें इसमें और होनी चाहिए थीं, जोड़नी चाहिए थीं, उन पर मैं अपने विचार रखता हूं। मैं दो मिनिट में ही अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक मजदूरों के बारे में कहा है, जो कुछ भी राष्ट्र विरोधी गतिविधियां या राष्ट्र विरोधी संस्थाओं के ऊपर प्रतिबन्ध लगाने का प्रश्न है, उनके परिप्रेक्ष्य में कहा है। मैं समझता हूं कि यह तो आप भी नहीं चाहेंगे, हम भी नहीं चाहेंगे और कोई भी नहीं चाहेगा कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के आधार पर अगर कोई मजदूर संगठन या और कोई भी हड़ताल करते हैं या किसी प्रकार से हमारे उत्पादन में बाधायें डालते हैं तो उनके खिलाफ कार्यवाही होनी

(श्री फूलचन्द जैन)

चाहिए। अगर वह हमारे उद्देश्य और नीति के अनुरूप अपने हकों को, वाजिब हकों को रखें अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए, और जो कुछ भी उसूल हैं उन उसूलों के आधार पर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करें शान्तिमय तरीके से तो मैं समझता हूं कि यह परिवर्तन जो है उसमें कोई बाधक नहीं बन सकता है। इसके बावजूद मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हम जिस चीज को कहना चाहते हैं उसका किस रूप में समावेश करें उसके लिए कोई कान्क्रीट चीज सामने आये तो हम कुछ कर सकते हैं....

श्री रामानन्द अग्रवाल : पार्लियामेंट में कहा है।

श्री फूलचन्द जैन : पार्लियामेंट में कम्युनिस्ट पार्टी के माननीय सदस्यों के भाषणों को पढ़ने की कोशिश की है। मैं एक दिन वहां गया भी हूं और उनके भाषणों को सुनने की भी कोशिश की है। हमारी भावनाओं को हम रख सकते हैं। उसके अन्दर जो कुछ कल्पना की जा सकती है वह भी हम बता सकते हैं, परन्तु इसके अन्दर कान्क्रीट रूप में किस प्रकार से रखी जायं और उसका क्या रिपलेक्शन होगा वह भी एक सोचने वाली बात हो सकती है।

इसी तरीके से मैं यह बात कहना चाहता हूं कि मूलभूत अधिकारों में प्रोपर्टी राइट की जो बात है उसके बारे में चर्चा पार्लियामेंट में भी चली, उपाध्यक्ष महोदय, और आम तौर पर चलती है....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आर्डर प्लीज! आपके सामने माननीय सदस्य बोल रहे हैं।

श्री माणकचन्द सोगानी : Sorry, Sir.

श्री फूलचन्द जैन : इसके पक्ष में बोलने वाले तो प्रोग्रेसिव कहे जाते हैं और विपरीत बोलने वाले रिएक्शनरी हो जाते हैं।

मैं एक बात कहना चाहता हूं कि प्रोपर्टी राइट्स को मूल अधिकारों में जोड़ कर जो बात की जाती है उस में एक बात हमारी समझ में नहीं आती है, उपाध्यक्ष महोदय, क्या हम यह चाहते हैं कि किसी भी इन्सान की कोई प्रोपर्टी नहीं रहनी चाहिए, और उसके मूल अधिकार समाप्त कर दिये जाय? एक प्रश्न तो यह आता है। दूसरी बात यह आती है कि हम किस प्रकार से इसको मर्यादित करें? आपने जो भाषण दिया उसको मैंने सुना। आपकी विचारधारा को मैं समझता हूं लेकिन इसके परिप्रेक्ष्य में आपने जो बात कही उससे मैं इतना ही इत्तफाक करता हूं, मैं समझता हूं कि आज के जो कानून और कायदे हैं उनको पूरी सख्ती से इम्पलीमेंट किया जाय तो सम्पत्ति का एकत्रिकरण करके आज धनपति बने हुये हैं, मोनोपोलिस्ट या केपिटलिस्ट टेन्डेन्सी बढ़ रही है उसको रोकने की बात है वह पूरी हो सकती है। उसके बारे में सख्त से सख्त जो कुछ भी किया जा सकता है वह किया जाय, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं सिर्फ मिसाल की दृष्टि से एक बात कहूं कि यह मेरी समझ में नहीं आता कि इसको इतना क्यों कहा जाता है। इस सम्बन्ध में अजमेर में हमारी प्राइम मिनिस्टर ने जो बात कही थी उसको यहां पर निवेदन करना चाहता हूं। उन्होंने यह बात कही थी "मेरे पर इस बात के लिए कई बार प्रेशर आते हैं कि सारी चीजों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय चाहे उसका

(श्री फूलचन्द जैन)

रिपर्कशन कुछ भी हो, राष्ट्रीयकरण होना ही चाहिए।" उन्होंने कहा कि जब तक मैं हूं मैं ऐसा नहीं कर सकती। जो आवश्यक है उसका ही राष्ट्रीयकरण किया जायगा, परन्तु राष्ट्रीयकरण अगर हमारे राष्ट्र के हित के विपरीत पड़ता हो तब भी राष्ट्रीयकरण करना चाहिए और तभी समाजवाद आ सकता है तो ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसे समाजवाद को मैं नहीं मानती। मैं भारतीय समाजवाद को मानती हूं जिससे भारतीय जनता का हित बढ़ता हो उसी समाजवाद को हिन्दुस्तान के अन्दर लाना चाहती हूं, उसके लिए ही हम काम करना चाहते हैं।"

एक बात और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि संविधान सभा बनाकर कानून बनाने की बात जिन्होंने कही उनमें एक केबिनेट मिनिस्टर भी थे, यह सब बातें कहीं। मैं समझता हूं कि अगर हमारे हितों को ध्यान में रखकर उन्होंने यह बात कही तब तक तो कुछ नहीं कहना है, अन्यथा मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि जो बिल हमारे सामने है वह वहां पर एक्ट बन चुका है, पालियामेंट में वह पास हो चुका है, और कांग्रेस के सर्व सम्मत निर्णय से यह संशोधन पास हुआ है, अब पास होने के बाद हमारे पास आया है और इस पर आज डिस्कशन्स और डेलिबरेशन्स हुए हैं तो अपने अपने थाट्स के हिसाब से अगर कोई बात कहता है तो हम उनको कहां से लाकर कहां जोड दें, और कहां से कहां लिंक जोड़कर कहें, इन्दिरा गांधी के खिलाफ षड्यन्त्र की संज्ञा देकर कहां से कहां उसको पहुँचा दें, यह वाजिब बात नहीं है। मैं कह सकता हूं कि जो अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संगठन है वह ऐसा संगठन बन चुका है श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में कि उसके अन्दर व्यक्तिगत विचारधाराएं कोई भी व्यक्ति रख सकता है, कह सकता है। जो सारे हिन्दुस्तान की जनता के हित में होगा, उसको करने की आवश्यकता होगी, उसमें इतनी परेशानी की बात नहीं होगी। पिछले वर्षों के अन्दर एक नई फिजा और नई स्थिति पैदा हुई है। तो विचारधारा की स्वतन्त्रता को हम खत्म नहीं कर सकते। वह स्वतन्त्रता कायम रहेगी चाहे इससे कोई राजी हो या नाराज हो।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ अन्त में कहना चाहता हूं कि संविधान संशोधन विधेयक का अनुसमर्थन करने के संकल्प पर हम विचार कर रहे हैं जिस विधेयक पर विचार कर रहे हैं, वह पालियामेन्ट ने पास किया है, उसका हमें हृदय से, खुले दिल से समर्थन करना चाहिए। इसके पास होने पर, मैं समझता हूं, हमारा देश तेजी से प्रगति करेगा। नेशनल इण्टेग्रिटी का खास तौर से जो लक्ष्य है, जो बेसिक लक्ष्य है उसकी प्राप्ति में हम सफल होंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री वृद्धिचन्द्र जैन।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारा 44वां संविधान संशोधन विधेयक, 1976 है, इस विधेयक को, राज्य सभा और पालियामेण्ट ने पारित किया है, इसका मैं अनुमोदन करता हूं।

मैं यह कहना चाहता हूं कि स्वामी विवेकानन्द ने कहा था, "उठो, जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो तब तक मत रुको।" उस लक्ष्य

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

की प्राप्ति के लिए हमें कार्य करना है। हमें राजनैतिक आजादी प्राप्त हुई परन्तु हमें आर्थिक आजादी प्राप्त करनी है यह जो कान्स्टीट्यूशन अमेण्डमेण्ट है, यह उस आर्थिक आजादी की प्राप्ति में सहायक है इसलिए मैं इसका स्वागत करूंगा। जितने भी कान्स्टीट्यूशन अमेण्डमेण्ट प्रस्तुत किये हैं उन्हें मैंने पढ़ा है। मैं इसी निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यह कान्स्टीट्यूशन अमेंडमेंट बहुत ही प्रोग्रेसिव है। सूझबूझ के साथ किये गये हैं। इसका हमें स्वागत करना चाहिए। इसमें आर्टिकल 368 महत्वपूर्ण है। इसी को लेकर हाई कोर्ट और सुप्रिम कोर्ट में डिस्प्यूट हुआ करता था। अब यह प्रश्न हमेशा के लिये तय कर दिया गया है। अब उस आर्टिकल 368 के बारे में कोई भी हाई कोर्ट में या सुप्रिम कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकता है यह सबसे बड़ी उपलब्धि कान्स्टीट्यूशन की है। इससे कान्स्टीट्यूशन की सुप्रिमेसी एस्टेब्लिश हुई है। कोई भी कान्स्टीट्यूशन, जो पार्लियामेन्ट के द्वारा या कान्स्टीट्यूएण्ट असेम्बली के द्वारा बना है, सर्वोच्च होना चाहिए। वह सुप्रिम होना चाहिए। प्रश्न उठा था कान्स्टीट्यूएन्ट असेम्बली का। पहले जो कान्स्टीट्यूशन बना वह लिमिटेड-फ्रेंचाइज बेसिस पर चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा बनाया गया था। अब जो पार्लियामेंट है, उसमें अडल्ट फ्रेंचाइज बेसिस पर चुने हुए प्रतिनिधि हैं। अब जो पार्लियामेण्ट जनता का प्रतिनिधित्व करती है, क्या वह कान्स्टीट्यूशन अमेण्डमेंट नहीं कर सकती है? वह कर सकती है। अब भी हम कान्स्टीट्यूएण्ट असेम्बली बनायें तो वह पार्लियामेन्ट के जरिये बनी हुई होगी। उसको तो अधिकार हो लेकिन अगर पार्लियामेण्ट खुद अमेण्डमेण्ट करे तो मान्य नहीं होगा, यह नहीं हो सकता है। इस पार्लियामेण्ट को यह संशोधन करने का अधिकार है। जो डिस्प्यूट चला हाई कोर्ट और सुप्रिम कोर्ट के बीच, वह फण्डामेण्टल राइट्स को लेकर है। अब जो है वह डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल को लेकर साफ निर्णय हमेशा के लिए कर दिया है। जहां फण्डामेण्टल राइट्स और डाइरेक्टिव प्रिंसिपल का प्रश्न आता है तो वहां पर डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल को मान्यता दी जाएगी। यह इण्टरप्रिटेशन के कारण व्यवधान आया था। उसके कारण ही हमें कान्स्टीट्यूशन में अमेण्डमेण्ट लाना पड़ा। अब हमने उसको स्पष्ट कर दिया है। कोई कानून डायरेक्टिव प्रिन्सिपल्स को क्रियान्वित करने के लिए बनायेंगे यदि वह फण्डामेण्टल राइट आर्टिकल 31 के अधिकारों पर कुठाराघात करता है तब वह वाइड नहीं होगा उसे मान्यता दी जाएगी। प्रश्न उठाया है इन्डिविजुअल राइट्स का और डायरेक्टिव प्रिन्सिपल्स का, दोनों में से किसे मान्यता दें। अगर किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत अधिकार हमारे राष्ट्र के विकास में बाधा डालते हैं बीस सूत्री कार्यक्रम में बाधा डालते हैं, हमारे देश के आर्थिक विकास में बाधा डालते हैं तो इस प्रकार के फण्डामेंटल राइट्स को हम बरदाश्त नहीं कर सकते हैं। फण्डामेण्टल राइट्स पर कुठाराघात करे बिना हम लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं, इसीलिए फण्डामेण्टल राइट्स के ऊपर डायरेक्टिव प्रिन्सिपल्स को महत्व दिया है। वह बिल्कुल सही दिया है। यह हमारे देश के हित में है। हमारे राष्ट्र के हित में है। गरीबी उन्मूलन के हित में है। देश को आगे बढ़ाने के हित में है।

अब प्रश्न उठता है कि हाईकोर्ट और सुप्रिम कोर्ट की पावर लिमिटेड कर दी गई

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

हैं। यह सही है। हाई कोर्ट और सुप्रिम कोर्ट की पावर लिमिटेड होती हैं। लेकिन उनका जो जूरिस्डिक्शन है, उसके अन्दर ग्राटोनोमी दी गयी है। हाई कोर्ट और सुप्रिम कोर्ट अगर पार्लियामेण्ट के जूरिस्डिक्शन मे इन्टरफीयर करता है, अतिक्रमण करता है, पार्लियामेण्ट के अधिकारों पर अतिक्रमण करता है तो यह कभी बरदाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने ऐसा किया है, गोलखनाथ के केस में किया है। केशवानन्द भारती के केस से किया है। उन्होंने हमारी सोवरनिटी पर आक्रमण किया है लेकिन अब हमने स्थिति स्पष्ट कर दी है। अब हमारे फंडामेण्टल राइट्स के मुकाबले में नीति निदेशक सिद्धान्त महत्वपूर्ण होंगे। फण्डामेण्टल राइट्स को लिमिट कर अलग-अलग सीमित कर दिया है। अब यह कर दिया है कि सेंट्रल लेजिस्लेशन होगा तो सुप्रिम कोर्ट का जूरिस्डिक्शन होगा और अगर प्राविंशियल लेजिस्लेशन होगा तो हाई कोर्ट निर्णय करेगा। यह तो ठीक नहीं है कि हाई कोर्ट अलग देखे और सुप्रिम कोर्ट अलग देखे एक ही विषय पर तो उससे कन्फ्यूजन होता है। पहले केशवानन्द भारती के मामले में एक की मेजोरिटी से निर्णय हुआ था। अब ऐसे मामले में 2/3 की मेजोरिटी रखी गई है। पहले एक की ही मेजोरिटी में ही हमारी प्रगति में बाधा डाली गई है। लैण्ड रिफार्म में बाधा डाली गई है।

अभी जो कान्स्टीट्यूशन संशोधन हुआ है उसको हम पास करें। लेकिन लेजिस्लेशन पास करने के बाद में उसके क्रियान्वयन की जिम्मेवारी हमारे मेम्बर्स आफ पार्लियामेंट की है, मेम्बर्स आफ असेम्बली को भी है और साथ-साथ एक्जीक्यूटिव की भी है। मैं यह कहना चाहता हूं कि लैण्ड रिफार्म्स एक्ट इन द ईयर 1960 पास हुआ जिससे इस सम्बन्ध में हाई कोर्ट और सुप्रिम कोर्ट के जितने भी आर्डर्स थे वे सब निर्णय हो गये परन्तु फिर भी हमने कानूनों को क्रियान्वित नहीं किया। उसके लिए कौन जिम्मेदार था? हमारी प्रगति में बाधा डालते हैं इस लिये हमने कान्स्टीट्यूशन में अमेंडमेंट किया है और आगे करना चाहते हैं ताकि हाई-कोर्ट और सुप्रिम कोर्ट कोई रुकावट न डालें। प्रोग्रेसिव लैजिस्लेशन बनावें और उसके अन्दर हमारी पार्टी के सदस्य अगर बाधा डाले, उसके अन्दर व्यवधान डालें तो उसके अन्दर भी हमको सोचना चाहिये और जो भी ऐसी शक्तियां आज कांग्रेस के अन्दर हैं उनको ऊंचे पदों पर नहीं रहने दिया जाना चाहिये। उन व्यक्तियों को, जो बाधा डालते हैं, कांग्रेस में स्थान नहीं देना चाहिये। लैण्ड रिफार्म्स के बारे में मैंने देखा है प्रोग्रेसिव लैजिस्लेशन पास कर देते हैं और व्यवधान हम खुद डाल देते हैं।

अब प्रश्न यह उठता है कि हमने हाई कोर्ट, सुप्रिम कोर्ट की पावर्स सीमित कर दीं तो एक्जीक्यूटिव की पावर्स के बारे में भी हमको देखना है, हमें सोचना है, वह एक्जीक्यूटिव पावर्स हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट्स उन पावर्स का उपयोग कर रहे हैं और अधिक मामलों में विलम्ब करते हैं, रेड टेपिज्म पनपा दिया है और जो भी प्रोग्रेसिव कदम होता है उसके क्रियान्वयन में इतनी डिले कर देते हैं कि जनता को न्याय नहीं मिलता। गरीब आदमी को रिलीफ नहीं मिलता। हमने और भी कानून बनाये हैं और कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किये हैं। इन्हें क्रियान्वित करने में जो भी

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

बाधा डालता है, डिले करता है उसके मामले में हमें सोचना है और उसके संबंध में भी हमें कदम उठाना है तभी कान्स्टीट्यूशन से जो हमारी मंशा है, इस अमेंडमेंट से जो हमारी मन्शा है उसकी पूर्ति कर सकेंगे। इसलिये हमको चाहिये कि एक्जीक्यूटिव साइड को भी हम ठीक करें। हम सोशियलिस्टिक, डेमोक्रेटिक और सेक्यूलर रिपब्लिकन स्टेट कायम करना चाहते हैं परन्तु किसके द्वारा उन गवर्नमेंट सर्वेंट्स के द्वारा जो आर. एस. एस. विचारधारा के हैं, जो प्रतिक्रियावादी हैं जो समाजवाद नहीं मानते हैं। यह सब नहीं हो सकता। हमें यह भी सोचना पड़ेगा कि हमारी जो गवर्नमेंट की मशीनरी है उसको किस प्रकार से ठीक करें। अगर हम इस प्रकार नहीं कर सके तो कितने ही संशोधन बढ़िया हों परन्तु यह मशीनरी उसका विकृत रूप कर देगी। इसलिये मैं चाहता हूं, हमें यह सोचना और समझना है कि गवर्नमेंट मशीनरी को किस प्रकार टाइट करना है। किस प्रकार उनकी शक्तियों पर अंकुश लगाना है। परिवार नियोजन बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा परिवार नियोजन कार्यक्रम ड्यूटी के अन्दर रखा जाये तो परिवार नियोजन कार्यक्रम के बारे में कोई दिक्कत न हो। वे अभी तक हमेशा इस प्रकार का कार्य करते रहे हैं जिससे प्रजातन्त्र को खतरा हो। हमें भी इस कार्य में यह करना है कि हम जितने भी कांग्रेस के सदस्य हैं उनको संगठित रहना चाहिये और सारी शक्तियां परिवार नियोजन कार्यक्रम को सफल बनाने में लगा देनी चाहिये। एक्जीक्यूटिव पर कैसे कन्ट्रोल करें यह सोचना पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त कीजिये।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : अभी दो मिनिट में समाप्त करता हूं।

न्याय के ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन करने के बारे में हमने डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल्स में रखा है फ्री लीगल एड के बारे में। मैं मेरे व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर बता देना चाहता हूं फ्री लीगल एड के बारे में आप व्यवस्था करना चाहते हैं तो उसके लिये स्टेट को फ्री लीगल एड की व्यवस्था करनी पड़ेगी। अन्यथा जो भी वकील फ्री काम करेंगे वह वालन्ट्री स्पिरिट से काम नहीं करेंगे तो कोई भी गरीब से गरीब हो वह उससे वकालत नहीं करा सकेंगे। फ्री लीगल एड के बारे में, जो कि चाहते हैं, डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल्स के अन्दर रखा है तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट को फंड्स की व्यवस्था करनी पड़ेगी। राज्य सरकार अगर ऐसा करती है तो ग्रामीण क्षेत्रों को लाभ पहुंचेगा। अभी जो न्याय का ढांचा है उसमें बहुत ही मंहगा न्याय है। बहुत ही समय लगता है न्याय में। एवीडेंस एक्ट इस प्रकार का है उसको हम कतई चेंज नहीं कर सकते। जो एवीडेंस पर आता है शहादत देने के लिये, उसे सच बोलना चाहिये परन्तु हमारे 75 प्रतिशत वकील इस प्रकार की सलाह देते हैं जिससे वे सही नहीं कहते। यह स्थिति हमारे देश में बनी हुई है। जिसने जुल्म कर दिया हो वह भी यह चाहते हैं कि येन केन प्रकारेण छूट जायं। इसलिए झूठ के आधार पर छूटने की कोशिश करता है। इसलिये राज्य सरकार सोच रही है केन्द्रीय सरकार सोच रही है इसमें आमूल-चूल परिवर्तन करने की।

अब प्रश्न यह उठता है, यह जो टर्म बढ़ा है उसके बारे में हमारे अग्रवाल साहब

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)
ने बात कही कि धर्म बढ़ाना बहुत ही आवश्यक है।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

एन्टी-नेशनल एक्टीविटीज को समाप्त करने के लिये कानून बनाना चाहिये, आर. एस. एस., जो छिपे-छिपे काम कर रहा है, अपना प्रचार कर रहा है, की एक्टीविटीज को किस प्रकार कम करें क्योंकि राष्ट्र के सिद्धांत के विरुद्ध है, हमारी धर्म निरपेक्षता नीति के विरुद्ध है। उनकी शक्तियों को कैसे कमजोर करें और शांतिपूर्ण तरीके से कैसे करें उसके लिये लेजिस्लेशन बनाना होगा। मैं यह समझता हूं इसके लिये सेन्ट्रल गवर्नमेंट लेजिस्लेशन पेश कर रही है। श्रीमती इन्दिरा गांधी ने 1972 के चुनाव 1971 में करा दिये, वही श्रीमती इन्दिरा गांधी जल्दी ही चुनाव कराना चाहती हैं। और वे शीघ्र चुनाव करायेंगी मुझे ऐसा विश्वास है।

अब प्रापर्टी राइट्स के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। फंडामेंटल राइट्स में प्रापर्टी राइट होना चाहिये। लेकिन उसमें सीलिंग होनी चाहिये उसमें आप सीलिंग करके गरीब और पूंजीपति के बीच जितना अन्तर कम होना चाहिये उतना अन्तर कम कीजिये। उसी प्रकार के निदेशन बनाकर शहरी सम्पत्ति पर कर्ब कर सकते हैं, उस पर अंकुश लगा सकते हैं। परन्तु आज यदि इस प्रकार राइट्स को फन्डामेन्टल राइट्स में लिया जावे तो किसानों के अन्दर एक प्रकार का भ्रम पैदा हो जायगा, उनमें अशान्ति, और उनके दिमागों में भी भ्रान्ति पैदा हो जायगी, वे कोआपरेटिव-बेसिस पर फार्मिंग को डेवलप नहीं कर सकते। जब किसानों के अन्दर इस प्रकार की चीज आ जायेगी कि जो थोड़े अधिकार हैं उनको रोकना चाहते हैं तो जनता में विद्रोह की भावना पैदा होगी, गलत भावना पैदा होगी, इस प्रकार की भूल हम कभी नहीं करेंगे। हमारे देश की प्रगति के लिये, हमारे देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिये यह जो कान्स्टीट्यूशन अमेन्डमेन्ट लाया गया है इससे हमारी जनता प्रगति करेगी, जनता का विकास होगा इसमें कोई सन्देह नहीं है। हमें और भी अमेन्डमेन्ट लाने की आवश्यकता है। अभी मैं आर्टिकल 317 पढ़ रहा था। पब्लिक सर्विस कमीशन से किस प्रकार के फायदे हैं, आर्टिकल 317 में यह लिखा है कि टेन इयर्स सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट या प्राविन्शियल गवर्नमेन्ट में आफिस होल्ड करता हो तो पब्लिक सर्विस कमीशन में ले लिया जाय। यह सर्विस कौनसी होगी, तहसीलदार की हो सकती है, एस.डी.ओ. की भी हो सकती है, तो ये इसमें आयेंगे तो इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। हाई कोर्ट के जजेज के लिये यह क्लियर कर दिया गया है कि दस साल का जज या एडवोकेट का एक्सपीरियन्स होना चाहिए। पब्लिक सर्विस कमीशन सर्विस को कन्ट्रोल करता है, कान्स्टीट्यूशन में पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए जो प्रोविजन है उसमें हम चेन्ज कर सकते हैं। हमको इसी प्रकार से स्पष्ट कर देना चाहिए कि ट्रिब्यूनल के सदस्य जो होंगे उनकी क्या क्वालिफिकेशन होंगी? हाई कोर्ट

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

में जजेज के कैडर के नहीं होते हैं तो फैसले पक्षपात के आधार पर होने की संभावना है।

Page No 51

(51)

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)
इसलिए हम चाहते हैं कि उनकी अपील भी हाई कोर्ट में हो और उसकी अपील सुप्रिम में होनी चाहिए। ठीक है उन्होंने गलत फिलासफी के आधार पर गलत फैसले दिये हैं।

एक माननीय सदस्य : यह तो विरोधाभास है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : यह विरोधाभास नहीं है। अगर ये सर्विसेज इम्पार्शियल नहीं होंगी तो एक भयानक स्थिति आ सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चंवालीसवें संविधान संशोधन अधिनियम, जो राज्य सभा और पार्लियामेन्ट में पारित हुआ, का अनुसमर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री ओंकारलाल चौहान।

श्री ओंकारलाल चौहान (डग) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चवालीसवें संविधान (संशोधन) विधेयक, 1976, जो संसद द्वारा पारित है, पर इस सदन में चर्चा चल रही है। माननीय उपाध्यक्ष जी, यह निर्विवाद सत्य है कि जो संविधान में संशोधन किये गये हैं वह आज की परिस्थितियों और आज के समय को देखते हुए और आगे आने वाले समय को देखते हुए किये गये हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस पर विचार करते समय हमको यह भी देखना पड़ेगा कि आखिर इसकी आवश्यकता हमको क्यों पड़ी ? मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि संविधान के निर्माता डाक्टर अम्बेडकर, who has been one of the important framers of the Constitution. ने भी कान्स्टीट्यूएन्ट असेम्बली के अन्दर 1949 में इस बात को कहा था—"26 जनवरी, 1950 को राजनीति में समानता की स्थापना हो जायगी। लेकिन आर्थिक और सामाजिक असमानता जारी रहेगी। हमें चाहिए कि इस विरोधाभास पूर्ण आचरण में शीघ्रातिशीघ्र परिवर्तन लाएं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो जो लोग सामाजिक और आर्थिक असमानता के शिकार हैं, वे उस जनतन्त्रीय संविधान को, जिसे बनाने में संविधान सभा ने कई सालों तक अथक प्रयत्न किये हैं, नष्ट-भ्रष्ट कर देंगे।"

(2.26 म.प.)

(श्री फूलचन्द जैन, सभापति, पीठासीन)

माननीय सभापति जी, यह शब्द, यह वाक्य उस महान व्यक्ति ने 1949 में संविधान सभा में कहे थे, 1950 में हमारे देश में संविधान लागू हुआ था। इस 25–26 साल के अर्से को देखते हुए पोलिटिकल इन्डिपेन्डेन्स तो हमको मिली, लेकिन हम यह महसूस करने लगे कि आज भी सरमायेदार और फ्यूडेलिस्ट जो हैं, या इसी प्रकार के अन्य तत्व जो हैं, वे देश की प्रगति को रोकना चाहते थे, देश की जनता को सामाजिक और आर्थिक न्याय दिलाने के अन्दर बाधा डालने की कोशिश कर रहे थे और संविधान के सही मकसद को पूरा नहीं होने देना चाहते थे, इसलिए यह महसूस किया गया कि इस प्रकार का विधान बनाया जाय जिससे आम अवाम, जनता और विशेषकर सत्तर प्रतिशत गरीब जनता और जो वर्ग दबा हुआ है, पिछड़ा हुआ है, जो शोषित है, पीड़ित है उसको किस प्रकार से सामाजिक

(श्री ओंकारलाल चौहान)

और आर्थिक न्याय प्राप्त हो और कैसे इस प्रकार का वातावरण पैदा किया जाय। माननीय सभापति जी, पंडित नेहरू ने भी सन् 1949 के अन्दर इस बात को दोहराया था कि

"While we want this Constitution to be as solid and as permanent as we can make it, there is no permanance in constitutions. There should be a certain flexibility. If you make anything rigid and permanent, you stop the nation's growth, the growth of a leading, vital organ of the people. Anything we could not make this constitution so rigid that it cannot be adapted to changing condition. When the world is in turmoil and we are facing through a very swift period of transition that we may do today may not be wholly capable tomarrow.

माननीय सभापति महोदय, यह एक बहुत ही आवश्यक चीज है कि एक संविधान के जरिये उसमें रुकावट पैदा होने लगी, सामाजिक और आर्थिक तरक्की का रास्ता जो सबके लिए समान रूप से खुला होना चाहिए बन्द नजर आने लगा। नेशनेलाइजेशन आफ बैंक्स और प्रिविपर्स का मामला था उस पर कर्ब आया। उस समय श्रीमती इन्दिरा गांधी ने जो प्रगतिशील कदम उठाये थे और इस दिशा में प्रयत्न किया था, लेकिन आपको मालूम है कि इस रास्ते में कितनी बाधायें खड़ी हुई थीं। आज देखने में आता है हाउस के अन्दर और हाउस के बाहर, पार्लियामेंट के दोनों सदनों के अन्दर इस बात की विस्तारपूर्वक चर्चा हुई है कि ज्युडिशियरी को कर्ब किया जा रहा है। माननीय सभापतिजी, यह बात नहीं है। अभी माननीय सदस्य, हमारे जैन साहब कह रहे थे कि ज्युडिशियरी को हमने महान माना है ज्युडिशियरी, एक्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर तीनों के एक मैथड से, एक प्रोसीजर से, कोआर्डिनेशन से आम अवाम को किस प्रकार से राइट दिला सकें और प्रगति कर सकें यह उनका काम है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा ज्युडिशियरी के सम्बन्ध में, कि The learned Doctor stressed the need of independent judiciary to safeguard the right of individual यह देखना पड़ेगा कि जितने प्रगतिशील कदम उठाये प्रगतिशील कानून बनाये, प्रधान मंत्री ने सामाजिक या आर्थिक प्रगति करने के प्रयास किये, लेकिन जो न्यायपालिका निष्पक्ष होनी चाहिए थी, जिससे संविधान निर्माताओं ने आशा की थी कि वह हिन्दुस्तान के लोगों को न्याय दिलाएगी और उनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, वह ज्युडिशियरी इन्डिपेंडेन्ट नहीं रही।

गोलखनाथ केस में उन्होंने फैसला दिया जो विवादास्पद बन गया। उन्होंने माना कि लोक सभा व राज्य सभा को संविधान में परिवर्तन करने का अधिकार तो है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर में हम तब्दीली नहीं कर सकते। इस संसार में हमेशा बुद्धिमान, बुद्धिजीवी राज्य करते रहे हैं और उनका दृष्टिकोण रहा है कि किस प्रकार दूसरे लोगों पर, जिनमें 20 प्रतिशत साक्षर हैं और 80 प्रतिशत निरक्षर हैं, दबाव डालकर राज्य किया जाय। इसलिए जो अपने आपको बुद्धिमान बताना चाहते हैं उन्होंने जाल फैलाया और

(श्री ओंकारलाल चौहान)

इस प्रकार ज्यूडिशियरी के लोग इन्डिपेंडेंट नहीं रहे। उन पार्टीज के, उन सरमाएदार के स्वार्थ निहित थे, इसलिए इसकी आवश्यकता प्रतीत हुई। ज्यूडिशियरी, एक मायने में यह कह सकता हूं, वेस्टेड इन्ट्रेस्ट्स को सर्व कर रही थी तो अतिशयोक्ति नहीं होगा। उन्होंने इस प्रकार का वातावरण बनाया जिससे आम लोगों की आकांक्षायें पूर्ण करने में सरकार असमर्थ रही और ऐसे निर्णय देने लगी जिनसे कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ सिर्फ इसलिए कि वे वेस्टेड इन्ट्रेस्ट्स को सर्व करते थे। इसलिए ज्यूडिशियरी को कर्ब करना लाजिमी था जिसके द्वारा वे उन्हीं मुद्दों को देखें जो कोर्ट के ज्यूरिस्डिक्शन में आते हैं।

अब बात रह जाती है कि उनको अधिकार था या नहीं, यह बात साफ हो गई कि उनको अधिकार था। इसलिए उस अधिकार के अन्तर्गत हम कह सकते हैं कि यह बात आवश्यक थी, संविधान के निर्माताओं ने सोचा, उसी दिशा में हम चल रहे हैं। अभी भी, सभापतिजी, शंकायें हैं। आज भी राइट टू प्रापर्टी रखा हुआ है। यह आवश्यक है कि जब तक राइट आफ प्रापर्टी समाप्त नहीं करेंगे फन्डामेंटल राइट्स के चेप्टर से, तब तक सही मायने में हम समाजवाद की ओर बढ़ नहीं पायेंगे। यह कर्ब लगाया है वह कम है, आज भी कुछ लोग पावरफुल हैं, वे इससे बच निकलते हैं। मार्क्स ने साफ शब्दों में कहा है :-

"The dominant elements of Marxian Socialism proved attractive to most of the minds of the youths. Marxism as a politico-economic creed is based upon the theory that the institution of private property is the root cause of all social evils and that, therefore, its abolition would usher in real social harmony.

अगर हम महसूस करते हैं, प्रापर्टी राइट को रूट काज मानते हैं तो जिस कारण से हम बीमार हैं, उसी के लिए हम उपाय करें। इसलिए अच्छा होता कि फण्डामेंटल राइट्स के चेप्टर से इसको हटा देते जिससे रोग की जड़ मिट जाती।

धारा 59 में संशोधन किया गया है, यह आवश्यक था। शिक्षा को इसमें शामिल किया है राष्ट्रीय नीति के आधार पर जिससे सारे देश की नीति एक हो। देश किस रास्ते पर चले, किस प्रकार इसके ढांचे को बनायें और आर्थिक व सामाजिक रूप से आगे ले जा सकें, इसलिए जो विषमतायें हैं, अमीर व गरीब के बीच में आर्थिक व सामाजिक लड़ाई है, उनको अगर हम दूर कर देते हैं तो देश आगे तरक्की कर सकता है। कई बार दलील दी जाती है कि इंग्लैंड का संविधान बहुत अच्छा है। ठीक है, हमने उसको एडाप्ट किया है। इंग्लैंड में तो सुप्रीम पावर रानी की है। हमने अपने देश को गणतन्त्र माना है, यहां राष्ट्रपति का चुनाव होता है, हर एक को अधिकार दिया है कि हर पांचवें साल किसी धर्म या जाति के व्यक्ति को अपने प्रतिनिधि के रूप में चुन सकता है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा संविधान बहुत व्यापक दृष्टि से बना हुआ है, सारी चीजों का इसमें समावेश होता है। आने वाले समय में आवश्यक होगा कि इस समय जो बातें रह गई हैं,

(श्री ओंकारलाल चौहान)

उनका समावेश किया जाये। कुछ लोग कहते हैं कि डेमोक्रेसी कमजोर होगी। मैं कहता हूं कि ज्यादा मजबूत होगी। डेमोक्रेसी को चलाने वाली एग्जीक्यूटिव साइड है। यहां क्लास वार चलती है। There is struggle between democracy and bureaucracy जो कि बराबर निरन्तर चल रही है और हर स्फीयर में है, राजनैतिक और सामाजिक जीवन में भी है। सर्विसेज में भी है। धीरे-धीरे 10-15 सालों में जो प्रतिक्रियावादी तत्व थे आर. एस. एस. व आनन्द मार्गी जो देश को तोड़ना चाहते हैं, उन्होंने एन्ट्री की। किसी न किसी प्रकार एन्ट्री करके वे इस प्रकार की अव्यवस्था पैदा करना चाहते हैं जिससे हमारे संविधान के अन्दर बाधा पड़े और सही काम न हो। आज भी ऐसे तत्व मौजूद हैं, उन पर एक्शन लेना चाहिये। जब तक दोनों डेमोक्रेसी और ब्यूरोक्रेसी साथ-साथ नहीं चलेंगी तब तक पूर्ण सफलता नहीं मिलेगी। अभी 20 सूत्री कार्यक्रम में बहुत काम हुए हैं राजस्थान में, लेकिन जितनी सफलता मिलनी चाहिये थी वह नहीं मिली है। हमें देखना पड़ेगा कि जो व्यक्ति हमारी नीतियों को लागू करते हैं वे बोनाफाइडी हैं या मेलाफाइडी। अगर उनके दिल में आस्था नहीं है तो हम भली प्रकार से काम नहीं कर पायेंगे। जो भारत सरकार या राज्य सरकार कानून बनाती है उनमें, राष्ट्रीय नीति में उनकी आस्था है या नहीं, यह देखना पड़ेगा। अगर नहीं है, तो उनको हटाना पड़ेगा। तभी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जो संविधान संशोधन आया है उसका मैं स्वागत करता हूं। जो कमियां रह गई हैं, उनको आगे चलकर पूरा किया जाये ताकि जो विषमतायें रह गई हैं वे दूर हो सकें और हिन्दुस्तान एक अच्छा देश बन सके।

श्री सभापति : श्री मोहरसिंह।

श्री मोहर सिंह (सादुलपुर) : सभापति महोदय, आज सदन में संविधान के 44 वें संशोधन विधेयक का अनुसमर्थन करने के लिये जो बहस चल रही है उसमें मैं भी चन्द शब्द बोलना चाहूंगा। सभापति महोदय, संविधान हमारे देश का एक ऐसा दस्तावेज है कि जिसके अन्दर अगर हम परिवर्तन करते हैं तो उसके दूरगामी परिणाम होंगे। इसलिये मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं। इसका मुख्य कारण यह है कि आज जिन परिस्थितियों में संविधान में संशोधन किया जा रहा है वह संविधान में संशोधन करने के लिये उपयुक्त नहीं हैं। सभापति महोदय, हमारे देश का संविधान जब बना था उस वक्त की परिस्थितियों में और आज की परिस्थितियों में बहुत ही फर्क है। इसमें दो राय नहीं कि संविधान में संशोधन होना चाहिये। हमारा जो संविधान बना था वह कॉन्स्टीट्यूएन्ट असेम्बली द्वारा बनाया गया था। उसके बाद में लोक सभा और राज्य-सभा और विधान सभाओं द्वारा कई विधेयक पास किये गये, अनुमोदित किये गए लेकिन संविधान में जब हम संशोधन करने जाते हैं तो हमें कई बातें देखनी पड़ती हैं। सरकार ने यह सभी नहीं देखकर संविधान में संशोधन कर दिया है। मैं मौजूदा वक्त में मौजूदा सरकार के संविधान के अन्दर संशोधन करने का विरोध करता हूं और सरकार पर यह इल-जाम लगाता हूं कि सरकार ने जो 44 वां संशोधन संविधान में किया है यह बहुत ही

Page No 55

55

(श्री मोहर सिंह)

गलत ढंग से किया है। सभापति महोदय, संविधान में इतने परिवर्तन करने का तरीका अनुचित है ? यह सही है कि जब कॉन्स्टीट्यूशन बना था उस वक्त की परिस्थितियों में और आज की परिस्थितियों में बहुत फर्क है इस कारण परिवर्तन संविधान में जरूर होना चाहिये और बिना संविधान में परिवर्तन किये आप देश में समाजवाद ला भी नहीं सकते। जनता को ऊपर उठाने के लिये परिवर्तन करना हमारा सबसे पहला फर्ज है. लेकिन आज देश के हालात हैं, उन हालात में संविधान में इतना बड़ा परिवर्तन करना विशेष रूप से अनुचित है। सभापति महोदय, यह अनुचित इसलिये है कि देश की जनता के अन्दर एक भय बैठा हुआ है। आज की जनता भय से ग्रस्त है। आज देश में इमर्जेन्सी के डर से, इमर्जेन्सी की तलवार के लटके रहने से, देश की जनता घबरा रही है। आज संविधान के बारे में बहस नहीं कर सकते और न ही अपनी भावना को जनता तक पहुँचाने के लिये अखबारों में ही अपने बयान दे सकते हैं। न कोई खुली बहस ही संशोधन पर कर सकते हैं।

श्री ओंकारलाल चौहान : यह खुली बहस ही तो आप कर रहे हैं। यह खुली बहस नहीं हो रही है क्या ?

एक माननीय सदस्य : सड़क पर बहस करने की बात कर रहे हैं।

श्री सभापति : Order please.

श्री ओंकारलाल चौहान : आप खुली बहस ही तो कर रहे हैं।

श्री मोहरसिंह : आज, सभापति महोदय, इमर्जेन्सी के कारण किसी को भी कुछ भी स्वतन्त्र रूप से अपनी बात कहने का हक नहीं है। कोई भी व्यक्ति को अपने स्वतन्त्र रूप से विचार करने का अधिकार नहीं है। ऐसे वक्त में संविधान में संशोधन करना बिलकुल गलत है। मैं परिवर्तन करने के पक्ष में हूं, परिवर्तन हमेशा अच्छे के लिए होना चाहिये कोई भी चीज रिजिड होना ठीक नहीं। अगर आप परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन नहीं करेंगे तो जनता का भला कैसे होगा ? आप परिवर्तन नहीं करेंगे तो गरीबों को राहत कैसे मिलेगी, लोगों का स्टेण्डर्ड आफ लिविंग कैसे ऊपर उठेगा ? लेकिन आज की परिस्थितियों में संविधान में संशोधन सही ढंग से नहीं हो सकता। यह परिवर्तन भी इतनी जल्दबाजी में किये जा रहे हैं जो कि बिलकुल उचित नहीं हैं। मैं इसीलिए इसका विरोध करता हूं। आज आपके पास सत्ता है, आप कहते हैं कि संसद सुप्रिम है, लेकिन इस प्रकार के संशोधन करके आप डेमोक्रेसी को समाप्त कर रहे हैं। जिस संसद ने संविधान में संशोधन किया है वह संसद तो सिर्फ पांच साल के लिए ही जनता द्वारा चुनी गयी थी। उसका तो कार्यकाल पांच साल बाद ही समाप्त हो गया था। पांच साल बाद चुनाव होने चाहिये थे। आप पांच साल बाद चुनाव कराते और फिर जीत कर आते, उसके बाद आप संविधान में संशोधन करते तो उचित होता। उस वक्त अगर आप संविधान में संशोधन करते तो मैं उचित मानता। मैं इस बात से इनकार नहीं करता हूं कि संशोधन नहीं हो, लेकिन उसके लिए अवसर होना चाहिये। आज की परिस्थितियों में यह जो संविधान में जबरदस्त संशोधन किया जा

Page No 56

(58)

(श्री मोहरसिंह)
रहा है वह बिलकुल अनुचित है। देश की जनता में से सिर्फ 40 या 42 प्रतिशत जनता ने कांग्रेस का साथ दिया था और उसके बूते पर आप संविधान में इतना जबरदस्त संशोधन कर रहे हैं यह बिल्कुल अनुचित है। इमर्जेन्सी हटाकर दुबारा चुनाव कराकर आप मेजोरिटी में आकर संशोधन करते तो उचित था इसमें दो राय नहीं, और संविधान में संशोधन की जरूरत भी थी।

इसके साथ ही इस संविधान में संशोधन के साथ एक शब्द बहुत ही सुन्दर जुड़ा हुआ है वह शब्द है समाजवाद लाने के लिए हमारा पुनीत कर्तव्य हो जाता है कि हम इसमें परिवर्तन करें ताकि हमारे देश का एक ऐसा वर्ग जो कि बहुत नीचे तबके का है बिल्कुल गरीब है उसको ऊपर उठाया जाय और गरीबी की रेखा से नीचे लोगों को ऊपर लाया जाय। उनके स्टेन्डर्ड आफ लिविंग को ऊपर उठाया जाय। अगर आप उनको ऊपर उठाते हैं तो समाजवाद की ओर वाकई में बढ़ रहे हैं। अब आप नाम समाजवाद का लेकर एक बहुत बड़ा परिवर्तन संविधान में कर रहे हैं, लेकिन देखने की बात यह है कि वास्तव में आप इस संकल्प का अनुसमर्थन करने के बाद भी समाजवाद ला सकेंगे या नहीं? इस संकल्प के बाद भी गरीब लोग ऊपर उठ सकेंगे या नहीं? सभापति महोदय, आज हमारे देश को आजाद हुए 27-28 साल हो गये हैं, लेकिन उसके बावजूद भी गरीब गरीब हैं और अमीर-अमीर ही हैं। उनकी हालत में कोई फर्क नहीं आया है। आज भी गरीब उसी तरह दुखी है जैसे कि आज से 28 साल पहले दुखी था। आपने नाम तो समाजवाद का दिया पर ऐसा काम नहीं किया जिससे कि गरीब की गरीबी मिटे। आज भी सम्पत्ति का अधिकार संविधान में है। आपने उसे नहीं हटाया। उसका असर अमीर वर्ग पर पड़ता है इसलिए आपने सम्पत्ति के अधिकार को नहीं हटाया। बेचारे गरीब के पास तो खाने को ही नहीं, उसके पास सम्पत्ति है ही कहां? सभापति महोदय, हमारी पार्टी के नम्बूद्रीपाद ने कहा था कि हमारे देश में सम्पत्ति के अधिकार को समाप्त किया जाना चाहिये। सभापति महोदय, मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि सम्पत्ति का अधिकार आज भी हमारे संविधान में ज्यों का त्यों ही है। तो इसका मतलब यह हुआ कि आप अमीरों की मदद करना चाहते हैं क्योंकि सम्पत्ति तो अमीरों के पास ही है। इसके अलावा आपने कहने को तो इतने भूमि सुधारों के कानून की घोषणा कर दी और यहां पर भी कई बड़े बड़े आंकड़े आपने सीलिंग के बारे में दिये, कभी आपने कहा इतने लाख एकड़ जमीन भूमि सीलिंग कानून के लागू होने के कारण हमारे हाथ लगी, फिर उससे कम लाख एकड़ भूमि बतायी और उसके बाद में आपने उससे भी कम आंकड़े जमीन के बारे में दिये। तो वस्तुस्थिति क्या है यह बिलकुल पता नहीं लगता। तो आपके सिर्फ नारे हैं और सिर्फ अपने ही फायदे की बातें आप करते हैं। सभापति महोदय, समाजवाद का पहला और मुख्य काम होता है समाजवादी देश में लोगों को रोजगार देने की गारन्टी। आपने क्या गारन्टी दी है बेरोजगार लोगों को रोजगार देने की? आज देश को आजाद हुए 28 साल हो गये हैं लेकिन देश में बेरोजगारी बढ़ी है और दिन व दिन बढ़ रही है। इससे साफ है कि

Page No 57

(श्री मोहरसिंह)

आपने उसके लिए कोई गारन्टी नहीं दी है। आपने कितने प्रतिशत गरीब जनता के स्टेन्डर्ड को ऊपर उठाया? आपको जनता को रोजगार मुहैया करने की गारन्टी देनी चाहिये थी। इसी तरह आपको सम्पत्ति के अधिकार को समाप्त करना चाहिये था। क्या आपकी सरकार नौकरी देने की कोई गारन्टी दे रही है? मैं समझता हूं कि इन सभी मुद्दों पर मेरा आपसे मतभेद है। आज आप देश में एक बड़ी आटोक्रेसी पैदा कर रहे हैं। देश का केवल कांग्रेसीकरण कर रहे हैं उससे भी अधिक देश में एक व्यक्ति को डिक्टेटर बना रहे हैं। आपने यह संशोधन किया कि राष्ट्र विरोधी संस्थाओं और संगठनों पर प्रतिबन्ध होगा। मैं पूछना चाहता हूं कि एक तरफ आप बीस सूत्री कार्यक्रम को लागू करने को कहते हैं दूसरी ओर आप जोर जबरदस्ती से लोगों की परिवार नियोजन के तहत नसबंदी कर रहे हैं, जबरदस्ती लोगों को पकड़ पकड़ कर ले जा रहे हैं और सारे कार्य बन्द कर दिये गये हैं। अब जो भी आपकी इस जबरदस्ती का विरोध करे चाहे वह सही हो वह राष्ट्र विरोधी है। आप प्रतिपक्ष पर प्रतिबन्ध लगा रहे हैं। सिर्फ आपका ध्येय है एकछत्र राज्य कांग्रेस का हो। प्रतिपक्ष को आप दबोचना चाहते हैं। इसलिये मैं जोरदार शब्दों में इसका विरोध करता हूं। अभी मैं जबरदस्ती नसबन्दी की बात कहूंगा तो अभी मुख्य मन्त्री जी हैं नहीं और न ही ट्रेजरी बेन्चेज पर स्वास्थ्य मन्त्री जी हैं वह सिर्फ यही जवाब दे देंगे कि ऐसी कोई जबरदस्ती नहीं की जा रही है। यह गलत है।

इसके अलावा अभी यहां पर सी. पी. आई. के सदस्यों ने हमारी पार्टी की आलोचना की थी। मैं उनकी यहां पर आलोचना नहीं करना चाहता हूं और न ही कोई विवाद में पड़ना चाहता हूं, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि अभी थोड़े दिन पहले हमारे देश के गृह मन्त्री जी श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी ने जो बात संसद में कही थी उसको सी.पी. आई. वाले भाई नहीं भूलें हमको तो काफी कुचला जा रहा है लेकिन आप लोग भी ज्यादा दिन तक आराम से नहीं रहोगे। हमारे ऊपर तो दिक्कतें आने ही वाली हैं पर आप भी बचोगे नहीं। आप का भी समय आने वाला है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आने दो।

श्री मोहर सिंह : तो, सभापति महोदय, यह जो संविधान में संशोधन लाया जा रहा है यह सिर्फ प्रतिपक्ष को दबोचने के लिए लाया जा रहा है ऐसे संगठनों को पनपने से रोकना है जो कि इनका विरोध करते हैं, अगर आप इस तरह से किसानों के संगठनों को, ट्रेड यूनियन्स के संगठनों को, जनता के संगठनों को पनपने से रोकना चाहते हैं तो आप किस प्रकार समाजवाद ला सकेंगे? जो भी आपकी विचारधारा को नहीं माने, जो भी आप की आलोचना करे आप उसे दबोचना चाहेंगे। आज आपकी नौकरशाही किसी पर अन्याय करती है तो आपकी ज्यूडिशियरी उसमें कुछ नहीं कर सकती है। आपकी ज्यूडिशियरी दमन को रोक नहीं सकती। तो इसका मतलब यह हुआ कि आप गरीब जनता को क्लेश पहुंचाना चाहते हैं। परिवार नियोजन में किस प्रकार से जनता के साथ अन्याय हुआ है यह आप फील्ड में जाकर देखें। आप की नौकरशाही को जो आपने छूट दी उसमें गरीब लोगों को किस प्रकार से परेशान किया गया है, पर कोई

(श्री मोहरसिंह)
न्यायालय में उनके खिलाफ में सुनवाई नहीं हो सकती है। इस तरह से तो नौकरशाही को खुली छूट देने से जनता को तरह तरह के क्लेश होंगे और ज्यादा से ज्यादा परेशानियां ही गरीब लोगों को मिलेंगी।

इसलिये इन शब्दों के साथ में इतना ही निवेदन करूंगा कि आज जो डिफिकल्टीज हैं, उनको बताने के अधिकार को छीन करके इस माहोल में जो संशोधन किए गये हैं. इन पर पुनः विचार करना चाहिये। बहुत से ऐसे सज्जन हैं जो 60 वर्ष से ऊपर के हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी है। सन् 1931 में कराची अधिवेशन में कांग्रेस का एक चार्टर था कि भाषण अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता होगी, शान्तिपूर्ण प्रदर्शन करने का अधिकार होगा, निर्भय होकर जीने का अधिकार होगा–ये मूलभूत अधिकार होंगे। यह कराची अधिवेशन में कहा गया था. उससे मिलान कर लें, आज की स्थिति से मिलान कर लें। मैं तो खैर छोटा हूं। मेरे से बड़े बड़े बैठे हैं, लेकिन यह तो किताबों में छपी हुई चीज है। जो इतनी स्वतन्त्रता थी उसका आज कांग्रेस हनन करके चल रही है। इधर राजस्थान विधान सभा के सदस्यों को परिलाभ का हल्का सा लालच देकर दूसरी तरफ छुरे की धार पर हमको रखना चाहते हैं। मेरा मानना है ऐसे माहोल में जो संशोधन हुआ है यह अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है। अच्छा होता चुनाव होने के बाद में करते, बड़े बड़े एडवोकेट्स और बड़े बड़े लोगों की राय लेते और जनता को ज्यादा से ज्यादा छूट देकर बोलने का मौका देते तो एक बढ़िया चीज बनती और सच्चे समाजवाद की राह में चलने के लिए एक कदम होता। लेकिन आज इसमें शक है। इस समय जो संशोधन किया गया है यह समय इस प्रकार का है कि जो अनुकूल नहीं है। समय अनुकूल नहीं होने से जनता के जो अधिकार हैं, वे दबे हुए हैं, जो लिबर्टी है वह छिनी हुई है। प्रतिपक्ष को दबोचा जा रहा है, इसमे जनतन्त्र को खतरा हो चुका है। इसे आप अभी महसूस नहीं कर रहे हैं लेकिन एक दिन आप यह महसूस करेंगे और आप मंजूर करेंगे कि गलतियां हुई हैं।

इन शब्दों के साथ में कुछ और निवेदन करना चाहता हूं फेडरल गवर्नमेंट का ढांचा है हमारा पर राज्यों की आटोनामी छीनी जा रही है। साथ ही एक तरफ अमरीका डियागो गार्सिया में फौजी अड्डे कायम करना चाहता है पर बहरूनी नीति में 8-10 दिन से हम उसी अमरीका की सराहना कर रहे हैं। इसलिये अंत में मुझे यही कहना है कि इस संविधान के संशोधन से जो ऐसे माहोल में परिवर्तन किया है, वह खामियां युक्त है. उन पर फिर दुबारा विचार करना चाहिये, आपकी गोहाटी कमेटी में इस पर पुनः विचार करना चाहिये, राष्ट्रपति से भी निवेदन करना चाहिये कि आप भी इस पर दस्तखत करने में देरी करें और दुबारा पूरा विचार करने का जनता को मौका दें। जो खामी आज विद्यमान है उसको दूर करना चाहिये। इतना ही कहते हुये मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री सभापति : श्री गिरधारी लाल व्यास।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : माननीय सभापति महोदय, संविधान में जो बयालीसवां संशोधन पार्लियामेंट और राज

(श्री गिरधारीलाल व्यास)
सभा ने स्वीकृत किया है, उसका अनुमोदन करने के लिए हमारी विधान सभा में प्रस्ताव प्रस्तुत किया, उसका मैं समर्थन करता हूं।

इस देश में बहुत सी ऐसी राजनैतिक पार्टियां हैं जिनकी शुरू से ही हमारी इस जनतान्त्रिक व्यवस्था में और देश के प्रति कोई आस्था नहीं है। आज भी मैं अभी एक सदस्य का भाषण सुन रहा था तब उन्होंने डिगागो गार्सिया के बारे में कहा कि विदेशी शक्तियां वहां अड्डा बना रही हैं। एक तरफ तो जिनका वे समर्थन कर रहे हैं, ये शक्तियां उस प्रकार के अड्डे का समर्थन करती हैं और दूसरी तरफ हमारे देश में जो इनके फालोअर्स हैं वे दूसरे प्रकार की बात करें तो निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि उस पार्टी में विश्वास करने वाले लोगों की कोई ऐसी धारणायें नहीं हैं जिनके आधार पर वे अपनी किसी भी व्यवस्था के बारे में सही रूप से इस देश की जनता के सामने कोई अच्छी चीज रख सकें। बहुत से प्रश्नों को उठाया गया और उन प्रश्नों के बारे में तरह तरह के भ्रम फैलाने की बात कही है। इस देश में इस तरह की राजनैतिक पार्टियां हैं जिनके सामने इस देश के जो मूल भूत सिद्धांत हैं, जिनके आधार पर हम अपने देश को आगे बढ़ाते रहे हैं, उनके बारे में उनके मन में अलग अलग धारणायें हैं।

हमने जो तीन सिद्धांत अपनाये हैं जिनके आधार पर देश को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं वे हैं जनतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद जिनके आधार पर हम देश की व्यवस्थाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। उसमें उन राजनैतिक पार्टियों के क्या विचार हैं और किस तरह का इन पिछले वर्षों में उनका इस बारे में दृष्टिकोण रहा है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपने निवेदन करना चाहता हूं कि 1971 के चुनाव में हमने इन सारे सिद्धांतों और संविधान में परिवर्तन करने की बात रखी थी। आज हमारे बहुत से साथी इस बात को कहते हैं कि आपको जनता ने अपना कोई मेन्डेट नहीं दिया। 1972 में जब चुनाव हुए तो हमने साफ कहा था कि हम देश में उस प्रकार का एक परिवर्तन करना चाहते हैं जिससे हम देश की व्यवस्थाओं को मजबूत बना सकें और गरीबी को दूर कर सकें, सच्चा समाजवाद कायम कर सकें और वे व्यवस्थाएं हम संविधान में परिवर्तन करके ही लाना चाहते हैं, देश की जनता चाहती है तो निश्चित रूप से कांग्रेस को अधिकार है कि वह संविधान में इस प्रकार का परिवर्तन करे।

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं इस देश की जनता ने हमको खुल कर यह अधिकार दिया है कि हम संविधान में परिवर्तन करके जो देश की प्रगति में बाधक हैं उनको दूर करके देश की प्रगति करें। अभी माननीय सदस्य कह रहे थे हमको 42 प्रतिशत वोट मिले हैं। आपको कितने मिले हैं? मैं पूछना चाहता हूं कि आपको कितने प्रतिशत वोट मिले हैं? आप इस देश की आकांक्षाओं के प्रतीक हैं और उसके अनुरूप करना चाहते हैं?

(व्यवधान : अश्रव्य)

श्री सभापति : बीच में नहीं बोलें। आर्डर प्लीज।

श्री गिरधारीलाल व्यास : मैं निवेदन कर रहा था, जिस आदमी को, जिस पार्टी को इस देश की जनता कतई नहीं चाहती है, जिनके सिद्धान्तों में इस देश की जनता का कतई विश्वास नहीं है, वह पार्टी जनता की दुहाई दे और यह कहे कि इस देश की जनता संविधान में परिवर्तन नहीं लाना चाहती है, यह निश्चित रूप से अपने आपको बहुत बड़ा धोखा देना है। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि वे इस धोखे से बचें और अपने आपको इस देश की मूलधारा में लाने की कोशिश करें। अपने आकाओं के विषय में नहीं सोचें जो वहां बैठे हैं। अपने आपको इस देश का नागरिक समझें और देश का वफादार मानें।

(व्यवधान : अश्रव्य)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज !

आप बोल रहे थे, उस वक्त आपको डिस्टर्ब नहीं किया गया। आप क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : माननीय सभापति महोदय, इस देश में इस प्रकार के लोग हैं जिनकी आस्थायें कहीं और हैं और शक्ति कहीं और से प्राप्त करते हैं। वे इस देश में बराबर भ्रम पैदा करने की कोशिश करते रहते हैं। आज भी ऐसे लोग हैं जो बाहर विदेशों में घूम-घूम कर हमारे देश की व्यवस्थाओं के बारे में बराबर विदेशों में भ्रम पैदा करने की कोशिश करते हैं और बहुत भ्रामक प्रचार इस देश की व्यवस्थाओं के प्रति करते हैं और लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। इस देश की, जो सबसे बड़ी प्रजातान्त्रिक व्यवस्था है जिसके जरिये से, प्रजातान्त्रिक तरीके से व्यवस्थाओं, को लागू करने की बात कही गयी है प्रजातान्त्रिक तरीके से देश में व्यवस्थाओं को लागू करने की बात कही गयी है, उनके आधार पर निश्चित रूप से हम इस देश को मजबूत बनाना चाहते हैं। हमारी आस्थायें इस देश को मजबूत बनाने की ओर दृढ़ बनाने की पक्की हैं और दृढ़ है। उसको हम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। हर क्षेत्र में ऐसे प्रतिक्रियावादी लोग मौजूद हैं जो उन व्यवस्थाओं को नाकाम करने की पूरी कोशिश करते हैं और कर रहे हैं।

वे जिक्र कर रहे थे अपने यहां की नौकरशाही का। नौकरशाही अपने देश की गरीब जनता की आकांक्षाओं और व्यवस्थाओं को पूरा नहीं कर पा रही है। हम भी यह महसूस करते हैं कि हमारे देश की नौकरशाही ठीक काम नहीं कर रही है इसलिये उन पर अंकुश लगाना जरूरी है ताकि हमारी नीति और हमारे कार्यक्रमों के अनुसार देश के विकास में योगदान दे सकें। हमारी ज्यूडिशियरी उस प्रकार का योगदान दे जिस प्रकार की व्यवस्थायें इस देश में लागू करना चाहते हैं। एक तरफ प्रतिक्रियावादी लोग ऐसी संस्थाओं में बैठे रहते हैं जो हमारी प्रगतिशील नीतियों में रोड़े अटकाने की बात करें तो निश्चित रूप से ऐसी व्यवस्था चल नहीं सकती इसलिए उन पर अंकुश लगाना जरूरी है।

माननीय सदस्य अभी कह रहे थे कि ज्यूडिशियरी पर अंकुश लगा कर गरीब लोगों को न्याय प्राप्त करने से वंचित करना चाहते हैं। कोई निर्णय लें, चाहे बैंकों के राष्ट्रीयकरण का सवाल हो, चाहे प्रिविपर्स

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

का सवाल हो, जागीर उन्मूलन का सवाल हो, सीलिंग का प्रश्न हो, अन्य प्रकार के प्रश्न हों, या देश की जनता की तरक्की के प्रश्न हों, लेकिन ज्यूडिशियरी में ऐसे लोग बैठे हैं जो प्रतिक्रियावादी भावनाओं के जरिये से ऐसा अंकुश लगा दें जिससे सही रूप में लोगों को जो सामाजिक न्याय देना चाहते हैं उस व्यवस्था को लागू नहीं किया जा सके। उस पर यह कहें कि न्याय प्रणाली पर अंकुश लगाना चाहते हैं तो कहां तक सही है ? इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि सारी व्यवस्था जो कुछ भी की है, खूब सोच विचार कर और काफी विचार मंथन के बाद इस प्रकार की प्रक्रियाओं को अपनाने की कोशिश की है।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि प्रजातन्त्रीय व्यवस्था में ही इस देश की व्यवस्थाओं को बनाना चाहते हैं। माननीय सभापति जी, आपको याद होगा पिछले दो-तीन वर्षों से जो व्यवस्थायें रही हैं, ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने देश की व्यवस्थाओं को बिगाड़ने की कोशिश की है। उन्होंने फौज और पुलिस को भड़काने की कोशिश की और देश की प्रजातन्त्रीय प्रणाली को नष्ट करने की कोशिश की। उनको समय दिया साल भर तक सोचने का समय दिया, किसी प्रकार उनमें देश की व्यवस्थाओं में आस्थायें पैदा हो जायें, इस देश के प्रति आस्थायें पैदा हो जायें जिससे वे देश को शक्तिशाली बनाने में योगदान दे सकें। इससे अधिक क्या बात कही जा सकती है। दुनिया में किसी ने भी इस प्रकार की बगावत का बिगुल बजाया हो और वहां उसको खुला छोड़ दिया गया हो, ऐसा किसी मुल्क में कोई उदाहरण नहीं मिलेगा। उस मुल्क में भी नहीं जिस मुल्क में माननीय सदस्य आस्था रखते हैं, वहां पर भी इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है जैसा कि आपने आज देखा होगा अखबार में कि एक व्यक्ति को पोस्टर फाड़ने के अपराध में फांसी दे दी गयी। इसलिये हमारी व्यवस्थाओं में किसी प्रकार का कोई भ्रम पैदा करने की कोशिश करें यह अवांछनीय है। आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे हमको सभा करने का और अपनी बात कहने का अधिकार नहीं, भाषण देने का अधिकार नहीं, लेकिन जब संविधान में परिवर्तन की बात कही तो देश की जनता के सामने हमने रखा ताकि ज्यादा से ज्यादा विचार प्रकट करके बातों को सामने रख सकें, और संविधान में परिवर्तन करना चाहते हैं लोगों को उसकी अधिक से अधिक जानकारी मिल सके। संविधान में परिवर्तन करके लोगों की आकांक्षाओं के अनुसार, उनकी आवश्यकताओं के अनुसार, उनकी पूर्ति के लिए उसमें प्रावधान किये जा सकें। निश्चित रूप से लोगों ने अपने सुझाव दिये हैं, विचार-विमर्श किया है। सब लोगों को विचार देने का मौका मिला है। पार्लियामेन्ट में और बाहर भी, सब जगह मौका दिया गया है। जो कुछ भी विचार प्रकट करना है वह करें, कोई कन्स्ट्रक्टिव सुझाव होगा तो जरूर उसको मान्यता दी जावेगी और इसके संदर्भ में विचार किया जावेगा। लेकिन आपके दिमाग में ऐसी बात है कि संविधान में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, छः महीने और समय देना चाहिए, संविधान सभा बैठनी चाहिये। इसका मतलब यह है कि आपके पास कन्स्ट्रक्टिव सुझाव नहीं हैं, आप

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

रोड़े अटकाना चाहते हैं। देश के प्रति आपकी क्या आस्था है क्या भावना है वह इससे मालूम होती है। जिन लोगों ने इस प्रकार की व्यवस्था की बात कही है, उन लोगों के दिमाग में पार्लियामेन्ट की सुप्रिमेसी के बारे में डाउट है, उनके दिमाग में इस प्रकार की भावना है कि पार्लियामेन्ट सुप्रिम बॉडी नहीं है, कान्स्टीट्यूशन में तब्दीली के लिये वे कान्स्टीट्यूएन्ट असेम्बली बुलाकर परिवर्तन करने की बात करते हैं। जब जनता से मेन्डेट लिया है कि हम कान्स्टीट्यूशन में परिवर्तन करना चाहते हैं और जनता ने जब हमको अधिकार दिया है तो निश्चित रूप से हमारी यह मान्यता है कि यह पार्लियामेन्ट सुप्रिम है, इसको पूरा अधिकार है संविधान में परिवर्तन लाकर देश की जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति करे. जिससे इस देश के अन्दर से गरीबी और बेकारी को मिटा सकें। आज इस बात की आवश्यकता है कि संविधान में परिवर्तन करके देश की आकांक्षाओं को मजबूत बनायें। आप देखिये सबसे बड़ा परिवर्तन जो लाया गया है वह देश की यूनिटी और इन्टेग्रिटी के संबंध में है। हमारे बहुत से दोस्त इन्टेग्रिटी की बात नहीं करते। उनके दिल और दिमाग में भी दूसरी प्रकार की भावनायें हैं।

यहां पर यह भी कहा गया कि दूसरे सूबों की सरकार के खिलाफ यदि सरकार कोई बल प्रयोग करती हैं तो उस प्रकार की व्यवस्था ठीक नहीं होगी। जब हम कहते हैं कि हम देश की अखण्डता में विश्वास करते हैं, उसको खण्डित नहीं होने देंगे तो हमारे बहुत से भाई जिनका और तरीके का विश्वास है वे अपने आपको दक्षिणपंथी कहते हैं, वे थोड़े समय पहले इन्टेग्रिटी की बहुत लम्बी चौड़ी बात करते थे और वह कहते थे कि इन्टेग्रिटी हमारा सबसे सर्वोपरि लक्ष्य है। जब आज परिवर्तन लाया गया है तो वही हमारे दोस्त आज दूसरी प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं दूसरी भाषा वह इसलिए बोलते हैं कि उनकी कथनी और करनी में फर्क मालूम पड़ता है। इस प्रकार के लोग कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। हमें तो उनकी खुद की इन्टेग्रिटी में डाउट होता है। इस प्रकार की धारणाओं और भ्रम पैदा करने वाली भावनाओं से ऐसा मालूम पड़ता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमने सोच विचार कर इस देश की अखण्डता को कायम रखने के लिए, जो समय-समय पर कई प्रकार के प्रश्न पैदा होते हैं उनका हमने सफलतापूर्वक समाधान किया है, लेकिन वह लोग जो इसमें विश्वास नहीं करते और देश को टुकड़े-टुकड़े करने की बात करते हैं, धर्म, सम्प्रदाय के नाम से देश को विभाजित करने की बात करते हैं, और इस प्रकार की भावनाओं का लोगों में ज्यादा प्रचार करते हैं जिससे कि देश कमजोर बने निश्चित तौर से यह हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इसलिए इस प्रश्न को निश्चित तौर से मजबूती के साथ मान्यता दी जानी चाहिए। यदि आज देश अखण्ड है, देश एकता के सूत्र में बंधता है तो निश्चित तौर से हमारी ताकत ज्यादा बढ़ती है। इसलिए जिन कदमों से हम इस देश में मजबूती लाना चाहते हैं, लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत करना चाहते हैं वह निश्चित तौर से स्वागत योग्य हैं, और उनका स्वागत किया जाना चाहिए न कि ऐसी बातें पैदा करनी चाहिए जिससे लोगों के दिलो-दिमाग में भ्रांतियां

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

पैदा हों। जिन लोगों की इस देश में आस्था है, जो अपने को देश का नागरिक समझते हैं, जो इस देश को शक्तिशाली और मजबूत बनाना चाहते हैं, उन लोगों में इस प्रकार के लोग भ्रांतियां पैदा करने की बात करें तो इससे ज्यादा और क्या दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी ? इसलिए मेरा निवेदन है कि देश को शक्तिशाली और मजबूत बनाने के लिए संविधान में परिवर्तन किया गया है उसका हरएक आदमी को स्वागत करना चाहिए, उसको समर्थन देना चाहिए ताकि हम देश की व्यवस्थाओं को और ज्यादा मजबूत बना सकें।

सभापति महोदय, जिस प्रकार का अमेन्डमेन्ट हमने किया है और जो हमारे प्रिएम्बल में व्यवस्थायें हैं–पहले हमने प्रजातांत्रिक गणराज्य की बात की है और उसके बदले धर्म निरपेक्षता और समाजवाद लाने की बात हमने कही है। माननीय सदस्य समाजवाद में विश्वास रखते हैं। समाजवाद में विश्वास रखने वाले जो लोग हैं, जब प्रिएम्बल में हम समाजवाद की बात लाते हैं तो निश्चित तौर पर उनको जानकारी होनी चाहिए कि जब प्रिएम्बल में समाजवादी व्यवस्था के बारे में जिक्र किया जाता है तो निश्चित तौर पर कान्स्टीट्यूशन समाजवाद के ऊपर आधारित होगा और देश में जो फर्क है, उसमें जो हम तब्दीली लाना चाहते हैं उस प्रकार की तब्दीली लाकर देश की गरीबी और बेकारी को दूर करने के लिए सबसे बड़ा कदम हो सकता है। उसका उनको स्वागत करना चाहिए। लेकिन नहीं, उनके दिमाग में इसके लिए भी डाउट है और वह समझते हैं कि जो कुछ किया जा रहा है वह अपने मतलब से किया जा रहा है। इस प्रकार की भावनाओं को वह फैलाना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि धर्म-निरपेक्ष भावना के पीछे क्या बात हो सकती है ? इसके पीछे हमारा यह सिद्धान्त है कि हम अपने देश में तमाम धर्मों का आदर करें और राज्य के लिए कोई धर्म और सम्प्रदाय न हो बल्कि सब को सामान रूप से आगे बढ़ने का मौका मिले चाहे वह माइनोरिटी का हो चाहे मैजारिटी कम्युनिटी का हो। सब धर्म के लोगों को समान रूप से आगे बढ़ने का मौका मिले इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है ? आज बहुत से देशों में कम्युनल टेन्शन की भावना रखी जाती है। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में ऐसा ही है। हम उस प्रकार की व्यवस्था अपने देश में नहीं लाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे देश में चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति हो हिन्दू हो, मुसलमान हो, सिक्ख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, कोई भी हो उसको अपने अधिकारों का उपयोग करने की स्वतन्त्रता पूरी तरह से मिलनी चाहिए। उसी आधार पर हम देश की व्यवस्था को मजबूत करना चाहते हैं और इसीलिए इस प्रकार का परिवर्तन किया गया है। उसमें भी माननीय सदस्यों को एतराज है तो निश्चित तौर से यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है।

जब हम इन आधारों पर देश में चलना चाहते हैं तो निश्चित तौर से सारी व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए देशभक्त लोगों को इसको समर्थन देना चाहिए, जो कि देश को शक्तिशाली और मजबूत बनाना चाहते हैं और अपने पैरों पर खड़ा करना चाहते हैं उन लोगों को निश्चित रूप से इसका समर्थन करना चाहिए।

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

आज फण्डामेन्टल राइट्स और डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल्स के बारे में भी काफी गम्भीरता से विचार हो रहा है और लोग अलग तरीकों की बात करते हैं। जब से देश में हमने राइट्स के सम्बन्ध में सोचने की बात कही है तब से निश्चित रूप से ऐसे लोग जो बैठे हुए हैं जो कि वेस्टेड इन्ट्रेस्ट और निहित स्वार्थ वाले लोग है उन्होंने फण्डामेन्टल राइट्स को समर्थन देकर हमारे देश की व्यवस्थाओं में गडबढ करने की पूरी तरह से कोशिश की है। हमारी कोर्ट्स में भी निश्चित रूप से ऐसी कोशिशों के कारण सेटबेक आया है। हम चाहते हैं कि इस देश में ऐसी व्यवस्था हो जिससे हर आदमी को भोजन मिले, काम मिले, मकान मिले, शिक्षा और दवाइयों की व्यवस्था हो, हर प्रकार के क्षेत्र में उनको अधिकार मिलें हर प्रकार के लोगों को जब तक उस इन्डस्ट्री के लिए अधिकार नहीं मिलेंगे तब तक हम कोई व्यवस्था नहीं कर पायेंगे।

दूसरी तरफ प्रापर्टी के सम्बन्ध में बहुत से लोगों की भावनायें सामने आती हैं। मैं यह समझता हूँ कि प्रापर्टी राइट को एबालिश कर देना भी हमारे देश के लिए उपयुक्त नहीं होगा। हम यह चाहते हैं, उस प्रापर्टी के सम्बन्ध में इस प्रकार की व्यवस्था तो अवश्य होनी चाहिए कि प्रापर्टी होनी चाहिए। एक आदमी या एक परिवार कितनी प्रापर्टी रखे उसके बारे में कोई सीलिंग हो ऐसी व्यवस्था हो जिससे अनलिमिटेड प्रॉपर्टी रखने का अधिकार एक व्यक्ति और एक परिवार को नहीं हो। ऐसी व्यवस्था निश्चित तौर पर की जानी चाहिए जिससे हम देश की व्यवस्था को मजबूत बना सकें मगर निश्चित तौर पर फण्डामेन्टल राइट्स के ऊपर जब तक हम डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल्स को प्रायोरिटी नहीं देंगे तब तक देश में जो गरीबी की लड़ाई है उससे हम नहीं लड पायेंगे। इसलिए इस प्रकार की व्यवस्था निश्चित रूप से भी जानी चाहिए। उसके लिए इसमें प्रावधान किया गया है, हमारे कान्सटीटयूशन में अमेंडमेन्ट किया गया है। मैं पूछता हूं कि इस व्यवस्था के जरिये से हमारे माननीय सदस्य को कैसे तकलीफ हुई, किस प्रकार की तकलीफ हुई? वह क्यों कहना चाहते हैं कि इसको छः महीने और आगे बढा दिया जाये? इसके संबंध में और विचार किया जाये? इन डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल्स के बारे में जब से हमने कान्स्टीट्यूशन बनाया तब से विचार हो रहा है। बार बार कहा जाता है, और मैं तो यहां तक कहता हूं कि आपने भी कई बार कहा होगा डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल्स के संबंध में कि उनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए, उनके संबंध में निर्णय होना चाहिए ताकि हम लोगों को जीवन की आवश्यक वस्तुएं सुलभ तरीके से उपलब्ध करा सकें और उनकी आर्थिक उन्नति कर सकें। इस प्रकार की भावना इस देश का प्रत्येक नागरिक बराबर व्यक्त करता आया है। उन भावनाओं की कद्र करते हुए आज हमारी सरकार ने इस प्रकार की व्यवस्था इस कान्सटीट्यूशन अमेन्डमेन्ट के जरिये से देश में करने की कोशिश की तो वह स्वागत योग्य कदम है। लेकिन हमारे ऐसे दोस्त है जो इन व्यवस्थाओं के संबंध में अपना एतराज रखते हैं। इनको तो एतराज है कि इन्दिरा गांधी क्यों प्राइममिनिस्टर बनी हुई है। उनका मकसद और है और वह बात दूसरे प्रकार की करते हैं श्रीमती इन्दिरा गांधी

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

आपसे हटने वाली नहीं हैं। यह कांग्रेस पार्टी आपसे हटने वाली नहीं है। जनता की आस्था कांग्रेस पार्टी में है और देश की जनता के दिलों को जीत कर देश के अन्दर कांग्रेस पार्टी ने राज्य स्थापित किया है, देश की जनता के दिलों को जीतकर कांग्रेस आगे बढ़ती जा रही है। आज किसान और मजदूरों की भावनाओं की कद्र करते हुए यह कांग्रेस की सरकार देश में से गरीबी और बेकारी को दूर करने के लिए बराबर कोशिश कर रही है। इमर्जेन्सी की आड़ लेकर हम किसी प्रकार की कोई बात नहीं करना चाहते हैं। हमारे नेताओं ने कहा है कि आज इमर्जेन्सी है लेकिन कांग्रेस के पास आज पहले से दस गुनी ताकत है। यदि आज चुनाव कराये जायें तो हम निश्चित तौर पर कई लाखों आदमियों की जमानतें जब्त कराके दिखा सकते हैं। मगर हम यह नहीं करना चाहते हैं। इमर्जेन्सी के जो फायदे हैं, जो उससे हमको मिला है हम उसको कन्सोलीडेट करना चाहते हैं। लोगों की आर्थिक उन्नति के लिए काम करना चाहते हैं। जो भी हमने प्राप्त किया है इस इमर्जेंसी की वजह से उस इमर्जेन्सी के बल को वे लोग बिल्कुल बेकार कर दें जिनकी इस देश के प्रति आस्था नहीं है, जो दूसरी जगह से प्रेरणा लेते हैं और विदेशों के कहने से इस प्रकार की विपरीत कार्यवाही में लगे रहते हैं, निश्चित रूप से 61 करोड़ लोगों के भाग्य के लिए उनको न रोकना गलत होगा। इसलिए इन व्यवस्थाओं को अपने देश में लागू करना होगा। यह हमारी मान्यता है कि कांग्रेस ने इस देश की जनता को ऊपर उठाने का काम किया है वह आइन्दा भी करेगी, और जो भी कहा है, उसको निश्चित रूप से करेगी।

बहुत से लोग कहते हैं कि इमर्जेन्सी क्यों लागू की गयी? आपने खुद ने देखा होगा। पहले आप झंडा लेकर बाहर आते थे और लोगों को भड़काते थे। तोड़-फोड़ की कार्यवाही करते थे। इस प्रकार की हरकतों को बंद करने के लिए इमर्जेन्सी के अलावा और क्या उपाय हो सकता था? प्रजातंत्रीय तरीका तो आपने नहीं अपनाया। आपको जनता ने वोट नहीं दिया। असेम्बली पर आपका काबू नहीं। दूसरा कोई प्रजातन्त्रीय साधन आपके पास नहीं है इसलिए आपने यही साधन अपनाया कि हमारे देश की जो गरीब जनता है उसको भड़काया जाये और उनको और गरीब बनाया जाये। आपका तो यही ध्येय है कि इस देश में गरीबी ज्यादा फैले असन्तोष ज्यादा बढ़े ताकि मार्क्सवादी पार्टी के लोगों को तोड़-फोड़ और आतंक फैलाने का ज्यादा मौका मिले। हम निश्चिततौर पर कहना चाहते हैं कि इस प्रकार की भावनाओं को देश के अन्दर कतई नहीं फैलने दिया जायेगा....

(व्यवधान : अश्रव्य)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री गिरधारी लाल व्यास : इस प्रकार की भावनाएं, जिनसे हमारे देश में गड़बड़ हो, कभी नहीं फैलने दी जा सकतीं। हमारे बहुत से भाई इस देश में हिंसक प्रवृत्तियों को फैलाना चाहते हैं। इस प्रकार की हिंसक प्रवृत्तियों में हमारा विश्वास नहीं है इसलिए रफ्ता रफ्ता, धीरे धीरे इस प्रकार की प्रगतिशील नीतियों के आधार पर हम बरा-

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

घर देश को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। आपने देखा, इस इमर्जेन्सी का क्या फायदा हुआ, इस इमर्जेन्सी से इस देश को क्या ताकत मिली है, इसके आंकड़े आप उठा कर देखेंगे तो निश्चित रूप से आप तारीफ करेंगे.....

(व्यवधान : अश्रव्य)

इमर्जेन्सी लागू होने के बाद देश का उत्पादन बढ़ा है, कीमतें कम हुई हैं, मुद्रा-स्फीति घटी है, मंहगाई कम हुई है। हमारे फारेन ट्रेड में क्या हुआ ? इसमें पिछले साल 632 करोड का घाटा था, उसके अन्दर पिछले 6 महीनों के अंदर 12 करोड़ का फायदा हुआ है। और 6 महीने के बाद आपकी आंखें खुल जाएंगी। इस इमर्जेन्सी के कारण जहां हमारा उत्पादन बढ़ा है वहां धन की कितनी बढ़ोत्तरी हुई है। माननीय सदस्य, अगर दिमाग खोलकर देखें और सोचें तो आपको इन सारी व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में सोचना होगा। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज देश एक नयी करवट ले रहा है, देश एक नये रास्ते पर जा रहा है। उस रास्ते को आप भी ढूंढने की कोशिश करें और इस देश की मैन स्ट्रीम के साथ आप भी चलने का कष्ट करें। आपने तो इसे देखने से आंखे मींच रखी हैं। आप अच्छे कार्यकर्ता हैं इसलिए मुझे उम्मीद है कि इस देश की तरक्की के लिए जो नीति अच्छी हो सकती है, उसको समझकर इस देश को ऊंचा उठाने में आप अपना योगदान करेंगे। इस प्रकार की भावनाओं से आपको निश्चित तरीके से काम करना चाहिये।

सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत से ऐसे हमारे यहां पर लोग हैं, राजनैतिक पार्टियां हैं, जो कि हमारी व्यवस्थाओं को नाकाम करना चाहती हैं। आपने कहा कि राष्ट्रद्रोह कार्य के लिए किसी के भी गले में फंदा डाला जा सकता है। जो राष्ट्रद्रोही कार्य में लगे हुए हैं, उनके खिलाफ यह सरकार एक साल तक कार्यवाही न करे तो फिर यह बात कहें कि इस देश में राष्ट्रद्रोही कार्यवाही के खिलाफ किसी के भी फंदा डाला जा सकता है, यह गलत मान्यता है। मैं इसके सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार विदेशी शक्तियां दूसरे देश की सरकारों को गिराने में सहयोग दें इस प्रकार की एक्टीविटीज को रोकने के लिए क्या सरकार कार्यवाही नहीं करे ? हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो विदेशों से पैसा प्राप्त करके देश के अन्दर तोड़फोड़ और हड़तालों की कार्यवाही में लगे रहते हैं। रेल्वे की जो हड़ताल हुई थी आप बता सकते हैं कि उसके लिए पैसा कहां से आया था ? किस तरह से इस हड़ताल को फाइनेन्शियली फीड किया गया था और क्या उद्देश्य था ? विदेशी ताकतें यह चाहती थीं कि हमारे देश में एक ऐसी अव्यवस्था हो जिससे सब कुछ व्यवस्था जो चल रही है वह बिखर जाये और उस अराजकता की स्थिति में इस देश में उन विदेशी शक्तियों को अपना वर्चस्व कायम करने का मौका मिल जाये। क्या इन राष्ट्रद्रोही कार्यवाहियों को रोकने के लिए सरकार सक्षम नहीं है ? यदि कानून बना कर ऐसे लोगों की राष्ट्र-द्रोही कार्यवाहियों को रोकें, जो राष्ट्र के सम्बन्ध में घातक कार्यवाहियां कर रहे हैं, राष्ट्र के प्रति द्रोह कर रहे हैं, ऐसी हरकतों पर नियन्त्रण लगाया जाये तो यह कोई

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

अनुचित बात नहीं है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि इस प्रकार के राष्ट्रद्रोही लोग इंग्लेन्ड में रह कर हमारे देश की बुराइयां करें, हमारे देश के सम्बन्ध में विदेशों में भ्रम पैदा करें, इस प्रकार की एक्टीविटी को रोकने के लिए किसी प्रकार का प्रावधान इस कान्स्टीट्यूशन में नहीं हो तो यह उपयुक्त नहीं है। इस प्रकार के लोगों के खिलाफ कार्यवाही नहीं की जाती है तो कोई भी व्यवस्था नहीं चल पाएगी। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि हमारे देश की व्यवस्था में गड़बड़ी करने की कोशिश की गयी। इस प्रकार के गलत तत्वों के खिलाफ कोई कार्यवाही न करना राष्ट्र के हित में नहीं है। जो देश की चुनी हुई सरकार के खिलाफ इस प्रकार की बगावत करे, हिंसक प्रवृत्तियां फैलाकर बगावत करें, उनका कार्य राष्ट्र विरोधी हो सकता है उनके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिये। जब तक इस की व्यवस्था न हो तब तक कोई भी व्यवस्था, जो आपकी है, चल नहीं सकती। माननीय सदस्य, आपका रास्ता सही नहीं है। आपकी बातों में कोई तर्क नहीं है। आपका दिमाग सही नहीं है। आप इस प्रकार की बातें क्यों सोचते हैं? हरदम आप इस देश में गलत धारणा और गलत परम्परा क्यों पैदा करना चाहते हैं?

बहुत से लोगों ने, राजनैतिक पार्टियों ने संविधान संशोधन विधेयक का पार्लियामेन्ट में विरोध किया है। यह कहा, हम इसमें हिस्सा नहीं लेंगे। जो इस देश में महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है, जो देश के लि, संविधान के जरिए परिवर्तन किया जा रहा है, इस प्रकार की व्यवस्था की जा रही है, उसको नहीं सुनें, उसमें योगदान नहीं करें और उस पर अपने विचारों को प्रकट नहीं करें, इससे बड़ी भारी गलत बात और क्या हो सकती है? इन व्यवस्थाओं को मजबूत बनाने में आपकी कोई धारणा नहीं है, आपका कोई विचार नहीं है, आपका कोई कन्स्ट्रक्टिव प्रोग्राम नहीं है जिसके जरिए इस देश की व्यवस्थाएं मजबूत हों। इस सम्बन्ध में आपको कोई रुचि नहीं है। आप चाहते हैं कि यहां पर तोड़फोड़ हो, आप चाहते हैं कि यहां पर कोई व्यवस्था नहीं चले ताकि आपका सब काम ठीक तौर तरीके से चले। आप भी नक्सलवाद में विश्वास करते हैं जो देश में किसी प्रकार की व्यवस्था को नहीं जमने देना चाहता है अपने पोलिटिकल उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। आपकी इस देश के प्रति क्या जिम्मेदारी है, इसको आप नहीं समझते हैं। हमने इसको समझा है और जो काम हमारे जिम्मे है उसको हमने ठीक प्रकार से नहीं निभाया तो निश्चिततौर से कोई व्यवस्था नहीं मजबूत हो पाएगी। जो कर्त्तव्य हमको सौंपे गये हैं उनकी पालना होनी चाहिये।

बहुत से कहते हैं कि इमर्जेन्सी के कारण हमारे अधिकारों पर कुठाराघात हो गया। देश की व्यवस्था मजबूत करने के लिए निश्चित रूप से एक आदमी की इच्छा के मुकाबले सारे देश के लोगों की इच्छा की पूर्ति करनी होगी। इस तरह की व्यवस्था हमारे देश में बनाएंगे तो इससे हमारा देश मजबूती से रहेगा और देश आगे बढ़ सकेगा। आज इस प्रकार की आवश्यकता है और इसके लिए यह सारा परिवर्तन लाया गया है।

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

सुप्रिम कोर्ट के अधिकार कम कर दिये गये हैं, हाई कोर्ट के अधिकारों में कमी कर दी गयी है, यह बात कही जाती है। सुप्रिम कोर्ट के कौन से अधिकार समाप्त कर दिये गये हैं? उसको सर्वोच्च अधिकार हैं। इस प्रकार की जो भी व्यवस्था है, उसमें उनको अधिकार है सुनने का, राय देने का और निर्णय देने का। उसमें क्या कटौती की गई है? अगर एक आदमी, चाहे वह सुप्रिम कोर्ट का जज हो, देश के बड़े से बड़े कानून को रद्द कर दे एक कलम से, उस प्रकार की मान्यताओं के अन्दर आपका विश्वास हो सकता है। अपने देश के अन्दर हमें 61 करोड़ जनता ने चुन कर भेजा है। उन्होंने बैठकर फैसला किया है उसको एक आदमी फौरन खारिज कर दे, उसको खतम कर दे, उस प्रकार की मान्यताओं में अगर आपका विश्वास है तो निश्चित तौर से वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। लोग बाग वहां पर बैठकर सोच-समझ कर ऐसा निर्णय करें जिससे देश की प्रगति की व्यवस्था न रुके, देश की प्रगति बराबर बढ़ती जाय, देश की मान्यताओं और देश के हित में है उस प्रकार के काम जो हम करना चाहते हैं, उस प्रकार व्यवस्था देना चाहते है उस प्रकार कि व्यवस्था नहीं करते हैं तो निश्चित तौर से उस प्रकार की व्यवस्था हम लागू कर सकते हैं। इस प्रकार की धारणाएं उनकी होनी चाहिए। इसमें न तो किसी के अधिकार को कम करने की बात आती है और न किसी के अधिकारों को सीमित करने की बात आती है। हम चाहते हैं कि देश के लोगों की जो धारणाएं हैं, आकांक्षाएं हैं उनको निश्चित तौर से लागू करना चाहिए. और अगर उसमें किसी प्रकार व्यवस्था की बाधा आती है तो उस व्यवस्था को रोकना चाहिए। जो व्यवस्था हमने इस संशोधन विधेयक में दी हुई हैं वे निश्चित तौर से इस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं जिनके जरिये हम इस बात में आगे बढ़ सकते हैं।

इसमें निश्चित तौर से हमारे यहां जो मशीनरी है उसके ऊपर अंकुश लगाने की बात कही है और उन व्यवस्थाओं को मजबूत बनाने की बात कही है। मजदूर लोगों के संबंध में, आप भी विचार करते है, आपकी भी थोड़ी-बहुत दिलचस्पी है उन मजदूरों के संबंध में हमारी भी दिलचस्पी है, लेकिन वह अगर कारखानों को तोड़ना चाहते हैं, कारखानों को आग लगाना चाहते हैं तो उस प्रकार के मजदूरों के संबंध में हमारी हमदर्दी नहीं हो सकती है। जो मजदूर नियमपूर्वक तरीके से काम करते हैं उनको अगर मालिक तंग करते हैं और उनके मामले हाई कोर्ट में जायं या सुप्रिम कोर्ट में जायं जहां पर उनको 10–20 हजार रुपया खर्च करना पड़ता है तो न तो कोई मजदूर इतना खर्च कर सकता है और न कोई मजदूर संस्था ही खर्च कर सकती है तो उसके लिए आप एतराज करते हैं उन ट्रिब्यूनल्स में इन्डिविजुवल नहीं जायगा। इन ट्रिब्यूनल्स में इस प्रकार के आदमी बैठ जायेंगे जो मजदूरों के खिलाफ काम करेंगे, जो मजदूरों के हितों की रक्षा नहीं करेंगे, तो निश्चित तौर से ट्रिब्यूनल्स काम नहीं कर सकते हैं। ट्रिब्यूनल्स में उसी प्रकार के लोग बैठाये जायं जो देश के कार्यक्रम में विश्वास रखते हों, जो गरीबों के प्रति हमदर्दी रखते हों और जो उनको न्याय दिलाने में विश्वास करते हों। इसलिए इन ट्रिब्यूनल्स को बनाने का मुख्य उद्देश्य जो है वह यह है कि

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

लोगों को सस्ता न्याय मिले सुलभ न्याय मिले और जल्दी मिले । इसलिए यह ट्रिब्यूनल्स बनाये जा रहे हैं । लेकिन आप दूसरी प्रकार से सोचते हैं और लोगों में भ्रम पैदा करते हैं, लोगों की मान्यताओं में गड़बड़ पैदा करते है, उनमें कई प्रकार के भ्रम पैदा करते हैं और भ्रम पैदा करके लोगों की धारणाओं को गलत करना चाहते हैं । इसलिए मेरा निवेदन है कि यह जो व्यवस्था संविधान में इस परिवर्तन के जरिये की जा रही है वह देश की जनता के खिलाफ नहीं है, देश की आवश्यकता के अनुसार है, इस देश की जनता की मांग के अनुसार है, इस देश के लोगों की आवश्यकताओं के अनुसार है, और इसको अगर पूरा करते है तो निश्चित तरीके से उससे देश के लोगों को बहुत बड़ा न्याय दे सकेंगे ।

आज जो संविधान में परिवर्तन किये गये हैं उनसे सारी मान्यताएं पूरी नहीं होंगी। यह तो एक कदम है जिसके द्वारा हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमें अभी बहुत सारे कदम उठाने पड़ेंगे, निश्चित तरीके से उठाने पड़ेंगे। इस देश में समाजवादी व्यवस्था को आगे ले जाना है, उसको न्याय देना है, उनकी आर्थिक उन्नति करनी है तो निश्चित तौर से और भी बहुत कदम उठाने पड़ेंगे तब जाकर उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति कर सकते है। यह उसी तरह का कदम उठाया है तो निहित स्वार्थ वालों के चटपटी लगी· · · ·

(व्यवधान)

· · · · यह आपके दल का प्रश्न है। आपको सोचना चाहिये कि वह सारे कदम हमें तो उन्हीं के बताये हुए हैं जो कि समाजवाद में विश्वास रखते हैं । उनके बताये हुए रास्ते पर चल रहे हैं । इन कदमों को उठाया है जो इन कदमों के लिये अगर प्रगतिशीलता में विश्वास रखने वाले एतराज करते है तो निश्चित तौर से उससे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति और कोई नहीं हो सकती है । इसलिए मेरा निवेदन है कि इन व्यवस्थाओं में यदि आप जब विश्वास रखें, आस्था रखें तो आपका तो यह फर्ज है कि जो भी इस तरह के कदम उठाये जायं जिनसे आम जनता का हित हो, जिनसे आम जनता आगे बढती हो, तो उस प्रकार के निर्णयों को सशक्त रूप से लागू करने में अपनी ताकत लगा देनी चाहिये ताकि उसके जरिये हम देश की व्यवस्था को मजबूत बना सकें । इस प्रकार की प्रक्रिया आपकी होनी चाहिये । यह निश्चित बात है कि आपकी मान्यताओं और हमारी मान्यताओं में फर्क है । हमारी नेता इन्दिरा गांधी देश में हिन्दुस्तानी समाजवाद लाना चाहती हैं । हम चीन का समाजवाद नहीं लाना चाहते हैं, या रूस का समाजवाद नहीं लाना चाहते हैं । हम हिन्दुस्तानी समाजवाद लाना चाहते हैं जिसके पीछे हमारा मकसद बेकारी को दूर करना है, लोगों को सामाजिक न्याय देना है, छोटे बड़े के अन्तर को मिटाना है, छुआछूत को समाप्त करना है, साम्प्रदायिक भावनाओं को दूर करना है । यह हिन्दुस्तानी समाजवाद है, जिसके आधार पर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, जिसके आधार पर हम देश की व्यवस्था को मजबूत करना चाहते हैं । इसलिये यह एक ऐसा संशोधन है जिसके जरिये देश की आवश्यकताओं की पूर्ति होगी । सब लोगों को सामाजिक न्याय मिलेगा, और हमको समाजवाद के रास्ते पर

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

आगे चलने का मौका मिलेगा। इसलिए इन संशोधनों का हमें निश्चित तौर से समर्थन करना चाहिये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करूंगा।

श्री सभापति : श्री शंकरलाल (पाली)।

श्री शंकरलाल (पाली) : सभापति महोदय, मैं समझता हूँ कि इस सदन के सभी माननीय सदस्य गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं कि आज इस संविधान के 44 जिसको कि 42वें संशोधन के रूप में विधेयक, कानून के रूप में पार्लियामेंट और राज्य सभा ने स्वीकृत किया है, का अनुमोदन करने हम जा रहे हैं। सभापति महोदय, मैं सिर्फ इसलिए ही बोल रहा हूँ। गौरवान्वित अनुभव करने के लिए इसलिए नहीं कहता कि हम केवल इसका अनुमोदन करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन इसलिए कि यह एक ऐसा संशोधन है, यह संविधान में इस प्रकार का संशोधन है जो कि हमारे उद्देश्य को हमारे लक्ष्यों को स्पष्ट करता है। कांग्रेस पार्टी को जनता ने बार बार अपना मत दिया है। कांग्रेस पार्टी ने इस बात की घोषणा की थी कि हम देश में समाजवाद लाना चाहते हैं और गरीबों को उठाना चाहते हैं। संविधान के अन्दर जो कुछ भी धारायें थीं जिनको हमारी हाई कोर्ट और सुप्रिम कोर्ट के जजों ने रोड़े बताये थे, और हमने स्वयं ने इस बात का अनुभव किया कि संविधान के अन्दर जो रोड़े हैं हमारे समाजवाद के लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए उनको दूर करने जा रहे हैं। इसीलिए 1971 के अन्दर स्पष्ट तौर से, जब कि जनता के सामने वोट मांगे गये, कांग्रेस पार्टी ने इस बात की घोषणा की थी कि संविधान के अन्दर परिवर्तन लायेंगे, और संविधान की धाराओं में संशोधन करेंगे, जो हमारे लक्ष्य की पूर्ति के अन्दर रोड़े हैं। जब हमने प्रिवीपर्सेस के लिए कानून पास किया और बैंकों के नेशनेलाइजेशन के लिए कानून पास किया तो यह कहा गया कि संविधान की धाराओं के अनुसार ऐसे परिवर्तन नहीं ला सकते। यह अवश्यम्भावी था कि संविधान के अन्दर परिवर्तन लायेंगे क्योंकि जनता ने मेन्डेट दिया और दो-तिहाई के ऊपर मत दिये। मैं यह कहूंगा कि सन 1971 में जनता ने हमें इस बात के लिये अधिकार दिये थे कि संविधान के अन्दर परिवर्तन लायें। मैं समझता हूं कि संविधान के अन्दर परिवर्तन लायें। मैं समझता हूं कि संविधान के अन्दर संशोधन लाने के लिए यह बिल पास किया गया है और इसका हम अनुमोदन करने जा रहे हैं। हम यह कहना चाहते हैं कि यह जल्दी नहीं है बल्कि इसमें देरी हुई है और इस देरी को हमें रेटीफाई करना पड़ेगा।

इसके साथ-साथ, सभापति महोदय, मैं इस बात को भी स्वीकार करूंगा कि इन संशोधन मात्र से ही संविधान पूर्ण बन जायगा और भविष्य में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं होगी। आवश्यकता पड़ेगी लेकिन जो यह संशोधन आया है उसके जरिये निश्चित तौर से हम एक दिशा में, समाजवाद की ओर जरूर बढ़ेंगे इसलिए चाहे जो भी संविधान में संशोधन आये हैं, वह चाहे सम्पूर्ण नहीं है लेकिन जो भी आये हैं, उसका खुले दिल से और आत्मा के साथ समर्थन करना चाहिए।

सभापति महोदय, बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा है कि जो हमारे संविधान को

(श्री शंकरलाल)

प्रस्तावना है, प्रिएम्बल है, जैसा कि सुप्रिम कोर्ट ने भी कहा है कि यह हमारे संविधान का अंग है। हमें उसमें 'सोशलिज्म' शब्द पहले ही लाना चाहिये था। लेकिन पहले नहीं लाया गया तो अब 'सोशलिज्म' शब्द को लाना जरूरी था। आज हमारे देश में तरह तरह के धर्म और मजहब हैं। हमको एक ऐसी डेमोक्रेसी की स्थापना करनी है, जिसकी कि कांग्रेस ने दुहाई दी है। इसलिए इसमें उसको जोड़ना है। इसमें 'इन्टेग्रिटी' शब्द को जोड़ना है। पहले उसमें 'यूनिटी' शब्द था। अब 'इन्टेग्रिटी' जोड़ा गया है।

इसी तरह से सेना भेजने का अधिकार है। जब हम अखण्डता में विश्वास करते हैं तो हमें यह करना होगा। कई प्रान्तों ने इस बारे में इस प्रकार की पहले बात कही है अलग झण्डे की बात कही है। अलग प्रदेश की बात कही है। उन सारी चीजों को स्पष्ट करने के लिए 'इन्टेग्रिटी' शब्द जोड़ना बहुत आवश्यक था।

सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा जब यह संविधान संशोधन का महत्वपूर्ण प्रश्न आया तो एक बहुत जोरों से आवाज उठी। मैं यह निवेदन करूंगा कि पार्लियामेंट में संविधान में संशोधन करने के प्रश्न को चुनौती दी गई थी। संविधान में संशोधन आने के बाद अब यह भविष्य के लिए स्पष्ट हो गया है। मानस साफ हो गया है। अब न हाई-कोर्ट में जाकर चैलेन्ज कर सकते हैं और न सुप्रिम कोर्ट में जाकर चैलेन्ज कर सकते हैं। अब किन्हीं अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। पहले हमेशा यह विवाद बना रहता था। यह सही है, सभापति महोदय, जनता ने पार्लियामेंट को चुना है। कान्स्टीटयूएण्ट असेम्बली को जनता ने नहीं चुना है। आप कहते हैं कि हम लोकतन्त्र में विश्वास करते हैं। जब लोकतन्त्र में विश्वास करते हैं तो पार्लियामेंट में विश्वास करना पड़ेगा।

दूसरे, सभापति महोदय हमें खुशी इस बात की है कि पहले जो मूलभूत अधिकार थे और जो नीति निर्देशक तत्व थे, डायरेक्टिव प्रिन्सिपल्स उनमें टकराव था। अदालतों में टकराते थे। लेकिन संविधान संशोधन आने से, मूलभूत अधिकार जो कि व्यक्ति की भलाई के लिए हैं और डायरेक्टिव प्रिन्सिपल्स जो कि समाज की भलाई के लिए हैं, मूलभूत अधिकारों की अपेक्षा डायरेक्टिव प्रिन्सिपल्स को महत्व दिया गया है। अब इन सबके मामले में कानून बनाने का अधिकार होगा। अब फण्डामेंटल राइट्स की परवाह करने की आवश्यकता नहीं है चाहे वह सुपरसीड करें। वास्तव में यह मैं भी महसूस करता हूं कि फण्डामेंटल राइट्स को अभी भी वैसे ही रखा गया है। उससे हमारे समाजवाद का लक्ष्य प्राप्त करने में रोड़े आयेंगे। आज जिन लोगों के पास पूंजी और प्रापर्टी है, उनकी आवश्यकता से कहीं ज्यादा है, उनसे लेकर आप समाजवाद के लक्ष्य को पूरा करना चाहते है। आपने अरबन प्रापर्टी पर सीलिंग लगाई है। लेकिन दूसरी शक्ल में आप सोना, चांदी और दूसरा धन करोड़ों का रख सकते हैं। फिर भी आप समाजवाद की बात करते हैं। यह नहीं होगा। महात्मा गांधी ने 'अपरिग्रह' की बात कही थी। आप महात्मा गांधी के अनुसार सीमा कर दें। मैं यह नहीं कहता हूं कि उसे बिल्कुल समाप्त कर दें। अगर आप उसको रख रहे हैं, प्रिएम्बल मे

(श्री शंकर लाल)

प्रस्तावना में रख रहे है तो लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। सभापति महोदय, आज नहीं तो कुछ सालों के बाद यह आवाज उठेगी कि यह मूलभूत सम्पत्ति का जो अधिकार है, इसको कर्टेल करना पड़ेगा।

सभापति महोदय, संविधान संशोधन में यह बात कही गई है कि आदमी को, गरीब आदमी को कोर्ट्स में न्याय नहीं मिलता है। मुन्सिफ कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक यह स्थिति है। अगर गरीबी के कारण उसको न्याय नहीं मिलता है तो यह नहीं होना चाहिए। इसलिए लीगल एड का प्रावधान जोड़ा गया है। यह मामूली बात नहीं, सभापति महोदय। मैं इसका स्वागत करता हूं। इस देश का रहने वाला कोई इंसान गरीबी के कारण हाई कोर्ट और सुप्रिम कोर्ट में नहीं जा सकता है और वह इसलिए नहीं जा सकता है क्योंकि उसके पास पैसा नही है। सभापति महोदय, मैं सुझाव देना चाहूंगा कि इसके लिए केन्द्र को पहल करनी चाहिए। केन्द्र को इस मामले में पहल करनी पड़ेगी। एक माननीय सदस्य ने कहा था कि यह राज्य सरकार को करनी पड़ेगी। मेरा निवेदन है कि राज्य के पास इतनी पूंजी नहीं है कि वह किसी आदमी की मदद सुप्रीम कोर्ट तक कर सके। कानून की सीमा सुप्रिम कोर्ट तक होती है। इसलिए केन्द्र को चाहिए कि वह गरीब आदमी की मदद सुप्रिम कोर्ट तक करे गरीब आदमी न्याय प्राप्त करने के लिए सुप्रिम कोर्ट तक जाना चाहता है लेकिन गरीबी के कारण उसका वहां तक पहुंचना नहीं होता। इसलिए मेरा निवेदन है कि ऐसा कानून केन्द्र में आना चाहिए।

सभापति महोदय, जो हमारे संविधान के शिड्यूल 7 की कान्करेण्ट लिस्ट में संशोधन किया गया है, उससे अब और अधिक सुविधा हो गई है। मैं इस बारे में सुझाव देना चाहूंगा, सभापति महोदय, कई प्रान्तों में नदियों के पानी पर झगड़ा होता है। आप चाहते हैं कि सम्पूर्ण देश का विकास हो तो जो पिछड़े हुए प्रदेश हैं, जहां पानी नहीं है तो उसके लिए जहां ज्यादा पानी है, वहां से लाना होगा। अगर गंगा का पानी राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में लाना चाहते हैं, तो इसका संघ को अधिकार होना चाहिए। यह प्राविंशियल सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए यह यूनियन सब्जेक्ट होना चाहिए, और शिड्यूल में इस प्रकार का संशोधन होना चाहिए। केन्द्रीय सरकार यह देखें कि कौन सा इलाका पिछड़ा हुआ है। कोई राज्य सरकार अगर किसी नदी का पानी ले जाना चाहती है तो वह ले जा सके। अगर नदियों के पानी पर झगड़ा होता है तो यह किस प्रकार का समाजवाद है? अगर एक जगह पर पानी ज्यादा है अथवा एक जगह पर मिनरल्स ज्यादा हैं तो उसका समान रूप से बंटवारा करने का अधिकार यूनियन को होना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि बहुत से जो भ्रष्ट अधिकारी होते थे, उन पर अब रोक लगाई गई है। पहले उनको नोटिस देने के बाद, डिपार्टमेण्टल इन्क्वायरी के बाद फिर नोटिस देना पड़ता था। इस प्रकार वह भ्रष्ट अधिकारी हाई कोर्ट में चले जाते थे। उसमें अब संशोधन कर दिया गया है। 311 में नोटिस दे दिया गया है तो फिर नोटिस की जरूरत नहीं है मैं इसका स्वागत करूंगा। अब हाई कोर्ट का बहुत सा बोझ हलका कर दिया गया है।

(श्री शंकरलाल)

विवाद के मामले, टैक्सों के मामले, प्रोक्योरमेंट के मामले, आयात-निर्यात के मामले, इस प्रकार के मामलों के लिए जो यह ट्रिब्यूनल्स बनाने की व्यवस्था की है, हाई कोर्ट के जो अधिकार छीन लिये हैं, । सुप्रीम कोर्ट को ही दिये हैं, हाई कोर्ट को कोई अधिकार नहीं है मैं समझता हूं अच्छी बात है। राज्य सरकार को देखना पड़ेगा, केन्द्रीय सरकार को देखना पड़ेगा कि ट्रिब्यूनल के अन्दर उसी प्रकार के जजेज हुए, उसी प्रकार की बात हुई तो ट्रिब्यूनल का फायदा नहीं होगा।

सभापति महोदय, 226 के तहत हाई कोर्ट की पावर्स कर्टेल की गई हैं। हरएक बात का स्टे ले आते हैं। सरकार सड़कें बना रही है तो हाई कोर्ट से स्टे ले आते हैं। यह जो अधिकार है 226 में कर्टेल किये है वह बिल्कुल ठीक किये हैं। अगर कोई कहे कि यह ठीक नहीं किया तो मैं समझता हूं बहुत ठीक किया है। आज हमारा सेन्ट्रल लॉ है उसकी वैधता को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। आपका इन्कम टैक्स कानून है उसमें भी हाई कोर्ट से वकील लोग स्टे ले आते थे परन्तु अब हाई कोर्ट को कोई अधिकार नहीं है सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को पावर्स हैं केन्द्र के कानून में। हाई कोर्ट में राज्य सरकार के कानून की वैधता का अधिकार रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार दिया गया है कि कोई मामला एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर सकती है। बहुत अच्छी बात है। कानून में सुप्रीम कोर्ट को अधिकार होना चाहिये। एक हाई कोर्ट में किसी को विश्वास नहीं है वह कहता है कि दूसरी हाई कोर्ट में जाये तो ट्रान्सफर करने का अधिकार रखा गया है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

सभापति महोदय, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। जो बातें रह गई हैं वह मैं निवेदन करना चाहूंगा।

संविधान के अन्दर जो कर्तव्यों का चेप्टर जोड़ा गया है, सभापति महोदय, यह बहुत ठीक है। जहां अधिकार होते है वहां अधिकारों के साथ कर्तव्य होते हैं। केवल कर्तव्यों की बात नहीं है जितनी ड्यूटीज जोड़ी हैं उनका विश्लेषण नहीं करना चाहता। उन ड्यूटीज के लिये पीनल क्लाज क्यों नहीं है? आपको भविष्य के अन्दर इस संविधान के संशोधन में महसूस करना पड़ेगा कि जो भी हमने ड्यूटीज रखी हैं अगर किसी ने उन का पालन नहीं किया तो क्या करेंगे? कर्तव्यों के पालन के लिये जब तक पीनल क्लाज नहीं होगा, जब तक आप पीनल क्लाज नहीं बनायेंगे तब तक उनको कोई मानेगा नहीं। उसको एनफोर्स करने के लिये, अदालतों में जाने के लिये पीनल क्लाज होना चाहिये।

सभापति महोदय, इसके अन्दर जो भी नये नये शिड्यूल जोड़े गये हैं 43 ए में संशोधन करके एक बहुत बड़े लेबर स्ट्रक्चर के बारे में बहुत बड़ा संविधान में संशोधन लाया गया है। उद्योगों के मैनेजमेंट में मजदूर अभी भागीदार बनेंगे, इसके लिए 43 ए आर्टीकल बनाया है, इसको संविधान में रखा है।

(श्री शंकरलाल)

तो, सभापति महोदय, किसी प्रकार की कोई अनुचित बात नहीं है संविधान संशोधन के अन्दर। पूरी बात का विश्लेषण मैं नहीं करना चाहता केवल उन्हीं को सदन में रखूंगा जो बहुत जरूरी हैं। समाजवाद के लक्ष्य को प्राप्त करने में कुछ और संशोधन करने पड़ेंगे लेकिन जो यह संशोधन विधेयक हमारे सामने आया है इसको हमें दिल से स्वीकार करना चाहिये। लोक सभा ने और राज्य सभा ने इसे पास कर दिया है और आज हिन्दुस्तान के अन्दर राजस्थान विधान सभा ही सब से पहली विधान सभा है जो इसका अनुमोदन करने के लिये बुलाई गई है। इससे राजस्थान का नाम ऊंचा होगा। मैं इसके लिये कहता हूं कि माननीय सदस्यों को गौरवान्वित होना चाहिये कि हिन्दुस्तान के अन्दर राजस्थान ही एक पहला राज्य है जहां की विधान सभा, हमारे समाजवाद और देश की प्रगति के लिए जो कानून बना है, उसका अनुमोदन कर रही है।

इन्हीं शब्दों के साथ जो प्रस्ताव हमारे मुख्य सचेतक महोदय ने इस सदन के सामने रखा है उसका मैं तहेदिल से समर्थन करता हूं।

श्री सभापति : श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय (बूंदी) : आदरणीय सभापति महोदय, मैं आज 44वें संशोधन विधेयक के समर्थन के लिये यहां उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि हमारा संविधान है हमारे संविधान के फाउंडर्स इस बात को चाहते थे। उन्होंने हमारे देश का संविधान केवल इसलिये नहीं बनाया था कि वह एक संकुचित संविधान के रूप में हो जाये। वे चाहते थे कि वक्त के साथ साथ हमारा संविधान चैन्ज होता रहे केवल थोड़ा अरसा गुजरा आजादी के बाद और संविधान के बन जाने के बाद, तो मैं आपको कहूं कि सन् 1930 में रावी के किनारे जब पण्डित नेहरू ने स्वतंत्र समाज की घोषणा की थी उसी समय उन्होंने घोषणा की थी कि स्वतन्त्र भारत के संविधान में सिक्यूलरिज्म शामिल किया जायेगा। पण्डित नेहरू ने जीवन पर्यन्त इस बात की कोशिश की कि भारत सिक्यूलर सोसाइटी के रूप में डेवलप हो। आपने देखा कि आवड़ी व भुवनेश्वर में जो रिजोल्यूशन्स पास किये गये उनमें इस बात का भरसक प्रयत्न किया कि सिक्यूलर पैटर्न आफ सोसाइटी को अपनाया जाये। बहुत से लोग हमारे अन्दर भी इस तरह के थे जो स्वतः प्रतिक्रियावादी थे और नहीं चाहते थे कि किसी प्रकार से यह देश आगे बढ़ पाये। बहुत सोचने-विचारने के बाद इस संगठन के अन्दर उन तत्वों ने कोशिश की कि पण्डित नेहरू के बाद इस देश की बागडोर हम संभालें। किन्तु पण्डित नेहरू के बाद उनकी सुपुत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने इस बात की ठान ली और आपने यह देखा कि सन् 1971 के अन्दर ....

(3.56 म. प.)

(श्री मीठालाल मीणा, सभापति, पीठासीन)

जब बैंकों के राष्ट्रीयकरण की बात हमारी नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी ने की तो इस बेसिस पर इस बात की कोशिश की गई कि किसी प्रकार से वह पास न हो, लेकिन वह नेहरू

Page No 75

75

(श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय)

की पुत्री थी घबराने वाली नहीं थी। उन्होंने पार्लियामेंट को भंग करके पुनः चुनाव कराये। जिस बात को कहती थीं, मैं कहना चाहता हूं, उसी बात को लेकर भारी बहुमत से विजयी होकर जीती और इस बात की कोशिश की कि जिन सिद्धांतों को लेकर कांग्रेस ने लड़ाई लड़ी थी उस को कार्यान्वित करे। आपने देखा कि 28 साल के अरसे के बाद भी हमारी जुडिशियरी एक तरह से पार्शल होती थी, वह इस बात को सोचती थी कि लीगल जस्टिस ही सब कुछ है। जजेज कमरे में बैठकर न्याय कर देते थे और सोचते थे कि हमसे सुप्रीम कोई नहीं है। उन्होंने इस बात का कभी विचार नहीं किया कि हिन्दुस्तान का गरीब क्या चाहता है। बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठकर, बड़ी-बड़ी अदालतों के अन्दर बैठकर समझने लगे थे कि हम ही सब कुछ हैं। हमारे भारत के भाग्य विधाताओं ने इस बात को समझने की कोशिश नहीं की। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जुडिशियरी पार्शल हो गई थी और इस हद तक हो गई थी कि वह एक प्रकार का पोलिटिकल करप्शन का नमूना था। देश की जनता क्या चाहती है? पार्लियामेंट क्या चाहती है? पार्लियामेंट में जनता के चुने हुए जो नुमाइन्दे हैं, उसके अन्दर सॉवरेनिटी है और वही आज यह डिसाइड करे कि इस देश की जनता क्या चाहती है। इसको समझने की कभी कोशिश नहीं की गई। बड़े-बड़े निर्णय लिए गये, शंकरी प्रसाद के केस का सज्जनसिंह के केस का, गोलखनाथ का केस और केशवानन्द भारती के केस का नाम लिया गया, उसमें कहा गया कि पार्लियामेंट बेसिक स्ट्रक्चर को चेन्ज नहीं कर सकती, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, यह वह नहीं समझ पायी। सभापति महोदय, मुझे खुशी होती है इस अमेन्डमेंट को पढ़ते हुए—सबसे पहली बात तो हम यह कह सकते हैं:—

"(4) No amendment of this Constitution (including the provisions of Part III) made or purporting to have been made under this article [whether before or after the commencement of section 55 of the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976] shall be called in question in any court on any ground."

आज हम यह गर्व के साथ कह सकते हैं कि कई वर्षों के बाद, कई दिक्कतों के बाद यह चीज पास कर पाये हैं। आज हम कस्टोडियन हैं इस बात के लिए कि जनता की भावनाओं का समावेश करें। इन हाउसेज के अन्दर, चाहे पार्लियामेंट हो या असेम्बली हो, सावरनिटी है, सार्वभौम सत्ता है। इन हाउसेज के ऊपर कोई नहीं है। इस बात को हमारी प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने साबित कर दिया।

यह आपने देखा है। कान्स्टीट्यूशन वेलिडिटी के बारे में जो हमारे दोस्त कहते थे, मैं उनको कहता हूं कि जो कुछ भी अमेन्डमेंट किया गया है वह यह किया है कि अगर सेन्ट्रल लॉ होगा तो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी और स्टेट लॉ है तो हाई कोर्ट डिसाइड करेगी। इसमें क्या बुराई हो गई? इसमें क्या गलत बात पैदा हो गई? कौनसा नुकसान हो गया? यह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

(श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय)

दूसरी बात, मैं यह निवेदन करूंगा कि जिस चीज की हमको बेसिक आवश्यकता थी, प्रिएम्बल के अन्दर, प्रस्तावना के अन्दर 'सोशियेलिज्म और सिक्यूलर, वर्ड्स छूट गये थे जो कि निहायत ही जरूरी हैं एक डेमोक्रेसी के लिये। देश में समाजवाद कैसे आयगा जब तक बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी लोगों के हाथ में हैं, इनकी वजह से ही देश में निहित स्वार्थ बन गये हैं, यह जब तक समाप्त नहीं होते, जब तक प्रॉपर्टी के राइटस समाप्त नहीं किये जायेंगे हमारा यह सपना, सोशियेलिज्म का नारा, अधूरा रहेगा। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रॉपर्टी के राइट्स को भी समाप्त किया जाना चाहिये था इसी के साथ साथ, किन्तु मेरी यह धारणा है कि इसके लिए कॉन्स्टीट्यूशन में फिर से अमेन्डमेन्ट करना पड़ेगा। वह दिन दूर नहीं जब कि प्रॉपर्टी राइट्स को समाप्त करना पड़ेगा। इसी प्रकार से आपने देखा, आप में से बहुत से भाई दुनियां के भ्रमण के लिये गये होंगे और बहुत से साथियों को भी मालूम है कि देश-प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना लोगों में उत्पन्न हुई है, इतने बड़े स्केल पर हमारी नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी ने हमारे देश के फाउन्डिंग फादर्स ने फन्डामेन्टल राइट्स रखे थे, उनके कारण जो वातावरण बना वह भी हमारे सामने आया। मैं समझता हूं कि फण्डामेन्टल राइट्स की क्रियान्विति के लिये एक इन्डिविजुअल जितना जागरूक होता है उतना ही ड्यूटीज के लिये भी जागरूक होना चाहिए। अगर कोई आदमी उन ड्यूटीज को पूरा नहीं कर सकता है तो उसके लिए पीनल प्रोवीजन होना चाहिए। आज राष्ट्रीयता की जो आवाज उठती है वह प्रत्येक नागरिक के लिये आवश्यक है। फण्डामेन्टल प्रिन्सिपल्स आफ स्टेट पॉलिसी और फण्डामेन्टल राइट्स आफ दी इन्डिविजुअल की बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। हम 28 साल तक राइट्स को ही सेफ गार्ड करते रहे। डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल्स को पहली बार बेस दिया गया है, पहली बार इतना बड़ा निर्णय लिया गया है कि इसे इस आधार पर माना जाय कि कोई कोर्ट इनके अगेन्स्ट में डिसाइड नहीं कर सकती, चाहे फण्डामेन्टल राइट्स ही इन्फ्रिन्ज होते हों। इतना बड़ा निर्णय पहले कभी नहीं लिया गया।

मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं कि लीगल एड से जस्टिस सिक्योर किया जा सके, क्या कभी किसी ने इसके बारे में सोचा भी था। इसको इसमें इन्कार्पोरेट किया गया है।

इसी प्रकार से पार्टीसिपेशन आफ दी वर्कर्स इन दी मैनेजमेन्ट की बात है। मजदूरों का पार्टीसिपेशन मैनेजमेन्ट में हो इस तरह की बात कभी किसी ने नहीं सोची। जो मजदूर अपना खून और पसीना बहाता है क्या वह भी कभी मैनेजमेन्ट में जाने की बात सोचता था? बीस सूत्री कार्यक्रम में भी श्रीमती इन्दिरा गांधी ने इस बात को रखा। उस समय भी इस बात का अहसास किया गया। मुझे अफसोस है, सभापति जी, उधर बैठने वाले माननीय सदस्य कम से कम इस बात की खुशी तो जाहिर करते जो कि अपने को मजदूरों का हामी समझते हैं।

जो भी बातें इसके अन्दर कही गई हैं-

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय)

आर्टिकल 226 के अन्दर, उन पर जो कर्व कर दिया गया है लेकिन राइट्स को समाप्त नहीं किया गया है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उनके राइट्स को किसी प्रकार भी समाप्त करने की बात नहीं सोची गई है। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह की चीजें हमारे सामने आती रहीं, एक के बाद एक कोशिश इस बात की की जाती रही है, जिसका जीता-जागता नमूना हमारे सामने था। अब भी हिन्दुस्तान के अन्दर कुछ ऐसे लोग हैं जो इसको नहीं चाहते हैं, जो बाधा पहुंचाना चाहते हैं, जिन्होंने पार्लियामेन्ट में भी इसको मुश्किल से पास होने दिया, पार्लियामेन्ट में इस पर जो डिबेट हुई इस डिबेट में पार्टीसिपेट नहीं किया। इसके बाद कई मौके मिले, वहां से एब्सटेन कर गये, उनको शर्म आ गई पार्लियामेन्ट में वोट नहीं दिया। मैं समझता हूं कि·····

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आज देश में इसकी सबसे बड़ी जरूरत है किन्तु एक बात और है प्रतिक्रियावादी पार्टियां आज भी हमारी तरफ आंख उठाकर देख रही हैं, वे शक्तियां आज भी छिपी हुई हैं जो हमारी नेता को काम नहीं करने देना चाहती हैं। केवल विधेयक पास कर देने से काम नहीं चलेगा। अब इंडियन जुडिशियल सर्विस बनाने जा रहे हैं, उसमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन कौन को जजेज नियुक्त करना चाहिये, उनकी बार में क्या रेपूटेशन रही है, जनता उनके बारे में क्या सोचती है, सी. बी. आई. जैसी एजेन्सी के द्वारा उनकी इन्टेग्रिटी की जांच करनी पड़ेगी, तब जाकर इन संशोधनों को हम सेफगार्ड कर पायेंगे। यह जरूरी है कि पूर्ण रूप से हम इसको क्रियान्वित करा सकें। यह बात कह कर मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करना चाहता हूं।

श्री सभापति: श्रीमती कान्ता कथूरिया।

श्रीमती कान्ता कथूरिया (कोलायत): सभापतिजी, इस शताब्दी में जहां कई देशों को अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए हिंसात्मक तरीकों का सहारा लेना पड़ा है, वहां पर भारत ही एक ऐसा देश है जो अपने शांतिमय तरीके और अहिंसात्मक ढंग से विकास और प्रगति के पथ पर आगे बढ़ा है। सन् 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तब से लेकर आज तक जब 44वां संशोधन संविधान में पेश किया गया है।

(4.11. म.प.)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पीठासीन)

भारत का इतिहास है कि उसने शांतिमय तरीके से प्रगति करने की कोशिश की है। खास तौर से हमारे नेता महात्मा गांधी ने जो रास्ता बताया था उसी पर चलकर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। भारत का संविधान बाद में बना लेकिन हमने राजनैतिक लक्ष्य आजादी हासिल करने से पहले ही तय किया था कि हम प्रजातंत्र चाहते हैं। इस लक्ष्य को मद्देनजर रखते हुए हमने जब स्वतंत्रता हासिल की तब इस बात की कोशिश की कि हम प्रजातंत्र की बुनियाद को मजबूत करें, प्रजातांत्रिक संस्थाओं की नींव को मजबूत करें और इस दिशा में कार्यवाही की। उस समय हमारा आर्थिक लक्ष्य स्पष्ट नहीं था। इसलिये

(श्रीमती कान्ता कथूरिया)

संविधान जब बना तब उसमें राजनैतिक दृष्टि से जितनी बातें आ सकती थीं, उनका समावेश किया गया। फिर भी लक्ष्य साफ न होने से, जब 1954 में अवाड़ी सेशन हुआ, जवाहरलालजी ने कहा कि हम समाजवादी समाज की रचना करना चाहते हैं, उसे धर्म निरपेक्ष बनाना चाहते हैं, तब पहली बार इस लक्ष्य की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित हुआ। उस समय जब समाजवादी व्यवस्था को कायम करने की कोशिश की गई तो कई अन्दरूनी व बाहरी ताकतों ने विरोध करके हमारी गति धीमी करना चाहा। फिर भी हमने अपनी व्यवस्था को शांतिमय ढंग से बनाये रखने की कोशिश की। बाद में जब सरकार ने तय किया कि हमें यह रास्ता अपनाना है और बैंक राष्ट्रीयकरण व प्रिविपर्सेज की समाप्ति जैसे काम हाथ में लिए गए, तब वेस्टेड इन्ट्रेस्ट्स ने न्यायपालिका में जाकर दरवाजा खटखटाया और इस बात को कहा कि संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता और संविधान, जो प्रोटेक्शन देता है, उसमें संसद को संशोधन करने का अधिकार नहीं है। इसलिए हम जिस समाज का निर्माण करना चाहते थे, उसमें न्यायपालिकाओं ने और निहित स्वार्थों ने, जिनका जिक्र मैं नहीं करना चाहूंगी, बाधा डाली। पिछले दिनों जय प्रकाश बाबू से लेकर अन्य लोगों ने किस तरह से विरोध किया है और देश को पीछे धकेलने की कोशिश की है, मैं उसको दोहराना नहीं चाहूंगी। न्यायपालिकाओं ने जो जनता की महत्वाकांक्षायें थीं, उनकी तरफ न देखकर संविधान के शब्दों की व्याख्या अपने अपने तरीके से की। मेरे पूर्व वक्ता उन केसेज का हवाला दे चुके हैं जैसे गोलखनाथ, केशवानन्द भारती उनमें 516 के फैसले से सारी जनता की आकांक्षाओं का ध्यान न रखते हुए निर्णय दिया गया। उस सब के बावजूद देखिए कि जनता क्या चाहती है। आखिर यह कहना कि संविधान में संशोधन नहीं कर सकते, यह कहां तक सही है? संविधान कोई लाश नहीं है, वह लिविंग फोर्स है जो नेचुरल कोर्स में प्रगति करना चाहता है। उस गति को रोक सकना यह किसी के हाथ की बात नहीं है। जनता चाहती है कि हम समाजवाद की तरफ प्रगति करें, विकास करें तब कोई भी यह कहे कि हम नहीं कर सकते। संस्था जनता का प्रतिनिधित्व करती है, जनता के मतों से आकर उनकी भावनाओं को व्यक्त करती है, उन पर लीगल टर्मिनोलॉजी के द्वारा रोक लगायें, तो यह सही नहीं है।

हमने संविधान को शुरू में राजनैतिक दृष्टिकोण से अपनाया तो प्रजातंत्र को कायम रखने के लिए सबसे पहले व्यक्ति की स्वतंत्रता को महत्व दिया, मूल अधिकार दिए, वोट का अधिकार दिया। जो ब्रिटिश संसद, जिसको मदर आफ पार्लियामेंट्स कहते हैं, सैकड़ों वर्ष तक नहीं कर सकी, वह हमने एक दिन में तय किया। इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता कि व्यक्ति की स्वतंत्रता पोजिटिव होनी चाहिए और उसे सार्वजनिक हित के परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। यह तब होगा जब हम जनता को न्यूनतम आवश्यकतायें उपलब्ध करा सकेंगे वरना शक्तिशाली लोग स्वतंत्रता का अपने हक में उपयोग करके अपने को ज्यादा शक्तिशाली बनाने की कोशिश करते हैं और जो लोग अभावों से ग्रस्त हैं, वे उस स्वतंत्रता का उपयोग व्यवस्था का विरोध करने

(श्रीमती कान्ता कथूरिया)

में करते हैं, नतीजा यह होता है कि विषमता पैदा होती है। इन सब बातों को देखकर संविधान में संशोधन करना पड़ा। इसलिए ये जो संशोधन हैं जिनका जिक्र सदन में हो चुका है, उसमें एक तो यह है कि प्रस्तावना में शब्द "सिक्यूलर और सोशिलिज्म" जोड़ा गया। जिस लक्ष्य को हम हांसिल करना चाहते हैं, वह साफ नजर आया, उसको हमने जोड़ दिया। दूसरा जोड़ा कि भारत के राष्ट्रपति हैं वह केबीनेट के निर्णय के अनुसार मान्यता दें। इसमें किसी को पावर लिमिट करने का मकसद नहीं था लेकिन जब सरकार और राष्ट्रपति, का आपस में कोई मतभेद हो तो शब्दों की आड़ लेकर देश की प्रगति में कोई बाधा न आए, इसलिए यह जोड़ना आवश्यक हो गया था और जनता की आकांक्षाओं को देखकर यह संशोधन किया गया।

तीसरे, मूल अधिकारों के साथ कर्तव्य भी जोड़ दिए। उसमें महिलाओं के सम्मान की बात कही है, लीगल एड की बात की है। जो गरीब जनता है जिनको कानूनी राय का सहारा नहीं मिल सकता था, उनको स्टेट की तरफ से कानूनी सहायता दी जाएगी। मैनेजमेंट में लेबर पार्टिसिपेशन की बात कही गई है, वन सम्पदा की बात की गई है। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों की बात की गई है, जो राष्ट्र की नीतियों का विरोध करेंगे उनको रोका जाएगा। इससे यह नहीं समझना चाहिए कि किसी के हकों को कम करने के लिए किया है। संविधान के मूल ढांचे में बेसिक चेंज नहीं है। आज भी न्यायपालिकाओं के अधिकारों, राज्यों की स्वतंत्रता और संसदीय प्रणाली को कायम रखा गया है। हमारा संविधान लिखित दस्तावेज है।

इंग्लैण्ड में यह परम्परा बन चुकी है कि जो जनता चाहेगी वही होगा। यह अहसास वहां किंग और क्वीन ने भी कर लिया कि जनता ही सुप्रिम है और जो जनता चाहेगी वही होगा। इसलिये ब्रिटिश पार्लियामेन्ट है वहां पर सुप्रिम है और वही जब चाहे तब जो कानून जनता के हितों का होता है पास कर देती है। एक बात यह भी है कि हालांकि ब्रिटेन का कान्स्टीट्यूशन अनरिटन है फिर भी वहां पर आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा कि वहां की न्यायपालिका ने कोई पार्लियामेन्ट के खिलाफ में निर्णय दे दिया हो। इसी तरह से अमेरिका का कान्स्टीट्यूशन हालांकि रिटर्न है, उसमे जब संविधान बना था तब सिर्फ सात धारायें ही थीं और उसमें आज दो सौ वर्ष की अवधि में सिर्फ 25 अमेन्डमेन्ट ही हुए हैं। इतनी लम्बी अवधि में संविधान में 25 संशोधन होना कोई बहुत अधिक नहीं है, लेकिन इसके कारण यह हैं कि वहां की न्यायपालिका ने ऐसे निर्णय नहीं दिये जिससे कि जनता को नुकसान हो। जनता की भावना को वहां की न्यायपालिका ने समझा है। हालांकि अमेरिका का संविधान लचीला नहीं है फिर भी वहां पर जनता की भावनाओं को न्यायपालिका से आघात नहीं पहुंचे इस दृष्टि से जनता की भावनाओं और जनता की आकांक्षाओं को देखकर वहां के संविधान को लचीला करना पड़ा है। तो यही अन्तर है अमेरिका के संविधान में और हमारे देश के संविधान में।

(श्रीमती कान्ता कथूरिया)

उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे देश में जब से इमर्जेन्सी लगी है हमारे देश की सही तस्वीर दुनिया के सामने आने लगी है। हमारे देश हिन्दुस्तान को जो लोग गरीब देश कहते थे उन्हें आज पता पड़ा कि हमारा देश गरीब नहीं है। आज हमारा देश दुनियां के दूसरे मुल्कों के सामने और खास तौर से तीसरी दुनियां के देशों के सामने एक वकत रखता है। तीसरी दुनियां के देशों को हमारा देश लीड करता है। इतना ही नहीं अपितु दुनियां के बड़े बड़े समृद्ध देश भारतवर्ष को आज टेक्निकल ज्ञान में तीसरे स्थान पर मानते हैं। आज हमारे देश की इमर्जेन्सी लगने के बाद की प्रगति से दुनियां आश्चर्यचकित हो गयी है। अभी जब दुनियां के विकासशील देशों का हंगरी में सम्मेलन हुआ था तो यह वहां पर कहा गया था कि दुनियां में विकासशील देशों में सिर्फ भारतवर्ष ही ऐसा विकासशील देश है जो कि मुद्रा स्फीति पर काबू पा सका है। हमारे देश ने इमर्जेन्सी लगने के बाद न केवल विकास के कार्य और टेक्निकल क्षेत्र में बल्कि उत्पादन में भी बहुत भारी तरक्की की है। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे यहां पर इमर्जेन्सी के बाद बहुत तरक्की हुई है। जब कांस्टीट्यूशन बना तब की परिस्थितियों और आज की परिस्थितियों में फर्क है, चूंकि हमारा संविधान एक लिखित है इसलिए उसमें हमें बहुत ही सोच विचार कर जनता की भावनाओं के अनुसार संशोधन करने पड़ते हैं। मैं तो यह कहती हूं कि संविधान ऐसा होना चाहिये जो कि परिस्थितियों के अनुसार, अनुकूल हो और आप जब चाहें तब जनता की भावनाओं के अनुकूल उसमें परिवर्तन कर सकें, जिससे कि आम जनता को लाभ हो। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि जो 44वां संशोधन विधेयक हमारे संविधान का है, हमारी पार्लियामेंट द्वारा पास किया गया है और जो हमारी विधान सभा के अनुमोदन के लिये आया है उसके लिये जो संकल्प हमारे यहां पर रखा गया है, उसके पास होने के बाद मैं समझती हूं हमारे देश के अन्दर समाजवाद तेजी से आयेगा और उसकी वजह से हमारे यहां पर आर्थिक, सामाजिक, औद्योगिक तथा राजनैतिक तरक्की होगी। यह एक बड़ा सुन्दर संशोधन है और इससे आम जनता को जरूर लाभ पहुंचेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संविधान के संशोधन पर जो संकल्प आया है इसका पुरजोर शब्दों में अनुसमर्थन करती हूँ और आशा करती हूं कि सदन के दूसरे माननीय सदस्य भी इसका एकमत होकर अनुसमर्थन करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहम्मद गफ्फार अली।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार, जयपुर): उपाध्यक्ष महोदय हमारे देश की पार्लियामेंट ने इसी महीने की दो तारीख को संविधान में एक संशोधन पास किया। यह जो संविधान में संशोधन किया है वह हिन्दुस्तान की तवारीख में सोने के अक्षरों में लिखा जाने के योग्य है। यह नयी बात नहीं थी, लेकिन आज के हालात को देखते हुए और मुल्क के भले के लिए यह एक उचित कदम है। इससे हमारे देश में समाजवाद जल्दी आ सकेगा। उपाध्यक्ष

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)
महोदय, एक वक्त ऐसा था कि सोशियलिज्म की बात करना भी बड़ा भारी अपराध समझा जाता था। हमने तो उस वक्त भी यही कहा कि अगर हम हिन्दुस्तान की वास्तविक तरक्की करना चाहते हैं तो हमारे लिये यह जरूरी है कि हम संविधान में संशोधन करें। हमारे देश से गरीबी को समाप्त करने व आम जनता के स्तर को ऊपर उठाने के लिये सिर्फ सोशियलिज्म ही सही रास्ता है, वही सही इलाज है। आज हमारे दल के नेता ने यहां इस संशोधन पर बोलते हुए कुछ सुझाव रखे थे। उसका मतलब यह नहीं था कि हमारी पार्टी इस संकल्प की मुखालफत करना चाहती है। हमनें तो इससे एक कदम आगे बढ़ने की बात कही थी। हम तो कहते हैं कि सोशियलिस्टिक पैटर्न कायम करने के लिये हमारे नेता द्वारा जो सुझाव दिये थे वह जरूरी थे। यह बात सिर्फ ऐसी ही है जैसे कि शक्कर को कड़वा कर के दिया हो। हमारा कहना यह है कि सम्पत्ति के अधिकारों को समाप्त किया जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, पण्डित नेहरू ने भी कई बार अपनी तकरीरों में यह कहा था कि हमारे देश को ऊपर उठाने के लिए हमारे देश में साइन्टिफिक सोशियलिज्म की जरूरत है। हम तो समाजवाद के लिये पहले से ही कहते आ रहे हैं। जहां तक सवाल इस के अनुसमर्थन करने का है, यह जो संशोधन है, यह समाजवाद की तरफ बढ़ने का एक सही कदम है। अगर आप प्रापर्टी राइट समाप्त कर देते हैं तो समाज के एक बहुत बड़े तबके को आप फायदा पहुंचायेंगे। जैसा कि हमारे नेता महोदय ने कहा कि प्राइवेट प्रापर्टी के राइट को समाप्त किया जाय। लेकिन उन्होंने एक बात यह भी गुजारिश की थी, ऐसी बात नहीं है कि प्राइवेट प्रापर्टी समाजवादी देशों में नहीं है। वह व्यवस्था भी है, लेकिन वह प्रापर्टी फन्डामेन्टल राइट के तहत में नहीं है। आज भी सोशियलिस्ट कन्ट्रीज में लोगों के मकान हैं। निजी सम्पत्ति है, लेकिन वह फन्डामेन्टल राइट की शक्ल में नहीं है। वहां पर रहने की आवासीय व्यवस्था है, लेकिन फन्डामेन्टल राइट के रूप में नहीं, सोशियलिस्ट समाज में आप कहते हैं कि प्रापर्टी नहीं रहेगी यह गलत है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप यह मतलब निकाल लो कि कोई गरीब की यही को ले लो। वहां तो ऐसे लोगों की प्रापर्टी ली जावेगी जो कि लाखों करोड़ों की सम्पत्ति है, और समाज के चुने हुए लोग ही उस सम्पत्ति पर अनधिकृत रूप से अधिकार किये हुए हैं। यही समाज के चन्द लोग हैं जो कि समाज के गरीब वर्ग का शोषण कर रहे हैं। यह शोषण समाप्त हो उसके लिए सुझाव दिया गया था। उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि इन गुजरे कुछ सालों में कुछ महत्वपूर्ण कदम सोशियलिज्म लाने के लिए उठाये गये हैं। आप सोशियलिज्म पूरी तरह से लाना चाहते हैं तो आपको प्राइवेट प्रापर्टी के राइट को खत्म करना पड़ेगा। आप चाहे प्राइवेट प्रापर्टी रखें, लेकिन उस पर आप का फन्डामेन्टल राइट का हक नहीं होगा। आपका मकान हो पर आपका उस पर फन्डामेन्टल राइट का हक नहीं होगा। यह नहीं कि समाज का एक वर्ग महलों में रहे, ऐशोआराम करे दूसरे लाखों गरीब लोग प्लेटफार्म पर सोयें आज जितने भी राजा महाराजा हैं, बड़े-बड़े जमींदार हैं, बड़े सेठ साहूकार हैं जिनकी करोड़ों की प्रोपर्टी है उनको खत्म किया

(श्री मोहम्मद गफ्फारअली)

जाना चाहिए। जो प्राइवेट प्रापर्टी के अधिकार संविधान में दिये गये हैं उन्हें समाप्त किया जाना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, समाजवाद देश में लाने के लिये कांग्रेस पार्टी में सन् 69 के वर्ष से आपस में जद्दोजहद चल रही थी, कांग्रेस का एक वर्ग इसके खिलाफ था, लेकिन दूसरे वर्ग के लोग जो प्रगतिशील थे जो हमारी पालिसीज से मेल खाते थे उन्होंने सोचा कि सोशियो-इकोनोमिक प्रोग्रेस देश में करने के लिए समाजवाद का लाना बहुत जरूरी होगा। दूसरी तरफ हम इस दिशा में प्रयत्नशील हैं कि सोशियो-इकोनोमिक रिवोल्यूशन को जल्द से जल्द इस मुल्क में लायें। आज इस संशोधन विधेयक के पास होने के बाद हमारा स्ट्रगल जो सन् 1969 में था और जो एक जद्दोजहद शुरू हुई थी, वह खत्म हुई। आज हमने साबित किया कि पालियामेंट पूरी सुप्रीम है। इस मुल्क में किस प्रकार का शासन चलाया जाय, इस बात को हमने साबित करने के लिये इससे स्ट्रगल मोल ली। आज यह बात सामने आई है कि ज्यूडिशियल कोर्ट्स एक न एक कदम उठाकर प्रयत्न करती रहीं कि हम अपने कदम सोशियो-इकोनोमी की तरफ न रखें, उसमें 3-4 केसेज का हवाला दिया गया है और जो सुप्रिम कोर्ट के जजेज यह मानते थे कि आईन में तब्दीली की जा सकती है किस मुल्क का आईन एक सा नहीं हो सकता है। अमेरिका के जो बड़े बड़े फादर जेफर्सन हुये हैं उन्होंने कहा कि किसी भी बात को 10-20 साल के लिये थोप नहीं सकते हैं। जो जरूरियात पैदा होंगी उनके अनुसार आईन को ढालना होगा। जब एक के बाद एक चीज में ज्यूडिशियरी शिकस्त दे रही थी, आपने देखा, केशवानन्द भारती के केस में एक नये रूप से कहा गया कि बेसिक स्ट्रक्चर आईन में बदल नहीं सकते। आज तक वह बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं है। फिर भी बेसिक स्ट्रक्चर की एक चीज लेकर इस दिशा में जो कदम उठा रहे हैं उसमें बाधायें डाली जायं। मेरे पास वकील समझकर कोई आ जाए और यह कहे कि बेसिक स्ट्रक्चर का केस है तो मैं बड़ी खुशी के साथ यह कह देता हूं कि हाँ मैं कर देता हूं, लेकिन समझ में नहीं आता है कि क्या है यह बेसिक स्ट्रक्चर। केशवानन्द भारती के केस में एक जज ने फैसला दिया। उससे जो माहौल पैदा हुआ वह देश के मुखालफत में रहा। क्या वे महज इसलिये चुने जाते हैं कि जजबात ए अवाम के खिलाफ फैसला दें? हमारे मुल्क के अन्दर इस बात का फैसला देते हैं कि जो गरीब है वह गरीब ही रहे, जिसकी प्रापर्टी है वह उसी की रहे, अमीर की प्रापर्टी है वह अमीर की ही रहे। इसलिए जो स्ट्रगल चल रहा था वह इस विधेयक से समाप्त हो गया और मैं समझता हूं कि यह एक अच्छा आईन बना दिया जिससे देश तरक्की करेगा। जब भी जरूरत होगी, उनकी उमंगे होंगी, हमको यह फण्डामेण्टल राइट्स सबके समाप्त करने होंगे। आप देखेंगे इस मुल्क को जिस दिशा में ले जाना चाहते हैं, उस दिशा में बाधाएं आती हैं वह अवाम की तरफ से नहीं आती हैं, किसान की तरफ से नहीं आती हैं। वे बाधाएं आती हैं पढ़े लिखे लोगों की तरफ से और ऐसे लोगों से जो तालीम देते हैं। किसान समझता है उसको इस प्रकार की आईन की आवश्यकता है और मजदूर यह समझता है कि उसकी यह दिक्कत है, लेकिन हमको पढ़े-लिखे लोगों के सामने जाना पड़ता है वे किस

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

आइन को इस प्रकार इन्टरप्रेट करते हैं और आईन की जितनी दफाग्रात हैं उनको तोड़-मरोड़कर इस प्रकार इन्टरप्रेट करते हैं कि सरकार के कदम सक्सेसफुल न जावे। मैं समझता हूं इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था कि उनकी पावर्स को कम किया जाय।

आज बड़ी बुलन्द आवाज में यह कहा जा रहा है कि जो रिलीफ लोगों को मिलता था, वह नहीं मिलेगा। मार्क्सवादी पार्टी के नेता जो बात कहते हैं, मेरी समझ में वह नहीं आता, न तो हाई कोर्ट की ताकत पर अंकुश लगाया गया है और न सुप्रिम कोर्ट की ताकत पर अंकुश लगाया गया है। केवल यह कहा गया है जो कानून जनता के हित के लिये बनाये जायं उनमें किसी प्रकार की बाधा न हो। एक-दो अक्सरयत से फैसला नहीं लिया जाय। जो दो-बटा तीन से आईन बना है, जो बहुमत से आईन बना है वह अपना एक अख्तियार रखें। एक जज कोई अख्तियारात नहीं रखें। अब ये अख्तियारात नहीं दिये जा सकते हैं एक आदमी को क्योंकि यह तमाम लोगों की जिन्दगी के साथ अपना एक महत्व रखते हैं।

ज्यादातर हमारे जजेज केपिटलिस्ट हैं। उनके विचार भी उसी तरह के बने हुये हैं। बसों के मार्गों के राष्ट्रीयकरण का सवाल आया तो वह कोर्ट में जाकर स्टे हो गया, प्रिविपर्स का मसला आया तो वह कोर्ट में जाकर स्टे हो गया, इन्श्योरेन्स का मसला आया तो वह भी कोर्ट में जाकर रुक गया, सीलिंग का कानून बनाया तो लोग उसके खिलाफ भी कोर्ट पहुंच गये। आखिर एक सीमा होनी चाहिये इस मुखालफत की। अब वह सीमा आ गई है कि उसको नजरअन्दाज नहीं किया जा सकता है। यह साबित कर दिया गया है कि अक्सर जो जजेज की धारणायें थीं उसके हिसाब से आईन में हम तब्दीली कर सकते हैं लेकिन एक जज की हैसियत से जो आईन में तब्दीली की गई है उसको हम सही नहीं मानते हैं।

हमारी पार्टी की तरफ से जो एन्टी नेशनल की बात कही गई है वह बात नहीं है कि जो एन्टी नेशनल है, उनका समर्थन करते हैं बल्कि हमारा कहना यह है कि ऐसे लफ्ज, जो किसी प्रकार इन्टरप्रेट किये जा सकें, उनको दूर किया जाये। यह हर नागरिक की फरयाद है। सही दिशा में अच्छा कदम है और ऐसे लफ्ज का इस्तेमाल करना जिससे आज देश को खतरा पैदा नहीं हो सकता है लेकिन मुमकिन है कल खतरा हो सकता है, मैं समझता हूं यह 'एन्टी नेशनल' लफ्ज का दुरुपयोग कर सकते हैं।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : थोड़ा मुझे भी टाइम दें।

श्री उपाध्यक्ष : यह डिबेट कल भी कन्टीन्यू करेगी। इसलिये आज समय नहीं है तो कल मिल जायगा। कल भी कन्टीन्यू करेगी।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : तो हम यह नहीं चाहते कि जो विरोधी तत्व हैं और जो इस मुल्क से दुश्मनी रखते हैं जो एन्टी नेशनल हैं, उन पर पाबन्दी लगाई जाय लेकिन आईन में अगर वह चीज आती है तो उसको उसी रूप में लिया जाय। जिस पार्लियामेंट की बुनियाद डाली गई है उस पार्लियामेंट की यहां मुल्क में खिलाफत की गई, वह जय प्रकाश के नेतृत्व में हुई, हमने उनसे संघर्ष किया है। अब भी वही चीज जय प्रकाश जी करना चाहते हैं, वे ऐसे तत्व

Page No 84

(84)

(श्री मोहम्मद गफ्फारअली)

पैदा करना चाहते हैं जो दूसरी शक्ल में लेफटिस्ट हैं, बायें बाजू का नारा देकर काम करना चाहते हैं जो कि हमारे मुल्क के लिये हानिकारक हैं, और नुक्सानदेह हैं।

अभी आपने हमारी पार्टी के नेता विधायक रामानन्द जी को सुना। तीन असेम्बलियों के कुछ माननीय सदस्य बैठे, कांग्रेसी और उन्होंने यह तय कर दिया कि कान्स्टीट्यूएन्ट असेम्बली बनायी जाय ताकि यह तब्दीली, जिससे समाज के गरीब तबके को फायदा मिले, टल जाय साल भर के लिये। हमारी पार्टी ने कान्स्टीट्यूएन्ट असेम्बली की मुखालफत इसीलिये की कि यह पार्लियामेन्ट सक्षम है, पूर्ण है। इसलिए उस साजिश को मौका नहीं दिया जाना चाहिये। अमेरिका में प्रेसिडेन्ट चुना जाता है उसके चुनने के बाद वह जनता की आवाज को मानने के लिये तैयार नहीं होता पांच साल के लिये। आपने देखा है कि अमेरिका के कान्स्टीट्यूशन की दुहाई दी जाती है लेकिन निक्सन को करप्शन के बावजूद भी कितनी मुश्किल से हटाया जा सका। जो भी उसने गलतियां की उनको उसने अपने हाथ से माफ किया। यह है अमेरिकन कान्स्टीट्यूशन। अमेरिका में देख रहे हैं कि किस प्रकार से काले लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, किस प्रकार का उनके प्रति बर्ताव है और अत्याचार किये जा रहे हैं। जो हमारे आईन में तरक्की का इन्तजाम हमने चाहा है उसमें सफलता हुई है। कान्स्टीट्यूएन्ट असेम्बली की जो साजिश थी वह नाकाम हुई। कांग्रेस के लोगों ने और राजस्थान के लोगों ने जिस दिलेरी से इस को मंजूर किया है वह काबिले तारीफ है।

यू. पी. और हरियाणा का जो रवैया रहा है चाहे वह किसी गलतफहमी के कारण या षड्यन्त्र की वजह से हुआ हो और इरादतन न भी किया हो, वह ठीक नहीं है।

जो अब तक नहीं कहा गया है वह मैं, उपाध्यक्ष महोदय, अन्त में कह देना चाहता हूं। सदन को पूरी तरह से मालूम है आज आईन में जो इकोनामिकली बेकवर्ड क्लास है उसको जगह मिल गयी है। शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स की बात कही थी उस पर कहां तक अमल किया है, यह बात जुदा है विधान में यह कहा गया है कि इकोनामिकली जो बेकवर्ड लोग हैं उनको कानूनी मदद दी जावेगी और सरकार की ओर से दी जायगी, ऐसी सरकार की मंशा मालूम होती है। दो चीजें उभर कर आयीं एक तो वेस्टेड इन्ट्रेस्ट पर अंकुश और दूसरी इकोनोमिकली बेकवर्ड लोगों को कानूनी मदद देने का नजरिया उभर कर आया। चाहे शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोग हों, ट्राइब्स के लोग हों या माइनोरिटीज में मुसलमान हों आपको अपनी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए। हमारी पार्टी की ओर से यह प्रस्ताव रखा गया था कि जितनी माइनोरिटीज हैं उनके लिए आपको जगह मुकर्रर करनी चाहिए, उनके कल्चर और रवैयात का तमाम तहफ्फुज किया जाय, उस पर गोखले साहब ने फर्माया, यह संशोधन विधेयक है और इसमें इस बात को जगह नहीं मिल सकती है। यह सही है कि इसमें इस बात को जगह नहीं मिल सकती है तो जल्दी से जल्दी उन माइनोरिटीज की ओर तवज्जह देनी चाहिए और शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के प्रति जो वायदे किये गये हैं उन वायदों को पूरा करना चाहिए। इस सदन में माननीय मुख्य

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

मंत्रीजी ने वायदा किया था कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स को उचित जगह नहीं मिलती है उनको जगह मिले ऐसा रास्ता निकाला जाना चाहिए। शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के लोगों को तालीम के लिहाज से ऊंची जगह नहीं मिलती जितनी कि दूसरे लोगों को मिल सकती है। यही कारण है उनके पिछड़ जाने का। रावतभाटा में जो कांग्रेस की मीटिंग हुई थी उसमें यह तय किया गया था कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के लिए ठोस कदम उठाये जायं ताकि उनके वाहफ्फुज हों। शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के बीसियों लडके आज सड़कों पर घूमते फिरते हैं। रोजगार का रास्ता मालूम नहीं होता है। इसी कारण से हो सकता है कि इस बात को डाइरेक्टिव प्रिन्सिपिल्स में शामि लकरना पड़े, इकोनामिलकली बेकवर्ड क्लास और शिड्यूल्ड् कास्ट् और ट्राइब्स का खास तौर से ध्यान रख कर जो जगह सुरक्षित की हैं वह भरी जायं। 27-28 फीसदी जगहें रखी गयी हैं उन पर भी उनको नहीं रखा जाता है। उनके अन्दर मुकर्रर करने वाली अफसरशाही उनको पसन्द नहीं करती। मेरे पास शिकायत आयी है कि एक भंगी को एक दफ्तर में मुकर्रर किया गया, किसी स्कूल में मुकर्रर किया गया, दरबार हाई स्कूल में, वहां वह गया तो उसने कहा कि मुझे चार्ज दिया जाय तो उसको कहा गया कि तुम्हारे लिए कोई यह जगह नहीं है। इस सम्बन्ध में मैंने पत्र लिखा है। हिन्दुस्तान में इस तरह की चीजें नहीं चलने दी जावेंगी चाहे कैसा ही वहां पर आदमी बैठा हो। राज्य सरकार की ओर से जो कदम उठाने चाहिए वे नहीं उठाये जा रहे हैं जिससे शिड्यूल्ड् कास्ट्स और ट्राइब्स के आदमी यह समझ सकें कि उनके जो हक हैं वह उनको हासिल हो गये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, एक चीज और निवेदन करके अपनी बात समाप्त करूंगा। हमने फण्डामेन्टल राइट्स रखे हैं, हर नागरिक की क्या ड्यूटीज होनी चाहिए इसका भी एक हमने एक चैप्टर बढ़ाया है।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे सोशियलिज्म के उद्देश्य को पेशेनजर रखते हुए एक चीज और जोड़ी जानी चाहिए और अभी जोड़ी जाय तो अच्छा है, नहीं तो, जो हमारी कल्पनायें हैं, जो भावना है उसको ऊपर तक पहुंचायें कि जहां हमारी ड्यूटीज बतायी गयी हैं वहां हमारा राइट आफ वर्क भी होना चाहिए। आज हजारों नोजवान सड़कों पर घूम रहे हैं, बेरोजगार हैं और जूतियां चटकाते फिर रहे हैं। जब सोशियलिज्म के उद्देश्य को पकड़ लिया है और हमारे आईन में इसको जगह दे दी है तो हर आदमी जो इस देश में पैदा हुआ है, दुनिया में पैदा हुआ है उसको काम करने का हक हासिल है उसको भी मान्यता देनी चाहिये और उसको उचित जगह देनी चाहिए आईन में। यह जो सुझाव रखा है उसका मतलब यह नहीं है कि इस विधेयक के किसी जुज की मुखालफत करूं। हमें इसका हक होना चाहिए जिससे कि सही तरीके से सोशियलिज्म की ओर कदम उठा सकें। सोशियलिज्म में जो लोग विश्वास नहीं करते हैं उनके बारे में आपको निर्णय लेना होगा।

कान्स्टीट्यूशन में जब जिक्र नहीं था तब तक वह होता रहा, जैसा था वैसा होता रहा, जब इसको आईन में जगह मिल गयी है तो देखें कि स्कूलों में तालीम के लिए किस प्रकार की किताबें पढ़ायी जा रही है। गत सेशन में

(श्री मोहम्मद गफ्फारअली)

वाइस चान्सलर के बारे में यह विश्वास दिलाया गया कि तहकीकात करके हम बतायेंगे। यह दो रोज का सदन है। जो लोग सोशियलिज्म में विश्वास नहीं करते हैं आज भी फासिज्म में जो विश्वास करते हैं, एन्टी-नेशनल टेन्डेन्सी में जो विश्वास रखते हैं उन हजारों को निकालना होगा, उसके लिए उचित कानून बनाना होगा। अब हम अपनी जिम्मेदारी यह कह कर नहीं टाल सकते हैं कि आटोनामस बाडी है। अगर मुल्क के टुकड़े-टुकड़े करने की साजिश की जाती है, आनन्द मार्गी और आर.एस.एस के लोग पनपते हैं, तो हमको निर्णय लेना होगा कि ऐसे तत्वों पर अंकुश लगाया जाय, उन पर रोक लगायी जाय। इसलिए जो सुझाव दिया है राज्य सरकार को गौर करके उसके बारे में तय करना चाहिए। आईन के अन्दर सोशियलिज्म को जगह मिल गयी, यदि डेमोक्रेसी के उद्देश्य को जगह मिल गयी तो अब हम प्रयत्न करके आम लोगों के दिमागों में इसको पहुंचाये और अपने एजूकेशनल सिस्टम, अपने एडमिनिस्ट्रेशन के सिस्टम को इस तरह से बदलें और हम अपने आप को सोशियलिज्म के अन्दर ढालें। मैं इससे सहमत नहीं हूं कि सोशियलिज्म दुनियां में अलग-अलग है। सोशियलिज्म तो एक ही है और उसको अलग-अलग कहने की बात वही कह सकते हैं जिन्होंने कि सोशियलिज्म की किताबों का अध्ययन नहीं किया। सोशियलिज्म को तोड़मरोड़ कर रखने वालों की बात अलग है और उसको किस तरह से लागू किया जाये उसका तरीका अलग हो सकता है लेकिन सोशियलिज्म एक है। हमको हर किस्म का शोषण इस मुल्क के अन्दर से समाप्त करना है। एक इन्सान पहले इन्सान है और उसका कोई मजहब हो उसकी वह जाति चीज है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का, जो सेन्ट्रल पार्लियामेन्ट ने पास किया है, समर्थन करते हुए यह निवेदन करूंगा कि इसको हम पूरी अक्सरयत से, एक मत से पास करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जगमोहनसिंह।

श्री जगमोहन सिंह (छबड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, आज का दिन विधान सभा के लिए और हम सब के लिए गौरव का दिन है कि जिन आकांक्षाओं, सामाजिक और आर्थिक क्रांति के लिए हमने आजादी का संघर्ष किया और सामाजिक न्याय दिलाने के लिए सब कुछ करने की बात की उस उद्देश्य की पूर्ति में जो भी बाधायें थीं, जो भी बाधायें खडी की गयीं उनको दूर करने के लिए यह 44वां संशोधन संविधान के अन्दर पार्लियामेंट के दोनों सदनों द्वारा पास कर दिया गया है और आज हम इसका रेटीफिकेशन करने जा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय संविधान संशोधन के बारे में कई बातें कही गयीं। सबसे पहली बात तो यह कही गयी कि संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार नहीं है। दूसरी बात यह कही गयी कि यदि अधिकार है तो उसके बेसिक स्ट्रक्चर को चेन्ज करने का अधिकार नहीं है। मैं यह कहना चाहूंगा कि संसार में जितने भी रिटन कान्स्टीट्यूशन हैं उनके इतिहास को हम देखें और उनकी ओर दृष्टि डालें तो हर संविधान के अन्दर समय की मांग के अनुसार समय-समय पर संशोधन किये गये हैं। अमेरिका का जो संविधान है उसमें जब प्रेसीडेन्ट रूजवेल्ट ने गुलामी

Page No 87

(श्री जगमोहनसिंह)

प्रथा को समाप्त करने के लिए एक बिल रखा तो वहां का जो सुप्रीम कोर्ट था उसने उसके ऊपर स्टे दे दिया एक आदमी की रिट पर जो कि बहुत बड़ी सम्पत्ति वाला था उसकी सम्पत्ति को नहीं छीना जा सकता इसलिए वहां प्रगतिशील कदम को लाने के लिए बहुत बड़ा चेन्ज ज्युडिशियल सिस्टम में और वहां के कांस्टीट्यूशन में किया गया। हम देखें कि संविधान संशोधन के जरिये न्यायपालिका के अधिकारों का हनन करना चाहते हैं, संविधान संशोधन के जरिये और कई बातें मूल अधिकारों के बारे में कही जाती हैं और कहा गया कि हम उनके ऊपर अंकुश लगाना चाहते हैं, लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, अगर सारे के सारे संशोधन बिल को देखा जाये तो ऐसी कोई बात इसमें नजर नहीं आती। प्रश्न यह है कि जो सामाजिक न्याय हम देना चाहते हैं, जो लाखों और करोड़ों लोग देश के हैं उनके भाग्य को सुधारने के लिए, उनको सामाजिक और आर्थिक न्याय देने की हम बात करते हैं उसके अन्दर हमारी ज्युडिशियरी द्वारा जो बाधायें उत्पन्न कर दी गयीं उनको किस तरह से दूर किया जा सकता है। उस रूप में संशोधन करने की बात कही गयी है।

शुरू ही शुरू में संविधान में जो संशोधन किया गया वह 1951 में किया गया। उसको भी चैलेन्ज किया गया सुप्रिम कोर्ट के अन्दर। उसके बाद दुबारा सन् 1964 के अन्दर सज्जनसिंह के केस में भी चैलेन्ज किया गया। शंकरीप्रसाद के केस में और फिर सज्जनसिंह के केस में सन् 1964 तक हमारे उच्चतम न्यायालय की मान्यता रही कि हमारी संसद को विधान को बदलने का अधिकार है, संविधान में संशोधन करने का आर्टिकल 368 के अन्दर संसद को पूरा अधिकार है लेकिन सन् 1967 के अन्दर और सन् 1970 के अन्दर गोलकनाथ केस को लेकर और केशवानन्द भारती के केस को लेकर यह बात कही जाने लगी, 1967 में कहा कि :

"Constitution Amendment is a law within the meaning of Article 13 (2)."

"और उसके बाद एक नयी बात सन् 1970 के अन्दर केशवानन्द भारती के केस के अन्दर कही गयी कि पार्लियामेंट संशोधन तो कर सकती है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को चेन्ज नहीं कर सकती। इसमें सोचने का मुद्दा यह है कि माननीय जजों ने जजमेन्ट देते समय कहीं डिफाइन नहीं किया कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। संविधान का कौनसा पार्ट बेसिक स्ट्रक्चर में आता है और कौनसा पार्ट इम्पोर्टेन्ट है और कौन सा पार्ट अनइम्पार्टेन्ट है, यह कहीं डिफाइन नहीं किया है। मैं यह निवेदन करूंगा कि बेसिक स्प्रिट जो संविधान की है और जो मंशा संविधान बनाने वालों की थी वह यही थी कि देश के करोड़ों लोग हैं और देश की गरीब जनता है उसका जो शोषण होता है उसको समाप्त किया जाकर समाजवादी समाज की रचना की जाये। तो जो आज संशोधन किया जा रहा है उससे संविधान का जो मूलभूत स्वरूप है वह और अधिक उद्भूत होने जा रहा है न कि बदलने जा रहा है। आज बेसिक स्प्रिट की बात देखें तो जितना भी संविधान संशोधन है सारे का सारा मूल स्वरूप उसका निखर रहा है। इसलिए बेसिक स्ट्रक्चर वाली बात जो कही जाती है वह निराधार है।

(श्री जगमोहन सिंह)

जहां तक मूलभूत अधिकारों के ऊपर नीति निर्देशक सिद्धान्तों को रखने की बात है मूलभूत अधिकार एक व्यक्ति का अधिकार है और डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल्स सारे समाज के अधिकारों के बारे में है। वह इस बात का निर्देश देता है कि राज्य को किस प्रकार के कानून बनाने चाहिए और किस प्रकार की न्याय-व्यवस्था लागू करनी चाहिए। जब डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल्स के अनुसार कोई कानून बनाया जाता है, उसके अनुसार नीति निर्धारित की जाती है और कोई व्यक्तिगत अधिकार आकर उसके सामने ठहरता है तो पर्सनल राइट····

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

सदन की कार्यवाही कल दिनांक 16 नवम्बर, 1976 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायं 5 बजे मंगलवार दिनांक 16 नवम्बर, 1976 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई)।

———